

कुलसंक्षिप्त

२.०६ (१) अधिनियम तथा परिवर्तनावालों के उपर्योग के अधीन रहते हुए, कुलसंक्षिप्त या विश्वविद्यालय के नियन्त्रित कार्यकारियों से विवरणीय कार्यकारियों पर अनुसारीनिक नियन्त्रण होगा, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीयों;

(ख) उप-कुलसंक्षिप्त और सहायक कुलसंक्षिप्त;

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, जहाँ वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या परिवर्तनावाले वर्तमान वर्तमान के रूप में कार्य कर रहे हों।

(घ) पुनरुद्धारणकारी;

(ङ) विश्वविद्यालय के सेवक और समर्पित अनुबाद के कर्मचारी।

(१) याचन (१) के अधीन अनुसारीनिक कार्यकारी करने की शर्त के अन्वान उप-कुलसंक्षिप्त ने निर्दिष्ट विवरणीय कार्यकारी को पदबोध करने, हटाने, पोषकालीन करने, अधिकारीय करने, उपर्योगी सेवा सम्बन्ध करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश देने की शर्त होनी।

(२) याचन (२) के अधीन अनुसारीनिक कार्यकारी करने की शर्त के अन्वान उप-कुलसंक्षिप्त ने निर्दिष्ट विवरणीय कार्यकारी को पदबोध करने, हटाने, पोषकालीन करने, अधिकारीय करने, उपर्योगी सेवा सम्बन्ध करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शर्त नहीं होनी।

(३) याचन (३) के अधीन अनुसारीनिक कार्यकारी करने की शर्त के अन्वान उप-कुलसंक्षिप्त कार्यकारी के विवरण से नियन्त्रित करने उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के अन्वान उपर्योगी सेवा सम्बन्ध के अन्वान करना दिया गया हो, और उन दोनों विवरणों के सम्बन्ध में सुनिवार कुलसंक्षिप्त कार्यकारी के विवरण दिये गये सम्बन्ध के अन्वान पर ऐसी शर्त होनी।

परन्तु वहाँ ऐसी शर्त के पक्षात् उस पर कोई नियन्त्रित करने की शर्त नहीं होगी, वहाँ ऐसी शर्त के दौरान दिये गये सम्बन्ध के अन्वान पर ऐसी शर्त होनी है और ऐसे विवरण की प्रशंसित विवरण के अन्वान उपर्योग करना दिया गया होगा।

परन्तु यह भी कि वह याचन नियन्त्रित करने वाले में नहीं तथा होगा, वरन् अदेश का अधीन उपर्योग हो जाएगा तथा अनुबाद का अधीन होनी चाहिए। यदि ऐसे अदेश से प्रकल्प हो, वह प्रकल्प न होता हो कि वह ऐसे अधीन पर परिवर्त दिया जाय तो—

(क) विवरणीय सम्बन्ध नियन्त्रण की उपर्योग मूल पैकड़ में नियन्त्रित करने का अदेश।

(ख) विवरणीय सम्बन्ध की उपर्योग को नियन्त्रण करने का अदेश।

(ग) विवरणीय सम्बन्ध को, प्रधान वर्ष की आयु बाटन कर लेने के पक्षात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अदेश।

(घ) नियन्त्रण का अदेश।

२.०७ नियन्त्रित २.०६ ने निर्दिष्ट विवरणीय अदेश से विवरणीय विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उप-कुलसंक्षिप्त के लानील दिये जाने के दिनान्त में प्रदान होने के बीच, नियन्त्रित ८.०१ के अधीन नियन्त्रित अनुसारीनिक समिति को (कुलसंक्षिप्त के सम्बन्ध से) अधीन बत सकता है। ऐसी अधीन पर समिति का विवरण अनिवार्य होगा।

२.०८ अधिनियम के उपर्योगों के अधीन रहते हुए, कुलसंक्षिप्त का नियन्त्रित करने का विवरण—

(क) विश्वविद्यालय की सम्बन्धित कार्यकारी समिति का अधिकारीय होना, वह तक कि कार्य-परिवर्द्ध द्वारा अन्वय व्यवस्था न छोड़ जाए;

(ख) प्रात् १६ (५) मे निर्दिष्ट विवरण प्राप्तिकारियों के अधिकारोंने को सम्बन्धित सभ्यक विवरणीय के अनुबोदन में बुलाने के लिये सम्बन्ध मूल्यादृ जीवन क्रमानुसार और ऐसे सम्बन्ध अधिकारोंनों का कार्यकृत रहना;

(ग) सब, कार्य-परिवर्द्ध तथा विवरण-परिवर्द्ध के अधिकृत पद-व्यवहार का संकलन करना;

(घ) ऐसे सम्बन्ध विवरणीय का बयोन करना, जो कुलसंक्षिप्त, कुलसंक्षिप्त अवधारणा विश्वविद्यालय के विवरण प्राप्तिकारियों अवधारणा के, विवरण कार्य वह संविधान के रूप में करता है, अदेशों को कार्यान्वयित करने के लिए अवधारण का सम्बन्धीय होना;

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विवरण प्राप्तिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, कुलसंक्षिप्त विवरण पर हस्ताक्षर करना, अधिकारोंनों का सम्बन्धान करना।

अनुसारण संस्थान का नियंत्रण

२.०९ अनुसारण संस्थान का नियंत्रण पुरानाकालिक वेतनबोनी अधिकारीय होता, जो कार्य-परिवर्द्ध द्वारा व्यवस्था जारी किया जाता हो—

(क) कुलसंक्षिप्त, जो अधीन होता;

(ख) कुलसंक्षिप्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट यो ऐसे व्यक्ति जो योग्यता वाली वाप्रकृत के सम्बन्धित विवरण हो और विवरणीय अनुबोदन कार्य का अनुभव हो।

२.१० (१) नियंत्रण, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध अनुसारण करनारों वा, विवरणीय विश्वविद्यालय के पुनरुद्धारण में गंगाकृत जो कार्यान्वयित्वों का सूची-पत्र भी सम्भवित है, प्राप्तिकारियों वालों।

(२) यह कार्य-परिवर्द्ध द्वारा नियन्त्रित सम्बन्धीय विवरण के पास-विवरण में विश्वविद्यालय की अनुसारण-प्राप्तिकारियों का सम्बन्धीय कार्य-परिवर्द्ध के लिए दिया जायेगा।

(३) यह विश्वविद्यालय के सम्बन्ध अनुसारण कार्य-कर्तारों (अनुसारण उपर्योगों के लिये व्यक्तियों द्वारा दिये गये अनुसारण से सम्बन्धित कार्य-कर्तारों के लिए) में कुलसंक्षिप्त और विवरण-परिवर्द्ध यो वैवाहिक रिपोर्ट देता।

संकारणों के संकारणाभ्यास

२.११ यदि विवरणीय के संकारणाभ्यास के पद में कोई अधिकारीय गिरि हो, तो विवरणीय अधीन और वह संकारण वा विवरणीय अधीन विवरणीय के कार्यकारीयों का विवरणीय कार्यकारीय के कार्यकारीय करना।

२.१२ कोई व्यक्ति उप-कुलसंक्षिप्त विवरणीय के कार्यकारीयों का विवरणीय विवरणीय के कार्यकारीय करना।

२.१३ संकारणाभ्यास के संकारणीय होती है—

(१) वह संकारण-विवरणीय के सम्बन्ध अधीन विवरणीय के कार्यकारीयों का विवरणीय विवरणीय के कार्यकारीय करने के लिये जारी करना।

(२) वह संकारण विवरणीय के सूची-पत्र में लाने के लिए उपरान्तारों होता;

(३) वह संकारण में समाविह विवरणीय के पुनरुद्धारण, प्रयोगशालारों तथा अन्य परिवर्तनीयों द्वारा उक्त अधिकारीय विवरणीय के लिए अवधारण करना;

(४) उप-अधीन संकारण से सम्बन्धित अध्यापक विवरणीय के उपर्योग होने वाले विवरणीय का अधिकारीय होना, जिन्हें वह तक वह उपर्योग न हो, उप-अधीन विवरणीय करने का अधिकार न होना।

छात्र-काल्यान के संकारणाभ्यास

२.१४ छात्र-काल्यान संकारणाभ्यास की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उप-अध्यापकों में से, जिन्हें वह से कम दस वर्ष का अध्यापक-कार्य का अनुभव हो और जो उपर्योग से नियन्त्रित हो न हो, कार्य-परिवर्द्ध द्वारा 'कुलसंक्षिप्त' विवरणीय का विवरणीय कार्यपालीकरण की जाएगी।

२.१५ छात्र-काल्यान के संकारणाभ्यास के पद में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के स्वयं के अधिकारीयों के संकारणाभ्यास के कार्यकारीयों का पीढ़ी करना।

२.१६ छात्र-काल्यान के संकारणाभ्यास की प्रदानीय तीन वर्ष के लिए होती है, वह तक कि कार्य-परिवर्द्ध द्वारा होती हो समाप्त न कर दी जाय।

२.१७ कार्य-परिवर्द्ध छात्र-काल्यान के संकारणाभ्यास की स्वाक्षरता के लिए इह वह उपरान्त विवरणीय के स्वाक्षर करना चाहिए।

२.१८ (१) छात्र-काल्यान के संकारणाभ्यास तथा छात्र-काल्यान संकारणाभ्यासों का यह कार्यकारीय होना वे उपरान्तों के लिये समाप्त होने में, जिनमें संकारणाभ्यास तथा वार्षी-दर्शन अर्द्धार्थ होते हों।

(२) विवरणीय के संकारणाभ्यासों में प्रवेश करने,

(३) नियन्त्रण स्वाक्षरी,

(४) घोषना अध्यापक रहने;

(५) विश्वविद्यालय तथा संकारणाभ्यास करने।

३.०१ संकायों के मंड़ब्लूलक्ष्म, जो घाग २० (१) (म) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, उसी ब्रह्म में चुने जायेंगे, जिस ब्रह्म में विभिन्न संकायों के नाम निर्णयम ७.०१ में प्रमाणित हैं।

३.०२ विश्वविद्यालय के एक आचार्य, एक उपचार्य और एक प्राचार्यक वा, जो घाग २० (१) (प) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संघर्ष में, ज्ञेन्त्रता ब्रह्म में, वकानुक्रम से किया जायगा।

३.०३ सम्बद्ध महाविद्यालयों के (आपूर्वीकृत महाविद्यालय से निव) एक प्राचार्य और एक अध्यापक वा, जो घाग २० (१) (प) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन, विश्वविद्यालय, ऐसे प्राचार्य वा ऐसे अध्यापक के रूप में ज्ञेन्त्रता ब्रह्म में वकानुक्रम से किया जायगा।

३.०४ घाग २० (१) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय के उत्तराधार का उपर होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य-परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

३.०५ कोई व्यक्ति एक से अधिक हीसियत से कार्य-परिषद् वा न तो सदस्य बना रहेगा और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हीसियत से कार्य-परिषद् वा सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो समाज के भौतिक यह चुन लेगा कि वह हीसियत से कार्य-परिषद् वा सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त ब्रह्म देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो वह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था, उपर्युक्त दो स्थान जी अधिक यही समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है।

३.०६ कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकलन द्वारा विश्वविद्यालय के हिसी अधिकारी या प्रापिकारी को अपने ऐसी शान्तियाँ, जिन्हे वह ठीक समझे, ऐसी जरूरी के अधीन रहते हुये, जिन्हे संकलन में विरिक्त किया जाय, प्रत्यक्षेत्रित कर सकती है।

३.०७ कार्य-परिषद् के अधिकारी ब्रह्मपति के निर्देश से ब्रह्मपति जायेंगे।

३.०८ कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें विनायक प्राप्तिवान अन्तर्भूत हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की रथ प्राप्त करेंगे।

अध्याय - ५

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

४.०१ (१) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों वा, जो घाग २२ (१) के खण्ड (२) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रैति से किया जायगा :—

- (क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के तीन उपचार्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राचार्य;
- (घ) साम्राज्य-कल्यान के मंड़ब्लूलक्ष्म;
- (ज) सम्बद्ध साम्राज्येतर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य
- तथा एक अध्यापक;
- (ष) सम्बद्ध उपर्युक्त महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा
एक अध्यापक।

(२) उपर्युक्त आचार्यों, उपचार्यों, प्राचार्यों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों वा चयन, विश्वविद्यालय अन्तर्भूत हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की रथ प्राप्त करेंगे।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

४.०२ कुलसंचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों पर एक रजिस्ट्रर रहेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्ट्रर कहा गया है।

४.०३ रजिस्ट्रर में निम्नलिखित विवरण होंगे—

- (क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।
- (ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।
- (ग) विश्वविद्यालय वा महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुए।
- (घ) रजिस्ट्रर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक।
- (ज) ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई हो।

४.०४ विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रवान में आवेदन-पत्र देने पर और इन्वायन लघुये की फीस देने पर रजिस्ट्रर में अपना नाम उस दोकान स्नातकों के दिनांक से दर्ज करने का हकदार होगा, जिसमें वह उपर्युक्त प्रदान की गई की या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती, जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन-पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसंचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि ये या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्तीकार कर दिया जायगा।

४.०५ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसंचिव, यदि वह जात हो कि स्नातक सम्पूर्ण रूप से अहं है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा।

४.०६ कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिकारी निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती ३० जून को एक वर्ष वा उससे अधिक अवधि से रजिस्ट्रर में लिया हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

४.०७ कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक घाग २२ (१) के खण्ड (२) के अधीन निर्वाचन में जाहूं होने के लिये पाइ रहे होंगे, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती ३० जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्ट्रर में दर्ज रहा हो।

४.०८ घाग २२ (१) के खण्ड (२) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय वा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, उत्तराधार की सेवा में प्रयोग करने पर अवश्य सम्बद्ध महाविद्यालय, अवश्य उत्तराधार के प्रबन्धनन से सम्बद्ध हो जाने पर अवश्य उत्तराधार हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम ३.०५ के उपर्युक्त आवश्यक परिवर्तनों महिल, लागू होंगे।

४.०९ इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिसिद्धि 'क' में निर्धारित अनुचालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

४.१० सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रवान में अधिकारी विवरण के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

५.०१ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य थारा २५ (२) के खण्ड (नग) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

५.०२ ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो थारा २५ (२) के खण्ड (नग) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनमें निम्नलिखित गति से किया जायगा (क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।

(ग) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध मानन्दबोनम महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

(घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के नीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

टिप्पणी—(१) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।
टिप्पणी—(२) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों, तो दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे अध्यापक, जो इस प्रकार नहीं जायेंगे, उनहीं बारे चक्रानुक्रम से आगामी बार आयेंगी।

५.०३ शिशु क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पांच व्यक्ति, जो थारा २५ (२) के खण्ड (२) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका सहयोगीन उक्त पारा के खण्ड (१) से (७) में डिल्लीचित्त सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुत्ससंघ बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायगा, जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

५.०४ थारा २५ (२) के खण्ड (२), (नग) और (२) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद घारण करेंगे।

५.०५ अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपलब्धियों के अधीन रहते हुए विद्या-परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(१) अध्यक्षन बोर्ड के द्वारा संवादों के माध्यम से प्रेषित पठन्त्रक्रम विश्वविद्यालयों को संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा वर्ष-परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना, जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों द्वारा विमुक्त किया जायगा;

(२) सभा अवकाश कार्य-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाये या सीधे या दूसरे तरीफ़े किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(ग) विश्वविद्यालय के किसी पठन्त्रक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कार्य-परिषद् को सलाह देना, और

(४) शिक्षा सम्बन्धी विद्यों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कर्तव्यों को करना, जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपलब्धियों को उचित रूप से कार्यान्वयित करने के लिए आवश्यक हों।

५.०६ विद्या-परिषद् का अधिवेशन कुत्सपति के निर्देश से बुलाया जायगा।

अध्याय - ६

वित्त-समिति

६.०१ थारा २६ (१) के खण्ड (४) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सदस्यता दी अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य समाजात्मक तीन बार से अधिक पद घारण नहीं करेगा।

६.०२ व्यय की ऐसी नई मद्देन, जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हो, निम्नलिखित दशाओं में वित्त-समिति द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी :—

(१) अनावृती व्यय, यदि उसमें दस हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अनावृत हो; और

(२) अवावृती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रुपये या उसमें अधिक का व्यय अनावृत हो;

परन्तु यह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति न होगी यह किसी ऐसे मद्देन को, जो एक बजट शीर्षक के अनावृत भागों में विभाजित की जाये हों, छोटी-छोटी पन्नाविस्तरों को बहुत-सा नदे मानकर कार्य करे और वित्त-समिति के समझ प्रस्तुत न करे।

६.०३ वित्त-समिति द्वारा इसकी अध्यादेशों द्वारा इस परिनियम ६.०२ अध्याय परिनियम ६.०४ के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समाप्ति मद्देन पर विचार करेंगी और उन पर अपनी सिफारिसें यापाशीष्ट देंगी और कार्य-परिषद् को संसूचित करेंगी।

६.०४ यदि कार्य-परिषद् वार्षिक विनीय अनुमान (अपांत्र बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, तो वित्त-समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।

६.०५ वित्त-समिति को यापाशीष्ट विश्वविद्यालय का वार्षिक संकाय तथा विनीय अनुमान वित्त-समिति के समझ विद्यार के लिये रखा जायगा और तत्प्रकाश कार्य-परिषद् के समझ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

६.०६ वित्त-समिति के किसी सदस्य को असहायता अधिवित्तित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त-समिति के किसी विनियम से सहमत न हो।

६.०७ सेवा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवेद्धता करने के लिए वित्त-समिति का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अधिवेशन होगा।

६.०८ वित्त-समिति के अधिवेशन कुत्सपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त-समिति को यापाशीष्ट विश्वविद्यालय का वार्षिक संकाय तथा विनीय अनुमान वित्त-समिति के जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायगा।

अध्याय - ७

संकाय

७.०१ विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्—

(क) वेद-वेदाङ्ग संकाय।

(ख) साहित्य-संस्कृति संकाय।

(ग) दर्शन संकाय।

(घ) अमर्गांशुद्वय संकाय।

(ङ) आपुर्वेद शान-विज्ञान संकाय।

(च) आपुर्वेद संकाय।

टिप्पणी—आपुर्वेद महाविद्यालय, यारागसों से आपुर्वेद संकाय का गठन होगा।

७.०२ वेद-वेदाङ्ग संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) वेद।

(२) धर्मशास्त्र।

(३) ज्योतिष।

(४) व्याकरण।

७.०३ साहित्य-संस्कृति संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) साहित्य।

(२) पुराणोत्तिष्ठास।

(३) प्राचीन ग्रन्थालय-अर्थज्ञान।

७.०४ दर्शन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) न्याय-वैशेषिक।
- (२) साहित्य-योग-सन्त्र-आगम।
- (३) पूर्ववीमांस।
- (४) वेदाना।
- (५) तुलसीतमङ्ग धर्म-दर्शन।

७.०५ ब्रह्मविद्या संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) चौदर्शन।
- (२) जैनदर्शन।
- (३) पाती एवं वेरवाद।
- (४) प्राहृत एवं वैनाम।
- (५) 'संस्कृत विद्या-विभाग'।

७.०६ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) आधुनिक भाषा एवं भाषाविज्ञान।
- (२) सामाजिक विज्ञान।
- (३) शिक्षारास्त्र।
- (४) विज्ञान।
- (५) ब्रह्मात्मक विज्ञान।

७.०७ आपुर्वेद संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

- (१) शरीर।
- (२) इन्द्रिय।
- (३) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना।
- (४) काष्य-विकिरण।
- (५) शत्व-शास्त्रांग।
- (६) प्रसूति, स्वी, वातरोग तथा अगदतन्त्र।
- (७) आपुर्वेद संहिता और आपारभूत सिद्धान्त।

७.०८ आपुर्वेद संकाय से चित्र प्रस्तेक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित हिता जायगा :—

- (१) संकाय का संकायाभ्युक्त, जो अप्यक्ष होना।
- (२) संकाय के सम्पूर्ण विभागों के समस्त आचार्य और उत्पादार्थ (जो विभागाभ्युक्त न हों)।
- (३) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य, जो संकाय को सीधे गये विषयों के अध्यापक हो, ज्येष्ठा-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (४) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा अप्यापक (प्राचार्य से चित्र), जो संकाय को सीधे गये विषयों के अप्यापक हो, ज्येष्ठा-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (५) तीन से अनन्त ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या इसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सीधे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करो।

७.०९ आपुर्वेद संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित हिता जायेगा :—

- (१) संकाय का संकायाभ्युक्त, जो अप्यक्ष होना।
- (२) संकाय के सम्पूर्ण विभाग।
- (३) संकाय में पहुंचे जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उत्पादार्थ (जो विभागाभ्युक्त न हों)।
- (४) संकाय के प्राचीक विभाग का एक प्राचार्यापक ज्येष्ठा-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।
- (५) तीन से अनन्त ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या इसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सीधे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करो।

७.१० (१) इस अध्याय में उपचारित के सिवाय, संकाय के बोर्ड के पादेन सदस्यों से चित्र सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करें।

- (२) संकाय के बोर्ड का अधिकार, उसके अप्यक्ष के निर्देश से तुलाया जायगा।

७.११ अधिनियम के उपचारितों के अधीन रहते हुए, प्राचीक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शालि होंगी, अवैत्—

- (१) शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पक्षात् विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।
- (२) विश्वविद्यालय के अध्ययन और अनुसन्धान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सीधे गये विषयों में विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।
- (३) अपने कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

७.१२ इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं सम्भवा जायगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का बोर्ड विभाग, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यालय न हो, खोलने का प्राप्तिकार है, जब तक कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और उसके लिये, आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय।

अध्याय-८

विश्वविद्यालय के ग्रामिकारी तथा विकाय

अनुशासनिक समिति

८.०१ (१) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेंगी, जिसमें कुलपर्वति और कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :—

परन्तु यदि कार्य-परिषद् समीक्षीय समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के बार्ग पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(२) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचारधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशा-सनिक समिति के सदस्य के हाथ में कार्य नहीं करेगा।

- (३) कार्य-परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अनारित कर सकती है।

८.०२ (१) अनुशासनक समाज के नियन्त्रणात्मकता का कृत्य होगा :—

(क) परिनियम २.०७ के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत अपील पर विनिक्षय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जीव करना, जिसमें विश्व-विद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालय के विकाद अनुशासनिक कार्यकारी अनुबंधन हो;

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को नियन्त्रित करने की सिफारिश करना, जिसके विकाद कोई जीव विचाराधीन हो या करने का विचार हो;

(घ) ऐसी अन्य सनियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य-परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(२) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिक्षय अभिभावी होगा।

(३) 'अनुशासनिक समिति का विनिक्षय या उसकी रिपोर्ट यथासौंप्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखी जायगी, जिसमें कार्य-परिषद् मामले में अपना विनिक्षय कर सके'।

विभागीय समितियाँ

८.०३ परिनियम २.२ के अधीन नियुक्त विभागालय समायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यारण विभाग में, एक विभागीय समिति होगी।

८.०४ विभागीय समिति में निम्नलिखित होगी :—

(१) विभागालय, जो अप्पस होगा;

(२) विभाग के समान आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समान उपचार्य;

(३) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपचार्य भी हो, तो उपेष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपचार्य;

(४) यदि किसी विभाग में उपचार्य तथा प्राप्त्यापक भी हो, तो एक प्राप्त्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपचार्य न हो, तो उपेष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राप्त्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिये;

परन्तु किसी विषय या विद्याविशेष में विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्याविशेष का उपेष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती रोप्तानों ने फहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः अनिवार्य होगा।

८.०५ विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(१) विभाग के अध्यापकों में अध्यारण-कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(२) विभाग में अनुसन्धान-कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(३) विभाग में ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में, जिसके लिए विभागालय नियुक्त प्राप्तिकारी हो, सिफारिश करना;

(४) विभाग के समान्य और विद्याविशेषक रुचि के मामलों पर विचार करना।

८.०६ समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम एक बार होगा। इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

परीक्षा-समिति

८.०७ परीक्षा-समिति, घारा २१, की उपधारा (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप-समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से विचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

अध्याय - ९

बोर्ड

९.०१ विश्वविद्यालय के संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड होंगे, अर्थात्—

(क) छावकलयण बोर्ड,

(ख) समन्वय बोर्ड,

(ग) अनुसन्धान और प्रकाशन संरचना का बोर्ड,

(घ) पुस्तकालय बोर्ड,

(ङ) प्रबन्ध और मध्यम अध्ययन तथा परीक्षा बोर्ड।

९.०२ परिनियम ९.०१ में उल्लिखित बोर्डों को इकली, कृत्य तथा गढ़न ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय :

परन्तु उक्त परिनियम के त्रुट्ट (क) में निर्दिष्ट छावकलयण बोर्ड में सम्बन्धित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र-प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

९.०३ यह तक हि परिनियम ९.०२ के अनुसार नये बोर्ड का बठन न हो जाय, तब तक परिनियम ९.०१ में उल्लिखित तथा इस परिनियमावली के व्याप्रम होने के ठीक पूर्व दिनांक को बर्तनम बोर्ड कार्य करता रहेगा।

अध्याय - १०

भाग - १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण

१०.०१ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(१) आचार्य;

(२) उपचार्य, और

(३) प्राप्त्यापक।

१०.०२ विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णांकित आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु अंशकालिक प्राप्त्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनमें विद्या-परिषद् या ग्राम में, ऐसे प्राप्त्यापकों जी, अध्यारण-कार्य के हित में अपना अन्य कारण से, अवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राप्त्यापक उन्होंना वेतन का सकते हैं, जिनमें सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जाय, प्राप्तिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसन्धान-संहार अध्ययन अनुसन्धान-संहारक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राप्त्यापक के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

१०.०३ कार्य-परिषद् विद्या-परिषद् को सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है—

(१) इस निमित अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा शर्तों पर शिक्षा-सेवा में प्रतिनिधित्व और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य;

(२) अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य—

(३) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(४) जो अनुसन्धान-कार्य का मार्ग-दर्शन करेंगे;

(५) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(६) जिन्हें व्यायामभव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसन्धान-कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी, और

(७) जो गमरत दीक्षान-गमरोह में उपरिभत होने के हकदार होंगे;

परन्तु कोई व्यक्ति के बहस विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद पारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्रापिकारी या निकाय में कोई पद पारण करने का पात्र नहीं होगा।

१०.०४ शिक्षक अवकाश अव्याप्त अनुसन्धान सहायक ऐसी शर्तों तथा निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

भाग - २

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण

१०.०५ उनर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से विवर अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में :—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) सहायक आचार्य;
- (३) आचार्य;
- (४) शिक्षक।

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) अध्यापक;
- (३) सहायक अध्यापक।

(ग) उनर माध्यमिक विद्यालयों में—

- (१) प्रधानाचार्य;
- (२) अध्यापक;
- (३) सहायक अध्यापक ज्येष्ठ;
- (४) सहायक अध्यापक कनिष्ठ।

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालय में—

- (१) प्रधान अध्यापक;
- (२) अध्यापक;
- (३) 'सहायक अध्यापक'।

१०.०६ उनर प्रदेश गवर्नर के बहार के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को सम्बद्ध सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें ऐसे वर्गों में रखा जा सकता है, जिसे कार्य-परिषद् उन्हिं समझें।

१०.०७ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य अध्यापक सम्बद्ध गवर्नर के संघर्षों या स्थानीय निकाय या प्रापिकारी द्वारा अनुमोदित येतन-मान में पूर्णकालिक अध्यापक पर विवेचित किये जायेंगे : [× × × ×] १

१०.०८ [× × × ×] २

१०.०९ परिनियम १०.०५ से १०.०७ तक के उपरन्य गवर्नर के संघर्ष-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्रापिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों पर ऐसे परिष्कार लागू होंगे, जो कार्य-परिषद् द्वारा उन्हिं समझे जायें।

अध्याय - ११

भाग - १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अहंताएँ और नियुक्ति

११.०१ (१) १वेट-वेटाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (शिक्षाशास्त्र-विभाग के विवाय) महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में किसी प्राप्त्यापक के पद के लिए न्यूनतम अहंताएँ—

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अवकाश समतुल्य सात सूक्ष्म वर्ग माप में बी.बी.डी।

(ख) उनम शैक्षिक अभिलेख (होगी)।

** (२) २आधुनिक ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षाशास्त्र-विभाग की विवाय में विश्वविद्यालय में किसी प्राप्त्यापक के पद के लिए न्यूनतम अहंताएँ—

(क) शिक्षा/एम.एड. में न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अवकाश समतुल्य सात सूक्ष्म वर्ग माप में बी.बी.डी।

(ख) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ग) उनम शैक्षिक अभिलेख (होगी)।

विशेष—परन्तु 'किसी प्राप्त्यापक पद हेतु अहंताओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यवीक्षण के लिए स्नातकोत्तर उपाधियों में न्यूनतम प्राप्ताङ्क ५५ प्रतिशत के स्वान पर ५० प्रतिशत होंगे।'

(३) १५८ परिनियम के प्रयोगन के उनम शैक्षिक अभिलेख—

(४) सामान्य क्रेणी एवं अन्य विद्युत वर्ग के अध्यवीक्षण के लिए उनम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होंगे—

'सुसंगत स्नातक उपाधि में से न्यूनतम ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क, परन्तु जो अध्यवीक्षण पी-एच.डी. पारक हो, उनके लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में आप्तिकतम ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क तक की सीमा की रूट अनुमय होगी।'

*(५) १प्राप्त्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अध्यवीक्षण पात्र होंगे, जो प्राप्त्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षिक अहंताएँ पूरी करने के अतिरिक्त गारुदीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो अवकाश उनर-प्रदेश गवर्नर सतरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

परन्तु किसी अध्यवीक्षण से—

(१) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप या उनर प्रदेश गवर्नर सतरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(२) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९३ तक एम.फिल. उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(३) जिसे सम्बन्धित विषय में ३१ दिसम्बर, २००२ तक पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(४) जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध (वीमिस) ३१ दिसम्बर, २००२ को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है,

ऐसे अध्ययन से गहरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने पाते अध्ययनीय विद् पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो उनके लिये गहरीय पात्रता परीक्षा या समतुल्य उत्तर-प्रदेश राज्य संघरण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

११.०२ ऐट-येटड़, साहिल-संस्कृति, दर्शन, श्रमणिकिया और अधिनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों की स्थिति में,

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिये न्यूनतम अहंतार्थ निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

“(१) १२०८ रॉशिक अभियोग के साथ डाक्टरेट की उपाधि सभा सुनानत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अपवा-
सत मूल्य वर्ग माप में भी प्रेड़।

“(२) विश्वविद्यालय में शिक्षण का न्यूनतम ५ वर्ष का अनुभव तथा शोध के अनुभव के साथ ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, जो अध्ययनीय द्वारा प्रकाशित रखना, रॉशिक क्षेत्र में अभिनवीकरण, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान, इस हेतु किये गये योगदान से प्रमाणित हो।

१२०३ परिनियम के प्रयोग के लिए उत्तम रॉशिक अभियोग—

उपाचार्य हेतु वह अध्ययनीय ‘उत्तम रॉशिक अभियोग’ का धारक माना जायगा, जिसने हाईस्कूल (या समक्षा) एवं उससे उच्चतर सभी संगत परीक्षाओं में, विनाम्र वह उत्तीर्ण हुआ है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी (या सात सूची अक्षर वर्ग माप में ‘भी’ वर्ग) अर्जित ही है।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिये न्यूनतम अहंतार्थ निम्नलिखित होंगी, अर्थात्— या तो—

“२ ऐसा प्रधान विद्वान् विस्तृत प्रख्याति रखना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय, गहरीय स्तर के संस्थान में अनुसन्धान-कार्य में सक्षिय रूप में तो हो तथा जिसे परामात्मक कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा अनुसन्धान के कार्य के पार्श्वरूप का अनुभव भी शामिल हो, या विषय का स्थानितरूप मूर्खन्य विद्वान् जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

११.०३ परिनियम १०२ के ग्रन्थ (२) में निर्दिष्ट उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली (अध्यापकों की अधिवार्तिका वी आयु, जेतनमान और अहंतार्थ) १९७५ के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या-३२५/११५-१०-३५-६०(११५)-७३, दिनांक २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा संशोधन के पूर्व वी, दिनांक १ अगस्त, १९७५ और २० अक्टूबर, १९७५ के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

११.०४ पारा ११ (१०) में निर्दिष्ट गिन्ति का विज्ञापन सामान्यतया अध्ययनीयों को गिन्ति के लिए आवेदन-पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा, जिस दिनांक को समाचार-पत्र का अद्वितीय निकाला गया, जिसमें विज्ञापन दिया है।

११.०५ (१) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से तुलाया जायगा।

(२) चयन-समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए चयन-समिति का विवार नहीं करेगी, जब तक कि उसने उसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो : परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हों, नाम पर विवार कर सकती है।

(३) चयन-समिति का कोई सदस्य, याचार्यति, समिति या कार्य-परिषद के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि ऐसे अधिवेशन में किसी नालेदार वी (जैसा कि धारा २० के स्थानिकरण में परिभासित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विवार किया जा रहा हो या विवार किया जाना सम्भव हो।

११.०६—(१) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अध्ययनीयों के नाम की सिफारिश करे, तो वह स्वायिकेकानुसार उनके नाम अधिगत-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति अध्ययनीयों के नाम अधिगत-क्रम में रखने का विनियम नहीं किया जायगा कि उसने वह इतिहास के द्वितीय अध्ययनीयों के लिए उपलब्ध अध्ययनीयों के नाम की सिफारिश करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसका यह इतिहास के द्वितीय अध्ययनीयों के लिए उपलब्ध अध्ययनीयों की सिफारिश की दशा है।

(२) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में विज्ञापन पुनः छिया जायगा।
११.०७ चयन-समिति वह सिफारिश कर सकती है कि अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध अध्ययनीयों की सिफारिश की दशा है।

११.०८ यदि पारा ११ (२) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण—

(१) सन्तोषजनक समझा जाय तो कार्य-परिषद परिवीक्षा अध्यपि के (जिसके अन्तर्गत बद्रायी गयी अध्यपि, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(२) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य-परिषद परिवीक्षा अध्यपि के (जिसके अन्तर्गत बद्रायी गयी अध्यपि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अध्ययन उम्मीदी समाप्ति पर अध्यापक की सेवाये पारा ११ के उपलब्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

११.०९ चयन-समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुश्किल रूप पर होगा।

११.१० चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी मागना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी, नोटिस की तारीखी या तो व्यक्तिगत रूप से या गजियाँ ढाक द्वारा की जायगी।

११.११ अध्ययनीयों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी मागना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। सूचना वी तारीखी या तो व्यक्तिगत रूप से या गजियाँ ढाक द्वारा की जायगी।

११.१२ चयन-समिति के सदस्यों की जाय तथा दैनिक भूता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायगा।

११.१२ (क) “अन्यायिक विशेष परिस्थितियों में और चयन-समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद ऐसे अध्यापकों को, जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्राप्तिक नियुक्ति के समय पौर्ण अधिम वेतनवृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पौर्ण से अधिक अधिम वेतन-वृद्धि देना आवश्यक हो, तो नियुक्ति करने के पौर्ण राज्य सरकार का पूर्णानुमोदन प्राप्त किया जायगा।

११.१२ (ख) (१) २४वें दशा से उपाचार्य के पद पर तथा उपाचार्य से अध्यार्थ पद पर प्रोत्साहित के बाद उन्हीं अध्यापकों को अनुग्रह होगी, जिन्होंने शास्त्रमादेश संख्या-५७१४/१५-११-८७-१४ (५)/८७, दिनांक २०-०९-८७ के प्रस्तर-११ के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोत्साहित हेतु नियारित समय के अन्दर विकल्प प्रस्तुत किया जा।

(२) इस योजना का लाभ उन अध्यापकों को अनुग्रह नहीं होगा जो कैरियर एडवानसमेंट योजना से आच्छादित है।

(३) प्रवक्ता से ग्रीष्म के पद पर तथा ग्रीष्म से ग्रोपरम के पद पर वैयक्तिक प्रोत्साहित विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की पारा-३१ एवं परिनियमों के अधीन विशिष्ट गठित चयन-समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार एवं संस्तुति के उपरान्त देय होंगी।

(४) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोत्साह ग्रीष्म/प्रोफेसर/फैलो के पदोत्तिका लाभ कार्यभार प्राप्त करने वी नियिति से देय होगा। यह प्रोत्साहि सम्बन्धी अध्यापक के वैयक्तिक रूप से अध्यापक कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित अध्यापक को वैयक्तिक प्रोत्साहित योजना के अन्तर्गत देय प्रोत्साहित की तिथि से ०३ माह पूर्व ही कार्यवाही कर देने चाहिए।

(६) वैयक्तिक प्रोत्साहित योजना के अन्तर्गत ग्रीष्म/प्रोफेसर/फैलो के पदोत्तिका लाभ कार्यभार प्राप्त करने वी नियिति से देय होगा।

(७) यदि कोई अध्यापक चयन-समिति द्वारा प्रोत्साहित के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो यह दी वर्ग के उपरान्त प्राप्त पर आवेदन कर सकता है।

(९) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोफेशनल अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने अथवा अन्य नियुक्ति से पद रिक्त होने पर नयी नियुक्ति उस पद पर की जायगी, जिस पद पर सम्बन्धित अध्यापक को मौतिक नियुक्ति थी।

(१०) अध्यापकों द्वारा परिषिद्ध सम्बन्धित विषयविद्यालय के परिविहारियों के अन्तर्गत निर्धारित द्वारा जायगी।

(११) द्वितीय प्रोफेशन का लाभ इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि यदि विषयविद्यालय अनुदान आयोग सहमत नहीं होता है, तो उक्त योजना का लाभ तथा चुनावान की गयी अतिरिक्त परिवार वसूल कर सकता है। इस सम्बन्ध में प्रोफेशन के सभी सम्बन्धित विषयों से लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया जाय।

(१२) सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय का लिखित आश्वासन (अण्डर टेक्निक) देना होगा कि उसके मौतिक पद के लिये निर्धारित कार्यभार सम्पादित करता रहेगा।

(१३) यह वैयक्तिक प्रोफेशन योजना उत्तर-प्रदेश विषयविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा रासित एवं नियन्त्रित विषयविद्यालयों के अध्यापकों पर सामूहिक होगी।

(१४) वैयक्तिक प्रोफेशन योजना के अन्तर्गत द्वितीय प्रोफेशन का लाभ शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगा, किन्तु इस वैयक्तिक प्रोफेशन के फलस्वरूप हिसी प्राप्तार्थी अथवा उपार्थी का वेतन निर्धारित करने का प्रसन्न नहीं ठड़गा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रगांधी दर्शक—५०१/१५५(१५)/८४, दिनांक २५.२.८४ में लिखित अन्य शर्तें यथावत् सामूहिक होंगी।

*१.१.१२ (ग) कैरियर एडवांसमेंट योजना [Career Advancement Scheme]—This Career Advancement Scheme applies to the State Universities and Associated/Affiliated Colleges (except the colleges affiliated to Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi). It shall come into force from July 27, 1998. Teachers who have become eligible for Senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force prior to July 27, 1998 shall be covered by the provisions of Govt. Order No. 91-G.I/14:11:88-14 (5) dated 7th of January, 1989 and Statutes made earlier in this behalf and Govt. Order No. 1309/15-11-90-32/89 Dated March 17, 1990.

With effect from 27th of July, 1998 teachers shall have the opportunities for Career Advancement Scheme (Promotion) as given hereafter :

1. A Lecturer in University or in an affiliated/associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M. Phil. degree, six years for others at the level of Lecturer and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

2. For promotion to the posts of Reader and Professors the minimum eligibility criterion would be Ph.D. or equivalent published work.

3. Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Readers in Degree and Post Graduate Colleges will not be eligible for the Post of Professor under Career Advancement Scheme in the colleges.

4. In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of subsection 4 of section-31 of U.P. State Universities Act 1973.

5. Senior Scale : Constitution of Screening Committee—

Placement in Senior Scale will be through a process of Screening Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University the Screening Committee shall consist of—

1. Vice-Chancellor Chairman

2. Dean of Faculty concerned Member

3. Two experts of the subject to be nominated by the Chancellor Member

4. Head of Department concerned Member

6. Lecturer (Senior Scale)—

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through the procedure of selection, if she/he has;

(i) Completed 6 years of service after regular appointment with relaxation of one year for those having M.Phil. degree and relaxation of two years for those with Ph.D. degree.

(ii) Participated in one Orientation course and one Refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these Lecturers who have a Ph.D. Degree would be exempted from one Refresher Course.

(iii) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A&B.

7. Lecturer (Selection Grade)—

Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria for the Post of Reader by Direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or through extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade subject to the recommendations of the selection Committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade.

Provided that a Lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assessment after obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

8. Reader (Promotion)—

A lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has;

(i) Completed 5 years of service in the senior scale.

(ii) Obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) Made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) Participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(v) Possesses consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

9. Constitution of selection committee—

Promotion as Reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University, Selection Committee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section-31 of the U.P. State Universities Act, 1973.

10. *Professor (Promotion)—

(1) That a minimum of 8 years experience as a Reader be an eligibility.

(2) That self-appraisal report for the period including five years before the date of eligibility be submitted.

(3) That minimum of five research publication out of which two could be the books be submitted for evaluation/assessment before the interviews.

(4) That the assessment of the research publication, including books, be done by three eminent experts in the subject which shall be different than those called for interview to be conducted later on.

(5) That all the recommendations be positive from the three experts. In case the recommendation of one out of the three is negative, the

the research publication be sent to the fourth expert for evaluation and assessment. In all, there has to be a minimum of three positive recommendations out of the total of four experts, in case the fourth expert has participated in the exercise due to one negative report out of the initially three experts involved in evaluation.

EXPLANATION...

The requirement of participation in orientation/refresher courses/shorter institutes, each of at least 3 or 4 weeks duration, and consistently satisfactory Annual Progress Report and Performance Appraisal Report, shall be mandatory requirement for Career Advancement from Lecturer to Lecturer (Senior Scale) and from Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

Whenever the requirement of Orientation/Refresher courses has remained incomplete, the promotion would not be held up but these requirements must be completed by 31.12.2011.

The requirement for completing these courses would be as follows:

- (i) For Lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.
- (ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend two seminars/conferences in their subject areas and present papers on one aspect of their promotion/selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic Staff Colleges for this level.

(iv). If the number of years required in feeder cadre are less than those stipulated above, thus entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their main service for eligibility in the cadre, may be placed in the next higher cadre if found suitable by the Selection committee after adjusting the total number of years. This is however, not applicable in the case of promotion from Reader to Professor under Career Advancement scheme.

This situation is likely to arise as, in the earlier scheme of January 1, 1989, the number of years required in a feeder cadre were much more than those envisaged under this order.

Counting of service will be done in the following manner:-

Previous service, without any break as a Lecturer or equivalent, in a university, college, national laboratory, or other scientific organisations, e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and as a UGC Research Scientist, should be counted for placement of Lecturer in Senior Scale/Selection Grade provided that—

- (I) The post was in an equivalent grade/scale of pay as the post of lecturer.
- (II) The qualification for the post were not lower than the qualifications prescribed by the UGC for the post of Lecturer.
- (III) The candidate who apply for direct recruitment should apply through proper channels.
- (IV) The concerned Lecturers possessed the minimum qualifications prescribed by the UGC for appointment as Lecturer.

(V) The Post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University/State Government/Central Government/Institution's regulations;

(VI) The appointment was not ad-hoc or in a leave vacancy if less than one year duration. Ad-hoc-service of more than one year duration;

(a) The ad-hoc service was of more than one year duration;

(b) The incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee;

(c) The incumbent was selected to the permanent post in connection to the ad-hoc service, without any break.

12. A teacher of the University who is eligible for career Advancement/Promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work in the Register of University through the Head of the Department and in the case of teachers of Associated/Affiliated Colleges to the head of the Management/ Director Higher Education through the Principal of the College in the formats given in appendix A & B annexed herewith.

EXPLANATION...

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the University statutes, ordinances or regulations.

13. (i) The Selection Committee constituted under section 31 of U.P. State Universities Act for Career Advancement/Promotion shall consider all relevant material and record received under the Statutes to be placed before it.

(ii) In case of University the recommendations of Screening/Selection Committee shall be submitted to the Executive Council for decision. If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final.

If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than College maintained exclusively by State Govt.) the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the Head of the Management of the College for decision of the Management.

If the Management does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the management shall refer the matter to the Director, Higher Education alongwith the reasons of such disagreement and the decision of the Director, Higher Education shall be final. If the Management does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months then also the matter shall stand referred to the Director, Higher Education and his decision shall be final.

(iv) In the cases of Colleges maintained exclusively by the State Govt. the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the State Govt. for decision and its decision shall be final.

14. If an incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection grade/Reader (Professor) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale/Selection Grade Reader/Professor grade by the duly constituted Screening/Selection Committee at the first instance, the next higher grade would be admissible to him from the date of eligibility or 27th of July 1998 whichever is later, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

15. In case the incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader is not found suitable for Career Advancement Promotion in the first instance, he may offer himself again for such assessment/promotion after every one year, and he shall be considered by the Screening/Selection Committee alongwith other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any), from the date of taking over charge as Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion), as the case may be.

16. The posts of Reader or Professor to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of Reader or Professor as the case may be upto the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

17. No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted Selection Committee for making appointment/promotions to teaching post by direct recruitment or by personnel promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualifications as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

18. (i) Subject experts and the chairman (if any) for the Screening/Selection Committee be nominated for each Calendar year by the Vice-Chancellor/the Director Higher Education well in time to facilitate the Member Convenors to initiate the process of convening the meetings of the Committee, constituted under Career Advancement Scheme. The Screening/Selection Committee shall usually meet within six months and in all cases be definitely convened within a year of the date, a teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/Selection Committee shall meet at the head quarters of the University in the case of the teachers of the University and its Affiliated/Associated Colleges (other than Colleges maintained exclusively by the State Govt.) In the case of teachers of the colleges maintained exclusively by State Govt. the Committee shall meet in the office of the Director, Higher Education, U.P.

(iii) The majority of the total membership of the Screening/Selection Committee shall form the quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the experts have agreed to the selection.

19. Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

20. Atleast 3.5 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The Notice shall be served either personally or by registered post.

21. The work load of Lecturer placed in Selection Grade or Promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.

सामग्र व्यापिकारण के अस्तित्व की अवधारणे और विषयि

१२-१३ परिवारम १२-१४ से १२-१२ तक किसी ग्राम सरकार या संघ-सेवा या स्थानीय निकाय या प्राचीनतम इतने अवधि तक से बोकारो और प्रबन्धित समझदार हिंदूपालम के अनुचानकों पर जान न होंगे।

²⁻²⁻²⁻² सम्बन्ध मानविकासी के अध्ययनको (विद्या) और विज्ञानी समिक्षणको (विज्ञान) की अवधारणे में सौझती हैं, जैसी अवधारणों में निर्धारित की जाएं।

१२.१५ वर्षान्तमान सम्बद्ध याहांगिलारपो के संवाद और अध्यापकों का संवाद द्वारा अनुसूचित पत्र पर, यूनाइटेड अधिकारी मन और सम्बद्ध ग्रन्थ संवाद पर संघ-सेवा का स्थानीय नियन्त्रण वा प्रशिक्षणी द्वारा अनुसूचित वर्षान्तमान में एवन-लिंगों को लिकारिशा पर एकत्र स्वतंत्र उपचारित रूपी से विद्युत करेगा।

३३३६ (२) विसी समवद्द महाविश्वासय के प्रचारण की नियुक्ति के लिये चाहन-गणित में विमर्शित होगे :—

(३) अस्त्रायाम एव अस्त्राय एव उपर्युक्ता विद्युत्-विद्युत्। अस्त्रायाम एव अस्त्राय एव उपर्युक्ता विद्युत्-विद्युत्।

(ख) सम्बद्ध सम्भाग का सम्भागीय उप-रिक्षा-निवेशक

(ग) किसी डायरी या स्पाल्सहोनर प्राक्षिप्तिमय का एक प्रचार्य, जिसे कम से कम १० लर्ड के अध्यायन का अनुभव हो, जो कुसरति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(c) दो विरोधक, जिन्हें कम से कम १५ वर्ष के अपायक का अनुभव हो, जिनमें से एक विचित्रात्मक का अपायक या उस बहुविकास के जिसके लिए भवन किया जा रहा है, सर्वोप मिन्ह सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्कृत विद्यालय का प्रबन्ध होग और दूसरा कियो सम्बन्ध या उच्चनन् वर्ण के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रशायं या अपायक या सम्बद्ध विद्यालय का कोई ऐसा संवेदनित अपायक या अपायक विद्यालय विदेशक हेसम्भाग में प्रवास करता हो, जिन्हें कुत्सर्वि द्वारा सम्प्रक्षित सम्भाग के उप-रिक्त-निर्देशक द्वारा लैकर किए गये पैनल में नाम-निर्देश किया जायगा।

परन्तु अधिक विद्यो के लिए, इस प्रकार तीव्र किये गये वैज्ञान में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विद्यापाठ्य से सम्बद्ध ऐसे निकटतम् नहाविधात्य से भी, जो सम्बन्धित रिकॉर्ड विद्यो के समान के आवश्य हो, प्रियोचन समिलित किये जा सकते हैं।

परन्तु यह और कि उन्न-पदेश के बाहर सिन्ह महाविद्यालयों के समाजमें कुलत्ति प्रेसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के लिकट स्थित हों, लिसके लिए चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के, लिसके लिए चयन किया जाना है, निकट निवास करने वाले विद्यालय व्यक्तियों के अपने द्वारा हीयर किये गये पैसाने में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(२) दिनांक रामबाल महाप्रियाताम के अध्यात्मक (प्राचीर्वासे विषय) की विविधता द्वारा दिनांक रामबाल महाप्रियाताम में विस्तृतविविधता होती है।

(५) प्रबन्धन एवं प्रयोग की अवधि हारा नम-परिदृष्टि प्रबन्धन की कैफीतात्मकता (जो सहवित्तिलय की व्यवस्था में अपारपक न हो) की अपेक्षा होती

(ग) नियमितता का प्रदर्शन

(३) इन्हें ज्ञान विद्या विषयात्मक विशेषज्ञः

(८) ये विस्तैरण, जिन्हें कम से कम १० वर्ष के अध्यायन का अनुप्रबंध हो, जो उस विस्ते में, विश्वविद्यालय स्थित हो, विश्व विस्ते में सम्बन्ध या उत्तराधार वार्ष के किसी सम्बद्ध सम्बन्धितात्मक वा अध्यायक वा व्याचारक वा सम्बद्ध विषय का शोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यायक वा विद्यालय व्यवस्था होना, जो उप-रिहाय-निर्देशक के सम्मान में नियमानुसार हो, जिन्हें कल्पनिक द्वारा सम्भवित सम्भव के उप-विद्या-निर्देशक द्वारा नीतेवाचक विस्ते गये पैमाने में नाम-विनियोग किया जावाया;

परन्तु आपुनिक विषयों के लिये इस प्रकार तैयार किये गये ऐनत में, कुसरीति द्वारा किसी अन्य विहारियात्म से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यात्म से भी, जो सम्बन्धित उप-विश्वा-निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते हैं : परन्तु यह और कि ठनर-इंदेश के बाहर स्थित महाविद्यात्मों के सम्बन्ध में कुसरीति ऐसे महाविद्यात्मों के, जो उस महाविद्यात्म के निकट रिया हों, विस्तृत लिखे चलन इच्छा याना है, अध्यक्षों और उस महाविद्यात्म के निकट निवास करने वाले विद्वान् खल्कियों के अपेक्षा द्वारा तैयार किये गये ऐनत में से विशेषज्ञ वर्म-निर्दिष्ट कर सकते हैं।

१४.१३ चयन-समिति या प्रबलपत्रक का कोई सदाचार, वर्षायिति, चयन-समिति या प्रबलपत्रक के अधिवेशन में बहार चला जाएगा, यदि किसी ऐसे अधिवेशन में शदाचार के नवोदार की (जैसा कि भाग २० के संहोङकण में परिवर्तित है) विवृति के दस्त पर ऐसे अधिवेशन में विधार किया जा रहा हो। या विधार किया जाना सम्भव नहीं।

१४.१४ चयन-समिति द्वारा कोई सुन्दर कियायि तत्त्व तक विधिवाच्य महीने ताम्हनी जगती, उस तक कि विरोधों में से एक विरोध ऐसे चयन में सहन न हो।

२३-२४ अनियम २३-२८ के उपर्योग के अधीन इसे हमें किसी व्यवहारिकी की कानून सद्व्यवहार के बहुत से दोषी मनिषा की गणना होगी।

११.२० चरण-संभिति की सिक्षारिति और उससे सम्बन्धित व्यवहारन की पर्याप्तता होगी।
११.२१ किसी ऐसी गिरिह में (जो किसी अध्यात्मक को दस दास से अनुष्ठित अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई गिरिह न हो) किसके लिये नास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, निष्कृति के लिये खोई चरण (कम से कम दो ऐसे सामाचार-पत्र में); १. विश्वा सम्बद्ध राज्य वा सभ-सभे में पर्याप्त परिषत्तत हो, विज्ञापन दिये जिनमें नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस सामाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, निष्कृतने के दिनान्तु ते कम-से-कम तीन सालों का समय सम्बन्धित;

११.२२ (१) यह व्यवस्था समीक्षित नियुक्ति के लिये एक से अधिक अन्यर्थियों को सिफारिश करे, हो यह सर्वियेक्टासुलर उनके नाम अधिकार-द्रम में स्थान देंगे।

अन्यथा नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अन्यथा के लिए उपलब्ध न होने की दराने में सुनियोग अन्यथा नियुक्त किया जा सकता है और यही उम्र आगे की स

(२) चयन-समिति वर्द सिपाहियां जर मळती हैं कि कोई उपचुप अभ्यव्हिष्ठ के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पट वा विज्ञापन पुनः किया जायगा। १.२३ किसी समझदृष्टि विविधताओं के प्राचारण वा अभ्यव्हिष्ठ की नियुक्ति की दरह में, वर्द प्रबन्धन बचन-समिति द्वारा की रखी लिपिरिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धनत्र

ऐसे असहमति के कारणों सहित भाषणों को कृत्यपूर्ति के विरुद्ध करेगा और उसका विनिश्चय अनियम होगा।

११.२४ किसी समस्त महाविद्यालय के प्रचारार्थों या अध्यापकों को समस्त प्रियुक्तियाँ प्रबन्धनन्व द्वारा कृत्यान्ति के लिखित अन्योदयन के पश्चात् ही की जायेगी। कृत्यान्ति

नियुक्ति से सम्बद्धित अवेदन-पत्रों और अन्य पत्रादि भी यहा सहकार है और यह उसकी वजह से इस प्रकार नियुक्त अध्ययनी नियुक्ति के लिए उत्तराधिक मती है, तो वह उसे याचित्ते पर पुनः विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए उसे प्रबन्धनन को याचित्त कर देगा। कुलपति और प्रबन्धनन के संच मनीषन न होने को विवरित में यह याचित्त कार्य-परिपद को विविट्ट किया जायगा और उसका विविट्टनयन अनिवार्य होगा।

^{१०} यहीं विवरित की गई है कि अपने अधिकारों के लिए अपनी अधिकारी को अपनी अधिकारी के लिए विवरित की गई है।

१.२६ जब किसी विद्यार्थी के सम्बन्ध महाविद्यालय को श्रेष्ठी को भवाचा जाय और उसे उच्चतर श्रेष्ठी में रखा जाय, तो ऐसा महाविद्यालय एक सभा के पीठर कुत्त-पति को वर्णन प्रश्नार्थी और अध्यापकों को एक विवरण प्रस्तुत करेग और कुत्तपति के लिए यह विविधान देता है कि वह वर्णन प्रश्नार्थी और अध्यापकों को उस उच्चतर श्रेष्ठी में, विदेश महाविद्यालय रखा गया है, प्रश्नार्थी और अध्यापक के लिए में अनुमति देते : परन्तु वही यह प्रश्नार्थी का अव्यवहार से उच्चतर श्रेष्ठी के महाविद्यालय के लिए प्रश्नार्थी या अध्यापकों के लिए वर्तिनियों या अध्यादेशों में विकित अर्हतात्, या अन्य अस्तित्व पूरी तरह हो, तो कुत्तपति प्रस्तुतर ते पट का विवाहन करने और उस अव्यवहार तथा विवाह करने की अनुमति देता।

²² २० सनातन महाविद्यालय के अध्यापकों और शास्त्रीयों की विविध के लिए प्रत्येक-प्रत्यिष्ठान का अधिकारीन सम्बन्धित है जिसके के अन्दराएँ संस्कृत अवधारणा

१२.२८ व्यवसाय-समिति के सदस्यों को अधिकारीता की सूचना, जो प्रदर्श दिन से कम की नहीं होती, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से चीज़ बदलने पर सम्पत्ति की सूचना दी जायगी।

१, २, ३, ४ अपराधियों की चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की मूदवा दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से बीजाएवं समिति की लाइसेंस या सो लाइसेंस लाभ से या लाइसेंस लाभ की जायगी।

²² ३० अप्रैल समितिकारी के समाजी और व्यापकारी को लिखते हुए उन्होंने कहा है—‘मैंने कभी नहीं सुना कि एक व्यक्ति को अपनी जाति के अधिकारी का गवाह नहीं कर सकता।’

१२.३.२ मैट्रिक्स कर्प से या वर्लीक्स पर नियुक्त हित्रा गया समवद्द महाविद्यालय का कोई प्रत्यार्थी या अध्यापक अधिकारिता से विवर दिल्ली अन्व आवाह पर, कुलतारी के प्रत्यक्षीयोंने के जिम्मेदार से इतराज नहीं जताया।

११.३२ किसी प्राचार्य या अध्यापक—

- (क) ऐसी विहि में जिसके छ: मास से अधिक बने गए हों वही सम्भावना न हो;
- (ख) दस वास से अनन्तिक अधिक के लिए, किसी प्राचार्य या अध्यापक को स्वीकृत शुद्धी के कारण होने वाली विहि में, और
- (ग) किसी अस्थायी पद के प्रति अस्थायी विहि में;

स्वास्थ्यकार्य या अस्थायी विहि के लिए कुलस्ती का अनुमोदन अवश्यक न होगा।

११.३३ (१) नहाविदातय का सम्बद्ध महाविदातय के सम्बन्धित विनागामित के वरानीरा से, दस वास से अनधिक अवश्यके लिए, किसी पदबाटी को स्वीकृत शुद्धी के कारण हुई विहि में वयन-समिति को अभिदेश किये बिना, किसी अध्यापक को स्वास्थ्यकार्य रूप से नियुक्त कर सकता है; जिन्हि किसी देशी विहि या पद को लिए हों तो, मास से अधिक बने गए हों वही सम्भावना हो, बिना देश अभिदेश किये, मही भवेगा।

(२) वहाँ कोई अध्यापक किसी देशे अस्थायी पद पर, जिसके छ: मास से अधिक बने गए हों वही सम्भावना हो, और तत्परतात् एसा वर्द स्थायी पद के कारण में परिवर्तित कर दिया जाय, (वयन-समिति को अभिदेश करने के परवान) नियुक्त किया जाय, वही प्रबन्धनक वयन-समिति को पुनः अभिदेश किये बिना देश अध्यापक को उस पद पर मंत्रित्व रूप से नियुक्त कर सकता है।

अध्याप-१२

भाग-१

सम्बद्ध महाविदातयों का वर्गीकरण

१२.०१ विश्वविदातय से सम्बद्ध महाविदातय नियन्त्रित वार लेने के होंगे:—

(१) स्वास्थ्यकार्य उपाधि महाविदातय—ऐसे सम्बद्ध महाविदातय, जो आचार्य पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए, मानवता प्राप्त हों और जो नियन्त्रित रातों को पूरा करते हों, विश्वविदातय के स्वास्थ्यकार्य वार वार होंगे—

(क) महाविदातय में कम से कम '६०'१ छात्र नियन्त्रित अध्ययन के लिए, नामांकनीत हो;

(ख) विश्वविदातय की प्रथम साली और आचार्य परीक्षा में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ३५ शतांश उक्त परीक्षा में सफल हो।

(२) उपाधि महाविदातय—ऐसे सम्बद्ध महाविदातय, जो शास्त्री पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए, मानवता प्राप्त हों और नियन्त्रित रातों को पूरा करते हों, विश्वविदातय के उपाधि महाविदातय होंगे:—

(क) महाविदातय में कम से कम '५०'२ छात्र नियन्त्रित अध्ययन के लिए, नामांकनीत हो;

(ख) विश्वविदातय की प्रथम साली तक ही परीक्षा में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ३० छात्र शतांश परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(३) उत्तर मध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविदातय, जो उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए, मानवता प्राप्त हों और नियन्त्रित रातों को पूरा करते हों, विश्वविदातय के उत्तर मध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविदातय में कम से कम '५०'१ छात्र नियन्त्रित अध्ययन के लिए, नामांकनीत हो;

(ख) विश्वविदातय की प्रथम साली तक ही परीक्षा में कम से कम २५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम १० छात्र शतांश परीक्षा में सम्मिलित हों, और उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(४) पूर्व मध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविदातय, जो पूर्व मध्यमा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए, मानवता प्राप्त हों और नियन्त्रित रातों को पूरा करते हों, विश्वविदातय के पूर्व मध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविदातय में कम से कम '३५'२ छात्र नियन्त्रित अध्ययन के लिए, नामांकनीत हो;

(ख) विश्वविदातय की प्रथम साली तक ही परीक्षा में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम १० छात्र उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों, उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

१२.०२ वर्तमान सम्बद्ध महाविदातय को परीक्षणम् १२.०१ के अनुसार विगत दो बारों में नामांकनीत रातों ही परीक्षा, विश्वविदातय की विभिन्न परीक्षाओं में योग्यिता द्वारा दी गई संख्या और उनके परीक्षापत्र के अध्यारय पर, व्याख्याति, वर्तीकरण किया जायगा।

१२.०३ यदि सम्बद्ध महाविदातय मन्त्रित्वित भेजी के लिए, विहित रातों पूरी न करता हो या विहित रातों पूरी करना ढोढ़ दिया हो, तो ऐसे महाविदातय के प्रदान की गई सम्बद्धता नियन्त्रित ही जा सकती है।

परन्तु सम्बद्धता पुनर्नीतित हो जा सकती है, यदि यह मन्त्रित्वित महाविदातय सम्बद्धता के वित्तमान की विधि से तीन वर्ष के भीतर आपने से मन्त्रित्वित भेजी के लिए, विहित रातों को पूरा कर ले :

परन्तु यह और कि यदि महाविदातय सम्बद्धता के वित्तमान की विधि से तीन वर्ष की अवधि में विहित रातों को पूरा करने में विकल रहता है, तो ऐसे महाविदातय को दी गई सम्बद्धता पापत न हो जायगा।

भाग-२

वर्तीव वहाविदातयों को सम्बद्ध करना

१२.०४ किसी महाविदातय की सम्बद्धता के लिए प्राप्त अपेक्षा-पद इस प्रकार दिया जाता है कि वह यह के, विस्तर सम्बद्धता मार्गी नहीं हो, पूर्वांकी ३१ वित्तमान तक (१०० रुपये वित्तमान शुल्क के साथ ३१ जनवरी तक) कुलसाधिक के पास पूर्व जाय।

१२.०५ (१) उत्तर मध्यमा तक किसी महाविदातय की विहित में ५०० रुपये की धनादाता का और अन्य वासदातों में १००० रुपये की धनादाता का बैंक ट्रांस्फर जो विश्वविदातय को देंगे हो:

(२) उप-सिल्स नियोजन (संस्कृत) की विधिरिता, जो विहित विद्यालय विनोक्त से जहाँ वहाविदातय उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तर विनोक्त वार वार के प्रवाना करने की वारांगी।

(३) सम्बद्ध सरकार की विधारिता और सरकारी अधिकारी की विस्तर विनोक्त, जहाँ महाविदातय उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो।

१२.०६ सम्बद्धता याहाने वार इन्स्पेक्टर महाविदातय नियन्त्रित भेजी के सम्बद्धता में विश्वविदातय का सम्बद्धता करने, अवैद्य—

(४) विधिविनाम् १२.०० और १२.०८ के उत्तरनामों का अनुसारतन किया गया है।

(५) यदि विधिविनाम् १२.०८ के अवैद्यतन के भीतर (वारांगे सेहों में) और एक विलोक्तीप्राप्ति के अवैद्यतन के भीतर (वारांगे सेहों में) आवेदित विधि में सम्बद्धता प्राप्त कोई अवैद्यतन संस्करण नहीं है।

(६) मन्त्रित्वित वित्तमान विधि द्वारा दी गई सम्बद्धता के लिए उत्तरके पास पर्याप्त विनोक्त संबद्धता हो, जिसमें :

(दक्ष) पर्याप्त तुलावालय, वारांगे, लोड्स-सम्बद्धी, संग्रह और प्रयोगसाधन सुविधाएं हों।

(दूसरे) संस्करण के नाम पर दर्शक भूमि हो।

(तीसरे) वारांगे के स्थानप्ति और वारांगे वारांगे के लिए सुविधाएं हों।

(ष्ठ) नियन्त्रित वित्त दर के अनुसार अवैद्यतन विधि और पूर्व विधि हो, जो सम्बद्ध विद्यालय विनोक्त के पास विनोक्त राजा जायगा :—

संस्करण की श्रेणी पूर्व विधि आवासित विधि

१. स्वास्थ्यकार्य २५,००० रुपया ३,००० रुपया नकद (नकद या सम्बद्ध)

२. स्वास्थ्यकार्य २०,००० रुपया २,००० रुपया नकद (नकद या सम्बद्ध)

३. उत्तर मध्यमा १५,००० रुपया १,००० रुपया नकद (नकद या सम्बद्ध)

४. पूर्व मध्यमा १०,००० रुपया ८०० रुपया नकद (नकद या सम्बद्ध)

दिव्यांग—शर्त (थ) यात्रा सम्बद्ध द्वारा अवैद्यतन महाविदातय के सम्बद्धता में लागू नहीं होगी।

१२.०७ साकार या किसी स्थानीय निवास या प्राप्तिकारी द्वारा अनन्य रूप में इन्स्पेक्टर महाविदातय से लिए प्राप्त नियोक्त महाविदातय के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि—

(क) प्राप्तिकारी द्वारा प्राप्त नियोक्त महाविदातय का प्राप्त नियोक्त महाविदातय होगा,

(ग) सम्बद्धता के एवं विभिन्न प्रकार सदृश अधिकार है (विभिन्ने वाचारों द्वारा गठित है);

(ग) (१) अधिकार उचित (उचित) में विभिन्न प्रकारों को छोड़कर ज्येष्ठाक्रम में, बहुनुक्रम में, एक वर्ष की अवधि के लिए देसे सदृश है;

(ग) (२) प्रबन्धन का एक सदृश व्याविधान के नीतियों को शिक्षणीय कर्मसाधारियों में से होगा, जिसका वर्तन बहुनुक्रम से ज्येष्ठाक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायगा;

(घ) उचित (ग) के उपबच्यों के अधीन प्रबन्धन के बोर्ड द्वारा सदृश घाटा २० के समीक्षातान के अन्वयन एक-दूसरे के मानेंदार न होंगे;

(ज) उक्त समिक्षन में कुलपति की पूर्व अनुकूल के विवाह कोई संरक्षित नहीं किया जायगा;

(क) यदि कोई देश इसे के प्रबन्धन के सदृश व्याविधान के रूप में लोई व्यक्ति समझ कर ते चुना गया है या नहीं अवश्य उसका सदृश व्याविधान का प्रदापिकारी होने का हक्कदार है वा नहीं जो प्रबन्धन का वैष्णवीय वर्ष में नहीं है या नहीं तो कुलपति का विभिन्न अधिकार होगा;

(ख) सदृश व्याविधान के उचित द्वारा प्रदिक्षित किये गये व्यक्तियों के सम्मान व्याविधान के द्वारा नियुक्त निरेक्षक एवं उक्त व्याविधान के आय और व्यय से सम्बन्धित सभी नूतन दस्तावेज़ को ऐसी लेखांकनी/व्यापार बोर्ड नूतन विवाह के संबंध में लेखा जायगा;

१२.०८ शेष व्याविधान को विभिन्न देशों प्रबन्धन में सम्बद्धता चाहता है, जिसमें प्रयोगशाला-वर्ष का व्याविधान अनेकता हो, विभिन्न व्याविधान के सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष सम्बन्धन करता है—

(क) प्रथेक राजा के लिए पूर्व प्रयोगशाला-वर्षों की व्यवस्था है और उसमें से प्रथेक उपचुक करने से सुखित है, और

(ख) प्रयोगशाला-वर्षों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

१२.०९ (१) किसी देशे प्रबन्धन में, जिसमें प्रयोगशाला-वर्ष का व्याविधान प्रशिक्षण अनेकता हो, सम्बद्धता चाहते वाले महाविधान की दरमा में यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिवर्तनों में दिये गये विवाहों के सम्बन्ध में समाप्त हो जाय तो, अवेदन-पत्र कार्य-परिवर्द्धन के साथ एक रक्षा जायगा, जो महाविधान का निरीक्षण करने और गम्भीर सुरक्षात् विवाहों के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्ट देने के लिए निरेक्षक एवं उपचुक नियुक्त करेंगी। निरेक्षक एवं उपचुक करने का व्यवस्था व्याविधान के आय और व्यय से सम्बन्धित सभी नूतन दस्तावेज़ को ऐसी लेखांकनी/व्यापार बोर्ड नूतन विवाह के सम्बन्ध में उपचुक करने और सभी सुरक्षात् विवाहों के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्ट देने के लिए या तो निरेक्षक एवं उपचुक नियुक्त करने होते हैं, यदि पूर्ववर्ती परिवर्तनों में अस्तित्वात् विवाहों के सम्बन्ध में उपचुक करने और सभी समाप्त हो जाय तो, परिवर्तन १२.०९ की अवेदन-पत्र और अवेदन-पत्र के साथ कोई विवाह करने की सक्ता है और अवेदन-पत्र को कार्य-परिवर्द्धन के सम्बन्ध में उपचुक करने की व्यवस्था नहीं होती।

१२.१० शेष व्याविधान को विभिन्न देशों प्रबन्धन में विभिन्न रिपोर्ट देने के लिए या तो निरेक्षक एवं उपचुक नियुक्त करने और सभी सुरक्षात् विवाहों के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्ट देने के लिए या तो निरेक्षक एवं उपचुक नियुक्त करने होते हैं, यदि पूर्ववर्ती परिवर्तनों में अस्तित्वात् विवाहों के सम्बन्ध में उपचुक करने और सभी समाप्त हो जाय तो, परिवर्तन १२.०९ की अवेदन-पत्र और अवेदन-पत्र के साथ कोई विवाह करने की सक्ता है और अवेदन-पत्र को कार्य-परिवर्द्धन के सम्बन्ध में उपचुक करने की व्यवस्था नहीं होती।

१२.११ (१) सम्बद्धता के लिये अवेदन-पत्र जो कार्य-परिवर्द्धन के सम्बन्ध रखने काने के पूर्व, उसका पर्याकार सम्बद्धता समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निर्माणित होने :

(क) कुलपति अधिक

(ख) कार्य-परिवर्द्धन का एक नाम-निर्दिष्ट व्यक्तिसदाय

(ग) शिक्षा निरेक्षक, उत्तर-प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त शिक्षा निरेक्षक के पद से वक्त वा न होगा।

(घ) निरेक्षक (उच्चतम् विभाग), उत्तर-प्रदेश या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी एकव्यक्ति विभिन्न के जावार्द के पद से वक्त वा न होगा।

(ज) कृष्ण-स्थानीय सदस्य-सदिव्य

(क) सम्बद्धता के अवेदन-पत्र पर विभिन्न सम्बन्धतात्त्व उस वर्ष के, जिसमें कक्षा प्राप्त करने का प्रस्ताव हो, १५ वर्ष के पूर्व किया जायगा।

१२.१२ जिसे देशों व्याविधान को विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र से उपचुक के पूर्व कुलपति के पास पहुंच जाय ; परन्तु जिसे देशों व्याविधान के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बन्ध करने से अनिवार्य होने के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बन्ध करने से अनिवार्य होने के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बन्ध करने से अनिवार्य होने के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी।

भाग-३

नई उपाधिकों अवश्य कार्यवाही के लिए प्रदान किया जायने वालों को सम्बद्धता प्रदान करना

१२.१३ किसी सम्बद्ध व्याविधान को नई उपाधि के लिए अवश्य नवे विवाहों में विभिन्न कर प्रबन्धन का प्रबन्धक अवेदन-पत्र द्वारा एक व्यक्ति के लिए देसे सदृश होता है, तथा उपचुक के पूर्व कुलपति के पास पहुंच जाय ;

परन्तु किसी देशों व्याविधान में, जिसमें प्रयोगशाला-वर्ष का व्याविधान अनेकता हो, या विभिन्न सम्बद्धता के लिए अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बन्ध करने से अनिवार्य होने के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बन्ध करने से अनिवार्य होने के विभिन्न रिपोर्ट देने के लिये अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी।

१२.१४ प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान, जो किसी नई उपाधि के लिए या नवे विवाह में सम्बद्धता के लिए अवेदन-पत्र है, अपने अवेदन-पत्र के साथ प्रथेक विवाह के लिए ५० से पचास तक अधिक से अधिक २५० रुपये (ये सभी परामर्श रखने) की खपतिशि भेजेगा, जो पास नहीं की जायगी। परिवर्तन १२.०५ (२) और १२.०५ (३) के उपचन्य भी लागू होते हैं।

१२.१५ किसी नवे विवाह में सम्बद्धता के लिए किसी अवेदन-पत्र पर तब तक विवाह नहीं किया जायगा, जब तक कि प्रथेक व्याविधान लिखित करने में यह प्रबन्धनापर न दे दे कि सम्बद्धता अवैध या पूर्व सम्बद्धता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है।

१२.१६ यदि कुलपति या देशी सम्बद्धता के लिए विवाह में सम्बद्धता के लिए अवेदन-पत्र से उपचुक करने से अन्यतर दूसरे द्वारा देशी सम्बद्धता की जावार्द विवाह नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बद्धता के लिए विवाह में सम्बद्धता की जावार्द विवाह नहीं की जायगी।

१२.१७ जिसी सम्बद्धता के लिए या नवे विवाह में सम्बद्धता के लिए अवेदन-पत्र को पास नहीं की जायगी तो कुलपति ने सम्बद्धता के लिए विवाह नहीं की जायगी।

१२.१८ नई उपाधिकों अवश्य कार्यवाही की सम्बद्धता के लिए अवेदन-पत्र पर विवाह में सम्बद्धता की जावार्द विवाह नहीं की जायगी।

सम्बद्धता का बना रहना

१२.१९ प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान, जो के व्याविधान में प्रवेश होने, विवाह तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विवाहित विवाह द्वारा किया जायगा का प्रस्ताव हो, यह नई उपाधि के पूर्व कुलपति की जावार्द होता है।

१२.२० प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान अपने ऐसे भक्तों, पुलवालाती तथा उपचार करने के प्रबन्धक प्रयोगशाला-वर्षों और अपने ऐसे अधिकारक तथा अन्य कर्मसाधारियों की सेवाओं भी उपचन्य करना है।

१२.२१ प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान के अध्यायक-वर्षों में ऐसी अर्हता के अध्यायक होते हैं, जिन्हें देशी विवाह-विवाही दी जावार्द और जो सेवा की ऐसी अध्यायक होती है।

१२.२२ यदि किसी सम्बद्ध व्याविधान के विवाह-वर्ष का पट रित हो जाय, तो व्याविधान अवश्य विवाह-वर्ष के रूप में तब तक कर्य करेगा, जब तक सम्बन्ध करने से विवाह करना न कर सके, परन्तु ऐसा अध्यायक विवाह-वर्ष के रूप में तब तक कर्य करेगा, जिसे वह अध्यायक के पट पर रखने की अवश्यिता नहीं होती है।

१२.२३ प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान विवाहित विवाहों या अप्यादेशों में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा।

परन्तु इस विवाहितव्यकाती के बारम्ब होने के पूर्व सम्बद्ध विवाहित विवाह के विवाहत तथा परिवर्तन १२.०५ और १२.०६ में दी गई शर्तों के पूर्व करने की अन्यतर दूसरे द्वारा देशी विवाह करना है, जिन्हें कुलपति दुकियुक समझे, परन्तु यह भी कि यदि ऐसे सम्बद्ध व्याविधान के विवाहित विवाह विवाह-वर्ष के रूप में तब तक कर्य करेगा, जब तक सम्बन्ध करने से विवाह करना न कर सके, परन्तु ऐसा अध्यायक विवाह-वर्ष के रूप में तब तक कर्य करेगा, जिसे वह अध्यायक के पट पर रखने की अवश्यिता नहीं होती है।

१२.२४ प्रथेक सम्बद्ध व्याविधान विवाहित विवाहों या अप्यादेशों में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा।

१२.२५ सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध प्रशिक्षणात्मकों के लिये अवधिकारी एवं उपर्युक्त और सम्बद्ध सम्बन्ध पर कृतगतिशय को ऐसे रूप में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिकारी की जाए, विवरण प्रस्तुत करेगा।

१२.२६ महाविद्यालय के अध्यापक-कार्य के ऐसे समस्त पटों के सम्बन्ध में जो रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिनांक से पहले दिन के भीतर कृतगतिशय, सम्बद्ध निरीक्षक संस्कृत पठागाला, विद्या विद्यालय निरीक्षक और सम्बद्ध मध्यांगीष उप-शिक्षा निदेशक को दी जायगी।

१२.२७ इसी सम्बद्ध महाविद्यालय में इसी कक्षा अवधार अनुभाग (संक्षार) में दातों की संख्या, अध्ययन-काल में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ ६० से अधिक न होगी और यु-स्तरनि के पूर्वानुसूचन के सिवाय कोई नया अनुभाग प्राप्तन की विषय नहीं।

१२.२८ तब कभी इसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धनात्मक सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उम्मीदवारों के द्वारा, जिनके सम्बन्ध में 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' के द्वारा यह जाए जाए कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः उनके काहे और नियन्त्रण में है, अधिकारीका तथा इन परिवर्तनों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सम्बद्ध अधिकारीका या न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धनात्मक होने की सम्भता तो जल्दी है;

परन्तु इस परिवर्तन के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' द्वारादों को लिखित अध्यापेदन प्रस्तुत करें वा अप्रत्यक्ष दें।

सम्भागीयान्वय—इस बात का अवधारण बातें के लिए कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः इसके काहे तथा नियन्त्रण में है 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' भौमा की नियन्त्रण और उसके वास्तविक व्रतालय पर, संस्था की सम्पत्ति से होने वाली अप्त यी गति वा गति वा नियन्त्रण, ऐसी अन्य सुरक्षित परिवर्तनों को, जिनका अवधारणार्थ प्रसन्न के लिये महत हो, घायल में रखेगा।

१२.२९ सम्बद्धता का बना रहा इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिकारीम्, परिवर्तनों, अध्यादेशों द्वारा नियन्त्रित जाते और विश्वविद्यालय द्वारा जाती हों या अदेशों और नियन्त्रों का बाहर बाहर करने हैं।

भाग-५

सम्बद्ध महाविद्यालयों का नियन्त्रण

१२.३० (१) यही कार्य-परिषद्, अप्तवा कुर्वन्ति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को नियन्त्रण करते, वही वह महाविद्यालय को ऐसे नियन्त्रण के परिणाम और उनके सम्बन्ध में अपने विचार सुनित करता है और यो जाती वाली कार्यवाही को जारी में प्रबन्धनात्मक वाली करने का अधिकार देता है।

(२) यही इसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धनात्मक कार्य-परिषद् के समनोकानुसार कार्यवाही न करे, वही परिषद् प्रबन्धनात्मक द्वारा प्रस्तुत किसी सम्भागीय अवधा अध्यापेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे नियंत्रण जारी कर लकड़ी है, जो यह अधिकार उपर्युक्त और प्रबन्धनात्मक ऐसे नियंत्रों का पालन करेगा। नियंत्रों का पालन न करने पर कार्य-परिषद्, परिवर्तन १२.३३ के अधीन अवधा अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(३) यही इसी कानूनवाली पूर्वानुसूचित नियन्त्रण के पाँच कर्व के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का नियन्त्रण जारी रखना सम्भव न हो तो नियन्त्रक, संस्कृत पठागाला, वा सम्भागीय नियन्त्रक, संस्कृत पठागाला वा किसी सम्बन्धीय अधिकारी द्वारा लिये नये नियन्त्रण की विस्तृत के विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित के जारी किये जाने के बावजूद भी जाती को पूरा न करे तो कार्य-परिषद् कुर्वन्ति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए, सम्बद्धता नियन्त्रित कर सकती है, जब तक कि कार्य-परिषद् के समनोकानुसार जाती पूरी न कर दी जाय।

१२.३४ (१) कार्य-परिषद् कुर्वन्ति की पूर्व स्वीकृति से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो सूतंतः अप्तवा किसी उपर्युक्त विविध विवरण में सम्बद्धता के विश्वविद्यालयों में विविध कर सकती है, यदि वह कार्य-परिषद् के नियंत्रों का अनुसारन न करे या सम्बद्धता की जाती को पूरा न करे या येर कुर्वन्ति के कानून या किसी अन्य कानून से कार्य-परिषद् की यह यथा हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता में विविध किया जाना चाहिए।

(२) यही अध्यापकार्थक के बेतन का प्रयोगनाम नियन्त्रित करने से न किया जाय, अप्तवा अध्यापकों को उपर्युक्त विवरण न दिया गया है, विस्तृत नियंत्रण वा परिवर्तनों वा अध्यादेशों अवधा सम्बद्ध सम्बन्ध के अधीन हालात है, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिवर्तन के अविनाशित वापस हो ज सकती है।

१२.३५ (२) कार्य-परिषद् कुर्वन्ति की पूर्व स्वीकृति के बावजूद सम्बद्धता वा अन्य सम्बद्धता की जाती को पूरा न करे या येर कुर्वन्ति के कानून या किसी अन्य कानून से कार्य-परिषद् की यह यथा हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता में विविध किया जाना चाहिए।

(३) यही अध्यापकार्थक के बेतन का प्रयोगनाम अप्तवा के पदेन के अधीन हालात है, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिवर्तन के अविनाशित वापस हो ज सकती है।

१२.३६ (४) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धनात्मक की सम्बन्धता के लिये एक विनाशित होने, जिसमें नियन्त्रित होने —

(१) प्रबन्धनात्मक का सम्बन्धता अवधा संविचार, जो अप्तवा होगा;

(२) सम्बन्धता के लालायों द्वारा अन्यने में से नियन्त्रित हो अन्य सदस्य,

(३) प्राप्तवा (पदेन),

(४) प्रबन्धनात्मक का अपेक्षात्मक अप्तवा (पदेन)।

(५) महाविद्यालय का वाचार्यवाची विनाशित होने, जो अप्तवा होगा।

१२.३७ विन-सम्बन्धित महाविद्यालय का वाचिक बाट (एट-निपि को छोड़कर) बाहर कोरी, जिसे प्रबन्धनात्मक के सम्बद्ध उपर्युक्त विवरण तथा अनुसूचन के लिये रखा जायगा।

१२.३८ एस नया व्यव, जो महाविद्यालय के बाट में पहिले से न हो सम्भित है, विन-सम्बन्धित की विन्दिए दिये जाने की वाचार्य द्वारा किया जायगा।

१२.३९ बाट में व्यवस्थित अवधार्थ व्यव का प्रयोगनाम दियों विनियोगित नियंत्रों के अधीन रहते हुए, जो विन-सम्बन्धित द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायगा।

१२.४० सभी एट-निपि प्राचार्य द्वारा विनियोगित सम्बन्धितों की, जिसे कि एट-लालान-सम्बन्धित, प्रिक्षा-सम्बन्धित, अध्ययनकार्थ-सम्बन्धित और इसी प्रकार की अन्य सम्बन्धित, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिविविध में होने, सम्बन्धता में विविधत होगी।

१२.४१ एट-निपि के संस्कृत की सम्भागीय प्रबन्धनात्मक द्वारा नियुक्त किसी भी सम्भागीय कृतगति विवरण द्वारा हो, जो उपर्युक्त सदस्यों में से न हो, जो जायगी। सम्भागीय प्रिक्षा सम्भितालय की व्यवस्थीय अवधार्थ व्यव एवं विविध विवरणों पर विनियोगित अप्तवा के भीतर सम्बद्धता की जाती में नियंत्रित किन्होंने विवरणों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने को अपेक्षा करेगी, जो उपर्युक्त होती है।

१२.४२ एट-निपि व्यव द्वारा जागरातों से पर्याप्त सम्बन्धीय आप अन्य निपि में अवर्तित नहीं की जायगी और इन विवरणों से कोई ग्राम किसी भी प्रयोगन के लिए जाने वाली होती है।

अध्यात्म-१३

अधिकारात्मक, छात्रवृन्द, विन-सम्बन्धित, पदक तथा परिवर्तन

१३.०१ विन-सम्बन्धित अध्यादेशों में नियंत्रित प्रबन्धनों के अनुसार अधिकारात्मकीय (विवरण में विन-सम्बन्धित अधिकारात्मकीय भी सम्भित है), छात्रवृन्दीय, विन-सम्बन्धितीय, पदकीय तथा परिवर्तनीय

(१) नकाद रूप में कोई प्रयोगिता या ऐसे व्यापत प्रतिवृत्ति के रूप में, जिसकी कार्यक आप ५०० रुपये से ज्यादा हो।

(२) कोई स्वास्थ्य सम्बन्धि, जिसका कार्यक लालाम ५०० रुपये से ज्यादा हो।

१३.०२ सभी न्यायाल, छात्रों व्यवस्था के रूप में या सम्पर्क-क्रमान्वय के रूप में हो, उन सम्बन्ध सम्बन्धतों में जिसमें कामसंघ ग्रन्थि किसी विविध के उपर्युक्त विवरणों के अधीन

१३.०३ एट-निपि व्यव द्वारा जागरातों से पर्याप्त सम्बन्धीय आप अन्य निपि में अवर्तित नहीं की जायगी और इन विवरणों से कोई ग्राम किसी भी प्रयोगन के लिए जाने वाली होती है।

उपरिवारी और हिस्तोना प्रदान करना और बाप से लेना

१४.०१ हॉकटर ऑफ सेंटर्स (डी.एस.) अपना नामानुषयात्रा की सम्मानवार्ष उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, विज्ञानी अथवा वैद्यनाथ, साहित्य-संस्कृत, दर्शन, अभ्यासिताएं और अभ्युत्तिक ग्रन्थ-विद्यान सहाय्यों को संहीन रूप से विवरण दिया हो, अथवा जो उन्होंने शिक्षा के लिए उत्तरोन्तरांश सेवा की हो, प्रदान की जायगी।

१४.०२ कार्य-परिषद् सत्र: अपना लिटो-परिषद् जो विचारित पर, जो उपरोक्त कृत सदस्यता के बहुमत वाला उपाधिकारी और वह देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकलन द्वारा की जाय, सम्मानवार्ष उपाधि प्रदान करने का प्रारूप कुलाधिकारी की द्वारा १० (२) के अधीन पूर्ण के लिए प्रस्तुत कर सकती है :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यालयी या विश्वविद्यालय का सदस्य हो, ऐसे प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

१४.०३ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान या संस्कृत किसी उपाधि, हिस्तोना या नामानुषय को प्राप्त तेजे के लिए यात्रा ६७ के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विकास तकाल या घोषणे को सह करने के लिए अध्यक्ष दिया जायगा। कुलसंचित उसके विकास के लिए विवित आगेंगों की सूचना रजिस्टरेशन दफ्तर से प्रेतेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायगी कि वह आगेंगों की ग्राफिं से कम से कम पठाह दिन की अधिक के भौतिक अपना स्वर्णीकरण प्रस्तुत करे।

१४.०४ सम्मानवार्ष उपाधि को कापत सेवे के प्रत्येक प्रस्तुत पर कुलाधिकारी की पूर्व-प्रीव्यूति अपेक्षित होगी।

दीक्षानन्द-समारोह

१५.०१ (१) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, हिस्तोना और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टान्वय प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनाङ्क को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य-परिषद् निश्चय करे, एक दीक्षानन्द-समारोह अपेक्षित किया जा सकता है।

(२) कुलाधिकारी के पूर्वप्रीव्यूत से विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत दीक्षानन्द-समारोह अपेक्षित किया जा सकता है।

(३) दीक्षानन्द-समारोह ने पाठ ३ की उपराया (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निर्माणित निकाय गठित हो।

१५.०२ सम्बद्ध विद्यालय में व्याख्यान दीक्षानन्द-समारोह प्राचार्य कुलाधिकारी के लिक्षित पूर्वप्रीव्यूत से नियम करे, अपेक्षित किया जा सकता है।

परन्तु स्वामीय दीक्षानन्द-समारोह का, वर्दि कोई हो, दिनांक सम्बद्ध वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षानन्द-समारोह के दिनाङ्क के पूर्व न होगा।

१५.०३ ये या अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा संस्कृत दीक्षानन्द-समारोह वर्षनियम १५.०२ में विशित वित्त से अपेक्षित किया जा सकता है।

१५.०४ इस अप्याय में विनिर्दिष्ट दीक्षानन्द-समारोह में वासन यों जाने वाले इतिहास और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अपारोद्धरों में निर्धारित हो।

१५.०५ उहाँ विश्वविद्यालय या विद्या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के लिए वर्षनियम १५.०१ से वर्षनियम १५.०४ के अनुसार दीक्षानन्द-समारोह अपेक्षित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, हिस्तोना और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यासियों को विनिर्दिष्ट डाव द्वारा ऐसी जा सकती है।

धारा-१

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की झट्टें

१६.०१ पर्वनियम १०.०३ (१) में विनिर्दिष्ट विष्युक्ति या हिस्तो अभ्यासक को १० मास से अन्यायिक के लिए चुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई वित्त में घाट ३१ (३) के अपेक्षित विष्युक्ति या घाट १३ (१) के अपेक्षित विष्युक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अभ्यासक वर्तीशह 'ख' में दिवे समे व्रश में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

१६.०२ विश्वविद्यालय का अभ्यासक संस्कृत यूनि लॉर्निंग सेंटर एवं कार्नेगीनिस्ट एवं वर्दीशह 'न' में यों जाये अध्यरय-संहिता का वासन बरेग, जो नियुक्ति के सम्बन्ध अभ्यासक द्वारा हस्ताक्षर दिये जाने वाले कारण का एक बाग होगा।

१६.०३ घरीशह 'न' में यों जाये अध्यरय-संहिता के उपरायों में से किसी का उल्लंघन पर्वनियम १६.०४ (१) के अपेक्षित दुरादरम समझा जायगा।

१६.०४ (१) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का योर्ड कोई अध्यापक पदब्युत किया जा होता जा सकता है या उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है :

(क) कार्यवाही यों जान-बृद्धावर उपेक्षा;

(ख) दुरादरम;

(ग) गोका-तिक्तिका की किसी रात्रि का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय यों विद्यार्थियों के सम्बन्ध में बेरुदावी;

(ङ) सेक्केट्यावदयुक्त आचारण या बीतीशह शून्हे से अप्य अपराध के लिये दोर्हिंद;

(च) तापरीक या बारमिल अनुप्रदुक्ता;

(ज) अहमान;

(झ) पद की सम्पत्ति।

(२) घाट ३१ (२) में यों गोकी व्यवस्था के लिये लॉर्निंग सम्बन्ध करने के लिए, किसी यों पर्याय कम से कम तीन वास की नोटिस (या जब नोटिस अद्यवर माय के पर्याय यों जाय, तब तीन वास की नोटिस या यों समाप्त होने पर नोटिस, जो यों अधिक हो) यों जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में, व्याख्याति, तीन वास (या उपर्युक्त अधिक अधिक) का वेतन दिया जा वापस करना।

परन्तु उहाँ विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किये जाने के कारण सम्बन्ध करे, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह यों कि एकावर अपारोद्धरों से उल्लंघन की घाट १० या अधिक रूप से नोटिस की रात्रि का पर्यायका करने के लिये व्यवस्था होगी।

१६.०५ घाट ३२ में विनिर्दिष्ट विष्युक्ति यों सूत संस्कृति के लिये दिनांक के लिये कुलाधिकारण के लिये व्यवस्थापन के यहाँ जानी जायगी।

१६.०६ (१) पर्वनियम १६.०४ के खण्ड (१) में दीक्षित्वात्तिक दिनांक से विश्वविद्यालय के किसी अभ्यासक को पदब्युत करने, होते या उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अद्यवर (सिक्क वींशह शृंहि से अप्य अपराध के लिए लिद देव होने या यद तकनी दिया जायगा, तब तक कि अभ्यासक की, उसके विकद आयोप संग्रहालय, उल्लंघन प्रस्तुत करने का प्रस्तुत दिया जायगा) न होने से विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये को विश्वविद्यालय का उल्लंघन करने के लिये दिनांक नहीं होगी:

(२) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी:

(३) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(४) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(५) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(६) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(७) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(८) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(९) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(१०) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(११) अपेक्षित विष्युक्ति यों द्वारा उल्लंघन करने के लिए दीक्षित्वात्तिक दिनांक के लिये विश्वविद्यालय का उल्लंघन सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक सेवाये समाप्त करने का योर्ड कोई अभ्यासक नहीं होगी।

(४) किसी अन्य स्थिति में, वह वह अधिकारा में निश्चिद किया जाय, तो हे निरोप किसी आपराधिक अपरोक्ष के कारण हो स अन्यथा, उसके निरोप वा अवधि तक के लिये, निर्मित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट ४८ पट्टे की अधिक प्रयोग के गणना दोस्तिद्वारा के पश्चात् कारबाह के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोग के लिये कारबाह की संविधान अधिक पर भी वह कोई हो, बिचार किया जायगा।

(५) वह विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदमुक्त करने या सेवा से हटाने या आदेश अधिनियम या पर्यावरणाकारी के अधीन किसी कारबाह के परिणामस्वरूप या अन्य अपराध कर दिया जाय या नृन्य पर्याप्त कर दिया जाय या हो स अधिक और विश्वविद्यालय का समूचा अधिकारी, विधिकारी वा निकाय उसके निश्चिद अपराध जाह करने का विनियम हो, वह वह अधिक अपाराध पदमुक्त होने से ठीक सूची निर्मित हो, तो वह तनज़ा जायगा कि निर्मित का आदेश पदमुक्त या हटाने के बूत आदेश के दिनांक की और से मृत्यु हो।

(६) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निर्मित की अधिक में (समय-समय पर व्यापारोपित) उत्तर-परेश समाज के पाइनेनियात हैंडबुक, खण्ड २ के भाग २ के अध्याप ८ के उपखण्डों के अनुसार, जो आपराधक परिकल्पनों सहित लागू होंगे, निर्धार-भाग पाने का हकदार होगा।

१६.०८ परिनियम १६.०६ के खण्ड (२) या परिनियम १६.०७ के खण्ड (१) के दोस्तिद्वारा अधिकार अधिक वी सम्भाल करने में, वह अधिक, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश प्रकार में हो, सम्मिलित नहीं वी जायगी।

१६.०९ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेक्टर वर्ष में यात्रा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परिक्षा के सम्बन्ध में सम्बद्ध किसी कारबाह के लिये उस कलेक्टर वर्ष में अपने वेतन के कुल सेवा के छठे भाग या तीन हाफर फ्रैचे से, जो भी बन हो, अधिक कोई परिश्रमिक नहीं होगा।

१६.१० इस परिनियमाकारी में किसी वात के होने हुए ही—

(७) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो आपराधक परिकल्पनों पर व्यापारोपित) उत्तर-परेश समाज के पाइनेनियात हैंडबुक, खण्ड २ के भाग २ के अध्याप ८ के उपखण्डों के अनुसार, जो आपराधक परिकल्पनों सहित लागू होंगे, निर्धार-भाग पाने का हकदार होगा।

१६.११ परिनियम १६.०६ के खण्ड (२) या परिनियम १६.०७ के खण्ड (१) के दोस्तिद्वारा अधिकार अधिक वी सम्भाल करने की स्थिति नहीं वी जायगी।

(८) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक सेवा के लिये व्यापारोपित या नाम-निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या परिश्रमिक सूची पर व्यापारोपित हो, तो वह ऐसे निर्धारण या नाम-निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमाकारी के बारम्ब होने के दिनांक से, जो भी परवानगाएँ हो, उस पर यह जायगा;

(९) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो सेवा के लिये व्यापारोपित या नाम-निर्देशन के लिये विश्वविद्यालय में या परिश्रमिक या परिश्रमिक सूची पर व्यापारोपित हो, तो वह ऐसे निर्धारण या नाम-निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमाकारी के बारम्ब होने के दिनांक से, जो भी परवानगाएँ हो, उस पर यह जायगा।

स्पष्टीकरण—इस परिनियम के प्रयोगस्वार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राविधिक या नियम वी संकाय के सदस्यता या किसी संकाय के संकायाभ्यरुप का पर या किसी न्यायालय के प्रयोगस्वार्थ का परवानगाएँ व्यापारोपित होनी तनज़ा जायगा।

१६.१२ कार्य-परिशद दिवांकों की न्यूनता संख्या नियत करेंगी, जब कि देश अध्यापक अपने नीतिक वर्गों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु वह विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक सेवा के लिये व्यापारोपित होने के लिये विश्वविद्यालय में त्यार-पर देने या दुर्दी तेवे की अपेक्षा नहीं वी जायगी।

स्पष्टीकरण—इस परिनियम के प्रयोगस्वार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राविधिक या नियम वी संकाय के सदस्यता या नियम वी संकाय के सदस्यता या किसी संकाय के संकायाभ्यरुप का पर या किसी न्यायालय के प्रयोगस्वार्थ का परवानगाएँ व्यापारोपित होनी तनज़ा जायगा।

१६.१३ कार्य-परिशद दिवांकों की न्यूनता संख्या नियत करेंगी, जब कि देश अध्यापक अपने नीतिक वर्गों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा।

१६.१४ एक सर में दृष्ट कार्य-दिवस तक वी विश्वविद्यालय की दुर्दी पूर्ण वेतन पर होनी और वह ५० कार्य-दिवस तक संक्षिप्त वी जा सकती है।

१६.१५ वीमारी की दुर्दी, वेतन की चापू दर और वह दुर्दी के समय के लिये कोई प्रबन्ध हिया जाय, तो उसके कुल व्यापक कर्म से अधिक न होनी और यह संवित नहीं होगी। यह साधारणाया अवधारणा के दिन के साथ निर्माण नहीं जा सकेंगे, किन्तु विशेष परिवितायों ने कुलांकी उन कारबाहों से, जो अधिरिहित हिये जायेंगे, इस गार्व को अधिल्य-जन बद सकता है।

१६.१६ एक सर में दृष्ट कार्य-दिवस तक वी विश्वविद्यालय की दुर्दी पूर्ण वेतन पर होनी और वह ५० कार्य-दिवस तक संक्षिप्त वी जा सकती है।

१६.१७ वीमारी की दुर्दी, वेतन की चापू दर और वह दुर्दी के समय के लिये कोई प्रबन्ध हिया जाय, तो उसके कुल व्यापक कर्म से अधिक न होनी होगी।

१६.१८ एक सर में दृष्ट कार्य-परिशद के लिये विश्वविद्यालय की दुर्दी पूर्ण वेतन पर हो दी जा सकती है :

'परन्तु यह भी कि देश अध्यापकों की विनाश बदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिल्यामूलि' के लिये या आयोग द्वारा प्रायोक्ति किसी अन्य योग्यता के अपेक्षन विदेश में प्रतिष्ठान या अध्ययन के लिये दिया जाय हो, ऐसे विकल्पों और जातों पर विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये दुर्दी वेतन पर दुर्दी पूर्ण वेतन पर दी जायगी।'

१६.१९ एक सर में दृष्ट कार्य-परिशद के लिये विश्वविद्यालय की दुर्दी पूर्ण वेतन पर होनी, और जो व्यापक मास तक संक्षिप्त वी जा सकती है, तुन व्यारोगी से, जैसे—लम्बी वीमारी, अवधारण कार्य, अनुमोदित अध्ययन अध्यक्ष नियुक्त-प्रूता के लिये दी जा सकती है,

परन्तु, ऐसी दुर्दी लम्बी वीमारी को छोड़कर, केवल चार वर्ष की लालतार सेवा के प्रश्नात दी जा सकती है।

परन्तु यह और कि देश अध्यापकों की दुर्दी दरमां में दुर्दी कार्य-परिशद के लिये विश्वविद्यालय की दुर्दी से अधिक अधिक के लिये दी जा सकती है :

'परन्तु यह भी कि देश अध्यापकों की विनाश बदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिल्यामूलि' के लिये या आयोग द्वारा प्रायोक्ति किसी अन्य योग्यता के अपेक्षन विदेश में प्रतिष्ठान या अध्ययन के लिये दिया जाय हो, ऐसे विकल्पों और जातों पर विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये दुर्दी वेतन पर दुर्दी पूर्ण वेतन पर दी जायगी।'

स्पष्टीकरण—(१) कोई अध्यापक जो कोई स्पायो पर भूत करता हो या जो किसी मियन पर या स्पायो पर विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक से विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२१ कार्य-परिशद दिवांकों को देशी अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२२ कार्य-परिशद दिवांकों को देशी अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२३ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२४ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२५ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२६ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२७ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

१६.२८ किसी दुर्दी के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय, देशी अधिकारकृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अधिक के लिये विनाश गण विनिर्दिष्ट हिया जाय।

भाग- ३

अधिकारिता की आवृ

१६.२३ इस भाग में, पद नवे 'वेतनमान' का तत्वर्य समय-समय पर वकासरोपित वातानादेश लंबून-विका ११-१०४५/१५-१४ (६)-५२, दिनांक २८ दिसम्बर, १९७५ के अनुसार किसी अध्यापक की अनुमति वेतनमान से होती।

१६.२४ (१) नवे वेतनमान द्वारा विविधातात्पर के लिए अध्यापक की अधिकारिता आवृ वास्तव वर्त होती।

(२) विविधातात्पर के लिए ऐसे अध्यापक जो अधिकारिता आवृ तो वेतनमान द्वारा विविधातपर न हो, वास्तव वर्त होती।
विविधातपर को अध्यापक दिनांक ०१-०३-२००३ के पश्चात् अधिकारिता आवृ पूर्ण कर वातान साध पर वात रहत है, उसे जो अधिकारिता आवृ-दृष्टि सम्बन्धी साध प्रदान किया जाता है।

(३) इस परिविवाहकी के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिकारिता जो आवृ के उपचान वर्त होती पूर्व नहीं को जाती।

'परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिकारिता वात दिनांक ३० जून न हो, तो वह विका-सर के अन्न तक अर्थात् अनुमति ३० जून तक सेवा में वात रहती और अपनी अधिकारिता के दिनांक के लिए अनुमति दिनांक से आगामी ३० जून तक पुनर्नियोजित समझ जायगा।'

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक कारण से स्वयं ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें १६.४२ के स्वतन्त्रता नियम में भाग सेवा के कारण कामकाज का दृष्टि दिया जाता है और स्वतन्त्रता संभाल सेवानी पेशन वित रहते हों, उनकी अधिकारिता के दिनांक से आगामी ३० जून के पश्चात् एक वर्त की अनुमति अध्यापक के लिये पुनर्नियुक्त किया जायगा और उनकी तुन किसी वर्त की अधिकारिता के समानित के पश्चात् एक वर्त की अधिकारिता वात न होती है, एक वर्त की अनुमति अध्यापक के लिये पुनर्नियुक्त के लिये विवाह किया जा सकता है।

१६.२५ विविधातात्पर का ऐसे प्रत्येक अध्यापक जो १ अगस्त, १९७५ को परिविवाह १६.२४ में विविधातपर अधिकारिता जो आवृ के उपचान वाहावी गयी सेवा-अधिकारिता में वार्त रह रहा या और इस प्रकार वहाँ वर्त होती सेवा अधिकारिता वात दिनांक के पूर्व स्कॉल वर्ती रहती है, उस दिनांक के स्वयं परिविवाहकी और अध्यादेशों के उपचानों के अनुसार वहाँ गयी अधिकारिता स्वयंनियुक्त हो जायगा; किन्तु ऐसे अध्यापक नवे वेतनमान का साध उठाने का हकदार नहीं होगा।

१६.२६ विविधातात्पर के लिए अध्यापक की अधिकारिता वात दिनांक परिविवाह १६.२४ के उपचानों के अधीन रहते हुए, उस अध्यापक के उपचानों के लिए वाहावी गयी विविधातात्पर के दिनांक से वाहावी गयी होगा।

भाग- ४

अन्य उपचान

१६.२७ इस परिविवाहकी के प्रारम्भ होने के पूर्व लिए अध्यापक और विविधातात्पर के बीच जो गयी वर्त होती विष्वास सिवाय इस अध्यापक में दिये गये अधिकारितों के उपचानों के अधीन होती और इस अध्यापक के उपचानों के अनुसार तथा परिविवाह 'व' के साध परिविवाह 'व' में दिये गये पर जी शर्तों के अनुसार परिविवाह लगाई जायेगी।

१६.२८ परिविवाह १६.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ह) में डिस्ट्रिक्ट किसी कारण से सेवा से दूर्घटना किया जाया विविधातात्पर का वर्त होती अध्यापक, लिए विविधातात्पर का ऐसे विविधातात्पर से सम्बद्ध या सहयोग की वाहावीतात्पर में दियी भी स्वयं दिये गये विविधातात्पर की अधिकारिता और अध्यादेशों के उपचानों के अनुसार वहाँ गयी अधिकारिता स्वयंनियुक्त हो जायगा।

१६.२९ (१) विविधातात्पर का प्रत्येक अध्यापक परिविवाह 'व' के प्रकार ३ में अपनी वर्तिक रॉकिंग ग्राउंड रिपोर्ट दो प्रति में तेवर करेगा। मूल रिपोर्ट कूलर्सी के पास रखी जायगी और उसकी बहि अध्यापक अपने पास रखेगा।

(२) मूल रिपोर्ट पर, उसे कूलर्सी को देने के पूर्व, विवाहाभ्युक्त से प्रिय अध्यापक की दिया जाने के सम्बद्ध विवाहाभ्युक्त द्वारा विविधातात्पर किया जायेगा।

(३) लिए रिक्ष-सा के सम्बन्ध में दिये गये विविधातात्पर, प्रकार (१) या (२) में लिखित रूप सिवाय दिये जायेंगे।

१६.३० विविधातात्पर का प्रत्येक अध्यापक विविधातात्पर द्वारा सहायता परिकारों के सम्बन्ध में विविधातात्पर के अधिकारियों और प्रधिकारियों के निर्देशों या अनुपालन करने के लिए काम होता।

१६.३१ उहाँ अधिनियम द्वारा इस परिविवाहकी या अध्यादेशों के उपचानों के अपीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस लाभान्त करना अपर्याप्त हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उपके अनिवार्य तात्परी पर गिराई द्वारा से भेजी जा सकती है।

अध्यापक-१०

भाग- ५

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-इर्त

१७.०१ इस अध्यापक के उपचान लिए राज्य मानकर या स्वासीन शारीरिक द्वारा अन्य रूप से रोकित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लगा नहीं होते :

१७.०२ किसी अध्यापक को इस वास से अन्याय अधिकारित के लिये तुदी दिये जाने के कारण हुई किसी पिन में नियुक्त को होटका सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक परिविवाह 'व' में दिये गये विविधातात्पर, प्रकार (१) या (२) में लिखित रूप सिवाय दिये जायेंगे।

१७.०३ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं कर्तव्यान्वय गंगा और परिविवाह 'व' में दी गयी आचार-संकेत या पालन करेगा, जो नियुक्त के सम्बन्ध अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले करने का एक भाग होगा।

(२) परिविवाह 'व' में दी गयी आचार-संकेत के किसी उपचान वात द्वारा सम्बद्ध विविधातात्पर १७.०४ (१) के अव्यान्तरि द्वारा लगाया जायेगा।

१७.०४ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं कर्तव्यान्वय गंगा और नोटिस के वास से दूर्घटना के नियम कुप्रवर्तु किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(२) सिद्ध खण्ड (४) में दी गयी विविधातात्पर के संसा-संकेत सम्बन्ध लगाने के लिए किसी भी पर द्वारा वास से वाम तीन मास की नोटिस (या उस नोटिस अस्तु वास के परायां दी जाए, तब उसी वास की नोटिस या सर समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अपिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के वास में तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन वाहावीति, दिया या वापन किया जायगा।

परन्तु प्रबन्धन खण्ड (१) या खण्ड (२) के अपीन किसी अध्यापक को पदस्थृत करे अवश्य हटाये या उपकी सेवाये समाप्त करे या उस कोई अध्यापक प्रबन्धन वात संविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की अवश्यकता नहीं होती;

परन्तु यह भी कि पदस्थृत अवश्य समझाने द्वारा पूर्ण या अविश्वास लगाये गये अध्यापक को पदस्थृत करने के लिए स्वयं रखेगा।

(४) अध्यापक या स्वास्थ्य एवं कर्तव्यान्वय गंगा रूप से नियुक्त की अधिकारिता वात से दूर्घटना के नियम कुप्रवर्तु किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(५) अध्यापक या स्वास्थ्य एवं कर्तव्यान्वय गंगा रूप से नियुक्त की अधिकारिता वात से दूर्घटना के नियम कुप्रवर्तु किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

१७.०५ (१) किसी शारीरिक या अन्य अध्यापकों की नूत्र संकेत नियुक्त के दिनांक के लिये विविधातात्पर के पास जमा की जायगी।

१७.०६ (१) परिविवाह १७.०४ के खण्ड (१) में डिस्ट्रिक्ट किसी कारण से किसी अध्यापक को पदस्थृत करने, हटाने या उसकी सेवाये समाप्त करने का कोई अद्वेद नियम न दिया जाय और यित आचार पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है, उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे—

(२) अपने प्रतिवाद के लिए विशिष्ट बचाव प्राप्त करने वा, (ग) अस्तित्व सुनवाई वा, यदि वह ऐसा चाहे, और (गा) अपने प्रतिवाद में ऐसे गांधीजी को बुलने और परीक्षण करने के लिए, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवधारण न हो दिया जाय;

परन्तु प्रबन्धकान्त या उसके द्वारा जीवं करने के लिए प्रभिकृत अधिकारी अधिकारित विशिष्ट हिस्ते जाने कारण व्यापक सम्मिलित क्षेत्रों से किसी साझी की कुलाने से इनकार कर सकता है।

(२) प्रबन्धकान्त जीवं समवय, साकारातक जीवं अधिकारी को रिपोर्ट के दिनांक से दो बात के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक वो सेवा से पदचयन करने वा हटाने वा उसकी सेवाये सम्बाध करने का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें पदचयन करने, हटाने वा सेवा सम्बाध करने का कारण डिलिक्विट होता।

(३) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुलना यो जानने और अनुसोदन के लिए कुलानी को उसकी रिपोर्ट की जानने और वह तब तक प्रकार्तीय न होगा, जब तक कि कुलानी दलका अनुसोदन न कर दे।

(४) प्रबन्धकान्त, अध्यापक को सेवा से पदचयन करने, हटाने वा उसकी सेवाये सम्बाध करने के बाबत विभिन्नताएँ एक वा अधिक अधिकारीकृत हस्ता दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, और—

(१) विभिन्नताएँ के लिए बेतन कम करना,

(२) तीन वर्ष से अधिक विभिन्नताएँ अधिक के लिए वार्षिक बेतन-वृद्धि देना, तथा

(३) उसको नियन्त्रण की अधिकीय में, यदि जोई हो, बेतन से, जिसके अन्यायी विभिन्नता नहीं है, विभिन्नता करना।

प्रबन्धकान्त द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलानी को दो जावायी और वह तबों प्रकार्तीय होना जब और जिस सीमा तक कुलानी द्वारा अनुसोदित किया जाय। १७.०७ यदि किसी अध्यापक के विकास जोई हो, बेतन से, जिसके अन्यायी विभिन्नता नहीं है, विभिन्नता करना। १७.०८ यदि किसी अध्यापक के विकास जोई हो, तो प्रबन्धकान्त उसको परिनियम १७.०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (८) से (८) तक में उल्लिखित आधार पर नियन्त्रित करने के लिए शक्ति-सम्बन्ध होता। किसी आधार विभिन्नता में (जावायी से फिर किसी अध्यापक की विभिन्नता में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धकान्त के अनुसोदन की प्रबन्धकान्त में सम्बाध द्वारा किया जायता। प्राचार्य ऐसे यात्राएँ की सूचना प्रबन्धकान्त को राख देगा। यदि इस आधार पर नियन्त्रण का आदेश दिया जाय तब कि अध्यापक के विकास जोई हो, तो नियन्त्रण आदेश जारी किये जाने के प्रबन्धकान्त सह सम्बन्ध की सम्बाध पर नज़र हो जायता जब तक कि इस जीवं अध्यापक को उस अधोपयोगी की सूचना न दे दी जाय, जिसके बारे में जीवं कारण जाने का विचार देगा।

१७.०८ परिनियम १७.०६ के खण्ड (२) और परिनियम १७.०७ के प्रयोगनार्थ अधिकारी अधिकीय की यात्रा करने में ऐसे कोई अधिकीय, जिसमें किसी न्यायालय वा स्वामी आदेश जायेगा, सम्मिलित नहीं हो जायगा।

१७.०९ सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेजकार वर्ष में यात्रा ३४ (१) में विभिन्नता के प्रबन्धकान्त में सम्बाधित किसी कर्तव्य के लिये उस कालेजकार वर्ष में अपने बेतन के छठे बारे वा तीन हालात रूपये में, जो भी कम हो, अधिक कोई परिव्रक्षिक नहीं होगा।

१७.१० इस परिनियमकाली में किसी बात के होते हुए भी—

(१) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, जो सीमा वा राज्य विभागमाला का सदाचार हो, अधिकीय सदाचार की अधिकीय वर्षन महाविद्यालय वा प्रशासनिक वा परिक्रमिकीय वर्द पराग नहीं करेगा;

(२) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक सीमा वा राज्य विभागमाला के सदाचार के रूप में अपने विभागन वा नाम-विरेन्द्रन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक वा परिक्रमिकीय वर्द भारत किये हो, तो वह रोपे नियन्त्रण वा नाम-विरेन्द्रन के दिनांक से वा इस परिव्रक्षिमहासंघ के आगम्य होने के दिनांक से, जो भी एवं परागकाली हो, उस वर्द पर नहीं रह जायगा।

(३) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो सीमा वा राज्य विभागमाला के सदाचार हो, अधिकीय सदाचार की अधिकीय वर्षन महाविद्यालय वा प्रशासनिक वा परिक्रमिकीय वर्द पराग नहीं करेगा;

सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, जो सीमा वा राज्य विभागमाला के सदाचार हो, विभिन्नता संभावक के संकायाभ्यक्ष का पद वा किसी महाविद्यालय के जावायी का पद कोई प्रशासनिक वा परिक्रमिकीय वर्द नहीं राखना।

१७.११ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धकान्त कुलानी के पूर्वानुसोदन से उतने न्यूनान दिन निया करेगा, जिसने दिन ऐसा अध्यापक अपने रोलिं कर्तव्यों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध होना;

परन्तु उसी महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद वा राज्य विभाग-भवित्व के सब के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी रुद्धी पर समझा जायगा, जो उसे देव हो, और यदि कोई रुद्धी देव न हो, तो उसे किसी बेतन के रुद्धी पर समझा जायगा।

भाग-२

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए एकी सम्बन्धीय विषय

१७.१२ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए एकी सम्बन्धीय विषय से सम्बद्ध परिनियम १६.१२ से १६.२२ के उपलब्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार सामूहिक, मानो ब्रह्मणः शब्द 'कार्य-परिवर्द' और 'कुलानी' के स्वाम प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन' रखे जायेंगे।

भाग-३

अधिकारिता की आधु

१७.१३ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की आधु से सम्बन्धित परिनियम १६.२३ से १६.२६ के उपलब्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार सामूहिक, मानो ब्रह्मणः शब्द 'कार्य-परिवर्द' और 'कुलानी' के स्वाम प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन' रखे जायेंगे।

भाग-४

अन्य उपलब्ध

१७.१४ इस परिनियमकाली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के कार्यों की आधु से सम्बन्धित अध्यापकों और प्रबन्धकान्त के कीदों की आधु कोई नियुक्ति नहीं होती। इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपलब्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपलब्धों के अनुसार तबा विभिन्नता 'ग' के साथ पृष्ठित परिवर्द 'ध' में दिये गये विभिन्नता वर्ष (१) वा (२) की सार्वतों के अनुसार परिवर्तित समझी जायगी।

१७.१५ परिनियम १७.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) वा खण्ड (छ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदचयन किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अपना होने से उपलब्ध वा सहायुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

१७.१६ परिनियम १६.०७ के खण्ड (२) में (४), परिनियम १६.२९, १६.३० और १६.३१ के उपलब्ध, अध्यापक विभिन्नतों महिन, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक परिवर्तित परिवर्द के साथ सामूहिक, अध्याय-

(क) परिनियम १६.०७ के खण्ड (२) में (४) में, क्रमशः शब्द 'कुलानी' और 'कार्य-परिवर्द' के स्वाम प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन' रखे जायेंगे।

(ख) परिनियम १६.२१ में शब्द 'कुलानी' और 'विभागाभ्यक्ष' के स्वाम प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन' रखे जायेंगा।

अन्याय-१६

भाग-५

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की व्येक्षणा

१८.०१ इस अध्याय के परिनियमों से इस विभिन्नताकाली के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में सिवेनित अध्यापकों की प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन पर व्येक्षणा की व्येक्षणा की जायगी।

१८.०२ कुलसंचय का यह कर्तव्य होना कि वह आगे आये हुए उपलब्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अधायायित व्येक्षणा सुनी तैयार करे और रखे।

१८.०३ संकायों के संकायाभ्यक्षों में ज्येष्ठता का अवश्यक द्वारा संकाय के संकायाभ्यक्ष के रूप में की गई सेवा की कुल अधिकीय से हिस्ते जायगी;

परन्तु यह ही यह इससे अधिक संकायाभ्यक्ष उनके पद पर संकाय सम्बन्धीय तथा रखे हों, तो आगु में ज्येष्ठ संकायाभ्यक्ष इस अध्याय के प्रयोगनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

(क) किसी अध्यार्य की प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन के रूप में सिवेनित अध्यापकों की प्रबन्धकान्त वा विरेन्द्रन व्येक्षणा की व्येक्षणा की जायगी।

(ख) एक ही संवर्ग में वैयक्तिक परिवर्ति का सौंदर्य भवी द्वारा विभागाभ्यक्ष में उपलब्ध व्येक्षणा की व्येक्षणा की जायगी,

परन्तु उक्ती गोंधों जहाँ हारा एक से अधिक नियुक्ति एक ही समय में को गोंधों हो और वर्षावर्ष, बचत-समिति का कार्य-परिषद् द्वारा अधिकारिता वा बोगवता का त्रैम ही-गत विधा यथा हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारापरिक ज्येष्ठता इस प्रकार दीप्ति त्रैम द्वारा नियन्त्रित होती।

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियों एक ही बार में पद्धेश्वर द्वारा को गोंधों हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की पारापरिक ज्येष्ठता कही होती, जो उद्दीप्ति के सबक तक द्वारा बुन पड़ पर थी।

(८) जब (सम्बद्धानन्द सम्बद्ध महाविद्यालय, बाराणसी से विधि) किसी विश्वविद्यालय का किसी पटाक महाविद्यालय का किसी संस्थान में 'जहाँ यह उत्तर-प्रदेश या उत्तर भूमि के बहुत विद्यालय हो' २ मीलिक पद धरना करने काले कोई अधिकारक विश्वविद्यालय में तत्त्वान्वयनीय कोई गोंधों के पद पर 'जहाँ पटाक अपना १२५१ के पूर्व या उसके पश्चात्तन 'नियुक्त किया जाय, उन अधिकारक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उसके सेवा-काल में सम्बन्धित किया जायगा।

(९) जब विस्तर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में मीलिक पद धरना करने काले कोई अधिकारक 'जहाँ इस परिवर्तन किया जायगा, उस अधिकारक की ऐसे विश्वविद्यालय में मीलिक पद धरना करने काले कोई अधिकारक 'जहाँ इस परिवर्तन किया जायगा' के पूर्व या उसके पश्चात्तन '४ विश्वविद्यालय में अधिकारक नियुक्त किया जाय, तब उस अधिकारक की ऐसे विश्वविद्यालय में मीलिक काल में को गोंधों सेवा-अधिकारी की आधी अधिकारी विधि को उसकी सेवा-अधिकारी में नियन्त्रित किया जायगा।

(१०) किसी विश्वविद्यालय का संस्थान में प्रशासकीय नियुक्ति के प्रति को गोंधों सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोगनावर्त्ती नहीं ही जापती।

स्पष्टीकरण—इस अधिकार में, पद 'प्रशासकीय' नियुक्ति का तत्पर्य परा १३ की उपराना (६) के अधीन ही नहीं नियुक्तिसे है।

(११) ऐसे अधिकारी पद पर अनवारत सेवा की, किस पर कोई अधिकारक विद्यालय को नियुक्त किये जाने के पश्चात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धरा ११ (३) (ब) के अधीन उस पद पर मीलिक पद में नियुक्त किया जाय, तब उस ज्येष्ठता के विधि की जापती।

१८.०६ जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अधिकारक सम्बद्ध अधिकारी अधिकारत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, वहाँ ऐसे अधिकारियों की संग्रह ज्येष्ठता विधिविहित प्रकार से अधिकारियों की जापती—

(१) अधिकारी की विधि में, उत्तरांश के काल में को गोंधों मीलिक सेवा की अधिकारी पर विचार किया जायगा।

(२) उत्तरांश की विधि में, प्रधानांश के काल में को गोंधों मीलिक सेवा की अधिकारी पर विचार किया जायगा।

(३) उन आधारों की विधि में, जिनको उत्तरांश के काल में को गोंधों को अधिकारी उत्तरांश ही हो, तो प्रधानांश के काल में उत्तरांश सेवा की अधिकारी पर विचार किया जायगा।

१८.०७ जहाँ एक से अधिक अधिकारक सम्बद्ध अधिकारी अधिकारत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, और उनकी संग्रह ज्येष्ठता किन्तु पूर्ववर्ती उपन्यासों के अनुसार अधिकारित नहीं हो जा सकती है, वहाँ ऐसे अधिकारियों की ज्येष्ठता पूर्ववर्ती उपन्यासों के अनुसार पर अधिकारित की जापती।

१८.०८ (१) किसी अन्य विविध विधि में किसी बात के होने हुए भौं, यदि कार्य-परिषद्—

(२) विधव-समिति की विधारित से सहमत हो, और एक ही विधारि में अधिकारियों के काल में विधुकि के विधि दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुसृति करे, तो यह एक अनुसृति करने के सम्बन्ध अधिकारियों को अधिकारित करेंगे।

(३) विधव-समिति की विधारितों से सहमत न हो, और परा ३१ (८) (क) के अधीन नामान्वयन कुलाधिकारि को विधुकि करे, तो कुलाधिकारि उन सम्बन्धों में, जहाँ एक ही विधारि में दो या अधिक अधिकारियों की विधुकि अनुसृत हो, ऐसे विदेश का अवधारण करते समय ऐसे अधिकारियों का योग्यता-क्रम अवधारित करेंगे।

(४) ऐसे संस्कृत-क्रम की, जिसमें खाना (१) के अधीन दो या अधिक अधिकारक रखे जान, मूल्यान्वयन अधिकारियों को उनकी विधुकि के पूर्व दो जापती।

१८.०९ (१) कुलाधिकारि सम्बद्ध-सम्बन्ध पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे, विनामें/विनम् अधिकार के काल में कुलाधिकारि और कुलाधिकारि द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने काले दो योग्याधिकारी होंगे;

परन्तु उन संकाय का, जिसमें अधिकारियों का (विनामी ज्येष्ठता विधारित हो) संघर्ष हो, संकायाधिकार संग्रह ज्येष्ठता समिति का संघर्ष नहीं होगा।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारक की ज्येष्ठता के बारे में प्रधानक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा, जो विनियोग के कारण उत्तिष्ठित करते हुए, उसे विधिविहित करेंगे।

(३) ज्येष्ठता समिति के विनियोग से व्यविधि कोई अधिकारक द्वारा विनियोग संसूचित किये जाने के दिनांक से जात दिन के भीतर कार्य-परिषद् की अधीनत कर सकता है। यदि कार्य-परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसे अधिकारियों के कारण करायेगी।

भाग-२

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अधिकारियों की ज्येष्ठता

१८.१० सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अधिकारियों की ज्येष्ठता अधिकारित करने में नियन्त्रिति विधि का प्रत्यन विधा जायगा :—

(१) प्राचार्य-सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्राचार्य विधारि भेदों के द्विसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा,

(२) उत्तरांश भेदों के द्विसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य विधारि भेदों के द्विसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(३) गोंधों के द्विसी संवर्ग का कोई अधिकारक विधारि भेदों के द्विसी महाविद्यालय के ऐसे संवर्ग के अधिकारक से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(४) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अधिकारियों की ज्येष्ठता भीतिक हाप में विधुकि किये जाने के दिनांक से अनवारत सेवा-काल के अनुसार अवधारित ही जापती;

(५) संयोग हीतिवापन में (उद्दरनाम प्रस्तर्य या अधिकारक के हाप ने) को गोंधों सेवा की गणना मीलिक विधुकि के अनुसार कार्य-पर इतन करने के दिनांक से की जापती;

(६) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उसी भेदों के द्विसी अधिकारक विधारि विधि के मीलिक हाप से ज्येष्ठता पूर्ववर्ती उपन्यासों के अनुसार अवधारित ही जापती;

(७) एक ही भेदों के महाविद्यालय के अधिकारियों में उत्तरांश संवर्ग या भेदों का अधिकारक विधारि संवर्ग के अधिकारियों से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(८) अन्य सेवा के लिए तीन गोंधों की अधिकारी या उत्तरांश ज्येष्ठता के लिए नहीं ही जापती।

१८.११ जहाँ एक से अधिक अधिकारक सम्बद्ध अधिकारी अधिकारत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, वहाँ ऐसे अधिकारक या संग्रह ज्येष्ठता नियन्त्रिति विधिविहित प्रकार से अधिकारित ही जापती :—

(१) प्राचार्यों की विधि में विधारि भेदों के द्विसी विश्वविद्यालय में प्राचार्य के हाप में को गोंधों मीलिक सेवा की अधिकारी पर विचार किया जायगा;

(२) अधिकारियों की विधि में, विधारि भेदों के द्विसी महाविद्यालय में उत्तरांश संवर्ग में को गोंधों मीलिक सेवा की अधिकारी पर विचार किया जायगा।

(३) यदि दो या अधिक प्राचार्य अधिकारक सम्बद्ध अधिकारी अधिकारत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, और उनकी संयोग-ज्येष्ठता विधुकि के अनुसार अवधारित ही जापती।

१८.१२ जहाँ विश्वविद्यालय के प्राचार्यों में प्राचार्य या अधिकारक के हाप में विधुकि के प्रयोगतावान्वयनीय व्यक्ति ज्येष्ठता अवधारित ही जापती है, वहाँ देशमें प्राचार्य या अधिकारक के हाप में को गोंधों सेवा की गणना यी जापती और जहाँ दो या अधिक प्राचार्य या अधिकारक सम्बद्ध इस प्रयोगताने के लिए सम्बन्ध अधिकारी की जापती है, वहाँ देशमें संयोग-ज्येष्ठता आगु यो ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित ही जापती।

१८.१३ (१) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विधारि में या एक ही विधारि के लिए अधिकारक विधुकि किये जाय, तब उनकी संयोग-ज्येष्ठता उपर अधिकारित हो जायेगी।

(२) यदि अधिक अधिकारियों की ज्येष्ठता खण्ड (१) के अधीन अवधारित ही गोंधों तो उनकी सूचना प्रबन्धनन्द द्वारा अधिकारियों को उनकी विधुकि के पूर्व दो जापती।

१८.१४ एक ही महाविद्यालय के प्राचार्यों या अधिकारियों के हाप में सम्बन्ध विधारि द्वारा विनियोग से व्यविधि के अनुसार संयोग-ज्येष्ठता के लिए विधारि द्वारा विनियोग के कारण उत्तिष्ठित करेंगे।

१८.१५ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों या अधिकारियों से विधि की विधारि द्वारा विनियोग से व्यविधि के अनुसार संयोग-ज्येष्ठता के लिए विधारि द्वारा विनियोग के कारण उत्तिष्ठित करेंगे।

१८.१६ (१) पर्यावरण १८.०८ के उपवन्य, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अधिकारियों पर लानु होंगे, जिनके लिए कार्य-परिषद् 'कार्य-परिषद्' और 'कुलाधिकारि' के स्वयं पर लान्द 'प्रबन्धनन्द' और 'कुलाधिकारि' रख दिये जायेंगे।

(२) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की प्रत्येक ज्येष्ठा सूची इस अध्ययन के परिणामों के उपर्याहे के अनुसार महाविद्यालय के प्रबाच्यं द्वारा तैयार की जावाही और गुण जावाही।

(३) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों में उपर्याह संवर्तन का ग्रंथी वा अध्यापक विद्यालय संवर्तन का ग्रंथी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझौता जावाही।

(४) इस अध्यापन में दिये गये परिणाम से इस परिविवरणकाली के प्राप्ति होने के पूर्व महाविद्यालय में नियोजित एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर ध्वनि नहीं पढ़ेगा।

अध्याय - ११

आशावास

११.०१ विश्वविद्यालय अपने हाथों के निकास के लिए छावावास वा छावावासी का अनुसृत होगा।

११.०२ कार्य-परिवर्तन, पूर्वकी परिविवरण में निर्दिष्ट छावावास वा छावावासी का नियन्वन्न और फलनद परेगी। छावावास का अन्वित विवाहन और अनुवासन एक वार्डों में विभिन्न होगा, जो कुलपती द्वारा तीन वर्ष से अन्वित अधिकारी के लिए विवृक्त किया जावेगा। वार्डों के रूप में विवृक्त किया गया व्यक्ति पुनर्विद्युति के लिए पात्र होगा। वार्डों के पद पर कोई अविवित विभिन्न से अधिकारी के लिए कुलपती द्वारा भी जावेगी।

११.०३ विश्वविद्यालय द्वारा अनुसृत छावावास में निकास करने के लिये तीन अध्यादेश द्वारा विभिन्न वीं जावेगी और अन्वित प्रत्येक छावावास वा नियोजित छावावास के संवाचनाभक्त, कुलपती वा कार्य-परिवर्तन द्वारा इस नियन्त्रित प्रक्रिया विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जावा।

११.०४ छावावास वा संवाचनाभक्त ऐसे हाथों के, जिन्हें छावावास में रखना न चाहिए, अन्य निकास-व्यापों को मानवता प्रदान करने के लिये कार्य-परिवर्तन की विवाहित करता है।

११.०५ प्रत्येक ऐसे द्वारा को, जो किसी छावावास वा मानवता-प्राप्त निकास व्याप में निकास न करता है, विश्वविद्यालय गहावता और अनुवासनिक पर्यावरण और ऐसे अन्य प्रदूषकों के लिये की अध्यादेश में विभिन्न दिये जायें, किसी छावावास से सम्बद्ध रहेगा।

अध्याय - १०

अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं की मानवता

२०.०१ विद्या-परिवर्तन की सिक्खारिता पर कार्य-परिवर्तन द्वारा अध्यापकों को भी यों लक्ष्यानिष्ठ विद्याम् हो—

(क) विश्वविद्यालय की परिवर्तनों के लिए विद्यावाही को पढ़ाने और हैंदार करने,

(ख) विश्वविद्यालय की अनुवासन उपर्याह के लिए अन्वर्तनों को अनुभवान्वयन-कार्य के लिए यार्ग-दर्शन करने और निवार करने के लिए मानवता देने सकती है।

२०.०२ विद्या-परिवर्तन की सिक्खारिता पर कार्य-परिवर्तन दिया विद्या-संवय को विश्वविद्यालय की अनुभवान्वयन उपर्याह के लिये अन्वर्तनों को, जो परिविवरण २०.०१ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मानवतावान अध्यादेश के मानवतावान में अन्या अनुसृत्यान-कार्य करें, हैंदार करने की मानवता देने सकती है।

२०.०३ परिविवरण २०.०१ और २०.०२ के अधीन अध्यापकों या किसी विश्वविद्यालय वा विद्या संस्थान को मानवता देने की रुटि अध्यादेशों द्वारा विभिन्न की जावेगी।

अध्याय - २१

प्रकृति

२१.०१ विश्वविद्यालय के किसी प्रभिवाही वा निकास के सभी नियन्वन्न आनुसृतिक प्रतिविवरण प्रकारी के अनुसार एकल संक्षेपर्यग वा द्वारा परिस्थित 'क' में विभिन्न दीर्घ से होते।

२१.०२ यार्ग ७ के उपर्याह के अधीन यहें हुए, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा सम्भवित किसी परिवेश में प्राइवेट अध्यापकों के रूप में बैठने की अनु-मति देने सकता है, परन्तु—

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में विभिन्न अनेकों को दूरा करता है, और

(ख) ऐसी परिवेश ऐसे विवद वा विकाश प्रत्यक्षम से सम्भविता न हो, वित्तमें व्यापहारिक परिवेश प्रत्यक्षम का भाव हो।

२१.०३ परिविवरण २१.०२ का उपर्याह आवश्यक परिवर्तनों महिल वाचाचार प्रत्यक्षम पर लगा होगा।

२१.०४ इन परिविवरणकाली वा विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दी गयी किसी बात के होते हुए भी—

(।) किसी विद्या वर्ष में ३१ अग्रवाल के परवान एवं प्रवेश नहीं होना जावेगा।

(।) विश्वविद्यालय विद्या संस्थानकाली वा विश्वविद्यालय के अध्यादेश नहीं होना जावेगा।

(।) १५ वर्ष उपर्याह विवरण :

'परन्तु १९८६-८७ के विद्या-प्राप्ति के लिये विश्वविद्यालय की सभी परिवर्तन १५ नूर, १९८७ तक पूरी की जा सकती है और कव १९८७-८८ के लिये प्रेश्वा १५ किलोवर, १९८७ तक पूरी की जा सकते हैं।

२१.०५ किसी अध्यापकों को अपने कीशिकाल में सुपर करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अग्रवाल विभिन्न परिवेश में दूरी स्थानों के लिए यार्ग-दर्शन के एक यार्ग एक प्रश्न-पर्याह की परिवेश में दूरी स्थानों के लिए यार्ग-दर्शन के एक यार्ग एक प्रश्न-पर्याह की जा सकती है।'

२१.०६ (।) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय अवका इसके समन्वय द्वारा सम्भव तथा सहायता-प्राप्त है और अशासकीय है, में सेवारत रिहाईयों/रिहाईनर जर्मनीसिरों के ख्रिस्तीयों द्वारा परिविवरणकाली के परिस्थित 'व' में उपर्याह 'सेप्टेम्बर' में नूत रिहाईयों/रिहाईनर कर्मचारियों के आस्तीनी वीं चर्ची विभावकाली के अनुसार सेवायोजन प्रदान किया जाय।

(।) इस विभावकाली के प्रयुक्त होने के परवानु उत्तर-प्रदेश सेवायोजन से शूल सहायता-प्राप्त होना विभिन्न समान्वय विभावकाली के अनुसार प्राप्त होना जावेगा।

२१.०७ (।।) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से समन्वय ग्राम सहायतामान अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में विवृक्त शिक्षकों/शिक्षियों/कर्मचारियों को इस परिविवरणकाली के संस्थान परिस्थित 'ह' में उपर्याह विभावकाली के अनुसार सेवायोजन प्रदान किया जाय।

(।) इस विभावकाली के प्रयुक्त होने के परवानु उत्तर-प्रदेश सेवायोजन द्वारा समान्वय विभावकाली के अनुसार समन्वय पर विभिन्न परिवर्तन समन्वय में नहीं है, के समन्वय में यही विभाव के लिये एवं संस्थानीय/परिवर्तन समझौता जावेगा।

२१.०८ (।।) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में समन्वय ग्राम सहायतामान अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में वार्षिक रिवॉर्टों/शिक्षियों/कर्मचारियों को इस परिविवरणकाली के परिस्थित 'ह' में उपर्याह 'सेप्टेम्बर' में नूत रिवॉर्टों/रिहाईनर कर्मचारियों के आस्तीनी वीं चर्ची विभावकाली के अनुसार सेवायोजन प्रदान किया जाय।

(।) लाभान्वय विभावकाली के समान वीं अनुसार, उपर्याह द्वारा समान्वय विभावकाली के लिये एवं संस्थानीय/परिवर्तन समझौता जावेगा।

(।) लाभान्वय विभावकाली के समान वीं अनुसार, उपर्याह द्वारा समान्वय विभावकाली के लिये एवं संस्थानीय/परिवर्तन समझौता जावेगा।

(।) लाभान्वय विभावकाली के समान वीं अनुसार, उपर्याह द्वारा समान्वय विभावकाली के लिये एवं संस्थानीय/परिवर्तन समझौता जावेगा।

२२.०१ जब तक विभाव या समन्वय में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिविवरणकाली में—

(।) 'परिशक्त' का लाभान्वय स्थानीय विभाव द्वारा दिया जायेगा,

(।) जबकि जब तक संवाचन समन्वय में अपने अपने विभावकाली के लिये एवं संस्थानीय/परिवर्तन समझौता नहीं होता है,

(।) 'विभावकाली' का लाभान्वय अधिविवरण की पारा ९ के खण्ड (ख), (ग) और (घ) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और अधिविवरण २०.१—२ के अधीन इस काल में विभिन्न अधिकारीसों से हो।

२२.०२ (।) किसी भी देश समझौते में, विभावकाली की रूप हो विभावकाली की उपर्याह या अवधारण के प्रत्यक्ष विभावकालीपर्याह विभावकालीपर्याह के लिये वह अधिकारी से लियाउत है वह संस्थानकाल के लिये एवं संस्थानीय वीं हावीन, अवधारण या दुर्बल्यामान के लिये या एसी विवाहानी के सम्बन्ध ज्ञावाही वीं हावीन, अवधारण या दुर्बल्यामान के लिये ज्ञावाही वीं हावीन के द्वारा आदेश द्वारा समान्वय पर समान्वय पर समान्वय वा विभावकाली को एसी अध्यापकों के संस्थानित विभावकाली के द्वारा जावाही जावेगा;

२२.०३ जबन्तु कुलपती से विभावकाली वीं अधिकारीसों से स्पष्टीकरण कुलपती के माध्यम से मौजूद जावेगा।

टिप्पणी :—(१) वर्णक द्वारा का इस प्रयोग के लिये उपरोक्त द्वारा निश्चिह्न जीव के लिये अधिकृत बोई सूचना और समाज सम्बन्धित परिदि और अधिकृत अधिकारी द्वारा (या वह ऐसी सूचना, जो अधिकृत उल्लंघनारों से भिन्न व्यक्ति के कर्तव्य में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सदाचार से अधिकृत लूकियुक् सबम के भीतर प्राप्तता होना चाहया और दिखाया जायगा।

(२) नमूद (१) में दिये गये उपरोक्तों की व्याख्याता पर प्रतिकृत प्रभाव दाते जिन, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण यीन सकता है—

(क) जहाँ व्यक्त इस परिवाराकाली के या अधिकृतम के या इसके अधीन व्यापे गये अभ्यादेशों या विविधतों के उपरोक्तों के उल्लंघन में दिखा गया हो;

(ख) जहाँ हासि न्यायालय अधिकृतिवाले व्यापों के बिना कोई उच्च टेपियर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहाँ न्यायालयप्रतिवाद को देव वित्ती प्रबन्धित का परिवार इस परिवाराकाली के या अधिकृतम के या इसके अधीन व्यापे गये अभ्यादेशों या विविधतों के उपरोक्तों के उल्लंघन में दिखा गया हो;

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देवों द्वारा व्यापार करने में उपरोक्त के कारण हानि हुई हो;

(ज) जहाँ विश्वविद्यालय को विधि या सम्बन्धी की अभिकृत के लिए लूकियुक् सूचनानी न बदलने के कारण हानि हुई हो।

(१) उस अधिकारी की, जिसमें स्पष्टीकरण दोहरा नहीं हो, विविधत अभ्यादेश पर विश्वविद्यालय उपरोक्त मामलों अधिकृतिवाले के लिये अधिकृत भुविधाये देना। स्पष्टक, सबद अधिकारी के अधीन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये सबद यो युक्ति-युक्त अधिकृत तक बहा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अधिकृत अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोग के लिये सबद अधिकृत अभिलेखों का विश्वविद्यालय अपने नियन्त्रण से भी कालीन से नहीं कर सका। स्पष्टीकरण—अधिकृतम का हासिल अधीन व्यापों मध्ये परिविधियों या अभ्यादेशों का उल्लंघन व्यापे गये विश्वविद्यालय के घन की हानि, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग समझा जायगा और ऐसी अधिकृत नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को बेतन या अन्य देवों का भुगतान विश्वविद्यालय के घन की हानि, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग समझा जायगा।

२.०३ नियन्त्रित अधिकृत यो व्यापियों के प्रबन्ध और स्वीकारण पर, यदि व्याप के भीतर बान हो, विवार करने के प्रबन्ध, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनादारि या उपरोक्त के लिए, विसके लिए ऐसे अधिकारी उपरोक्त व्यक्ति में उल्लंघन हो, अधिकृत लाता सकत है :

परन्तु यह दो या अधिक अधिकारीयों की उपरोक्त या अधिकृत के परीक्षकस्वरूप दानी, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग से से प्रत्येक ऐसा अधिकारी संबद्ध हो, और प्राप्तकर्ता दानी :

परन्तु यह भी कि योई अधिकारी विसी ऐसी हानि, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग के दिनांक से दश वर्षों से सामानी के प्रबन्ध, या उसके ऐसा अधिकृत न रह जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपोत्त कर सकता है। अद्युक्त प्रबन्ध द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विश्विदित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकत है, जैसा यह दृष्टिपात्र समझा। इस प्रकार दिया गया आदेश अनियम होगा और इसके विवर वोई अद्युक्त न हो लड़ोगी।

२.०५ (१) अधिकारी, जिस पर अधिकृत समाधा नहीं हो, ऐसा अधिकृत समाधा के भीतर या ऐसे अधिकृत समाध के भीतर या उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा विश्वविद्यालय का नाम, अधिकृत यो प्रबन्धित करेगा :

परन्तु यह प्रबन्धक द्वारा दिये गये अधिकृत के अधीन-पत्र के विकास परिवर्तन २.०५ के अधीन कोई अधीन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनादारि यो व्यापार के उपरोक्त को नहीं हो, तो अधीन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनादारि यो व्यापार के उपरोक्त को नहीं हो, और प्राप्तकर्ता दानी :

(२) यदि अधिकृत की धनादारि का भुगतान खण्डा १ में नियन्त्रित अधिकृत के अधीन-पत्र के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय नियन्त्रित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपोत्त कर सकता है। अद्युक्त प्रबन्ध द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विश्विदित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकत है, जैसा यह दृष्टिपात्र समझा। इस प्रकार दिया गया आदेश अनियम होगा और इसके विवर वोई अद्युक्त न हो लड़ोगी।

२.०६ (१) अधिकारी, जिस पर अधिकृत समाधा नहीं हो, ऐसा अधिकृत समाध के भीतर या ऐसे अधिकृत समाध के भीतर या उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा विश्वविद्यालय का नाम, अधिकृत यो प्रबन्धित करेगा :

परिवर्तन-‘क’ (विश्वविद्यालय २.१० और २.१.०१ देखिए)

अनुप्रयोगिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्षमणीय मत द्वारा निर्वाचित

भाग-१ सामान्य

१. जब तक कि अनुप्रयोगिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुप्रयोग एकल संक्षमणीय मत द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा नियन्त्रित हो सकत न हो—

(क) ‘अभ्यादेश’ का लातर्वर्य विवरण लाइन के लिए सम्बद्ध काफ से अर्ह, ऐसे व्यक्ति से हो, जो सम्बद्ध काफ से नाम-नियन्त्रित दिखा गया हो;

(ख) ‘अनुवात अभ्यादेश’ का लातर्वर्य ऐसे व्यक्ति से हो, जो न तो नियन्त्रित हुआ हो और न विश्वविद्यालय पर मतदान से अपवार्तित हुआ हो;

(ग) ‘निर्वाचक’ का लातर्वर्य ऐसे व्यक्ति से हो, जो नियन्त्रित में अपना मत देने के लिए लातर्वर्य रूप से अर्ह हो;

(घ) ‘नियन्त्रित पत्र’ का लातर्वर्य ऐसे मत-पत्र से हो, जिस पर किसी अनुवात अभ्यादेश के लिए कोई अप्रत्यक्ष अधिकृत अभिलिखित न हो, परन्तु कोई वह तब भी नियन्त्रित समझा जायगा, यदि—

(क) उसमें दो अध्यक्ष अधिकारीयों के नाम, यहों वे अनुवात हो या न हो, समान अद्यु से विद्युत हो और उनका स्वाम अधिकार-क्रम में अग्रता हो; या

(ख) अधिकार-क्रम में अप्रत्यक्ष अध्यक्ष का नाम, यहों यह अनुवात हो या न हो—

(ग) ऐसे अद्यु से विद्युत हो, जो समरप में किसी अन्य अद्यु के परमानन्द-क्रमनुसार न हो; या

(घ) दो अध्यक्ष अध्यक्षों से विद्युत हो।

(क) ‘प्रमान अधिकार-क्रम’ का लातर्वर्य ऐसे अध्यक्ष के पक्ष में मत से हो, जिसके नाम के सम्बन्ध मतदान में अद्यु ‘१’ लिखा हो, “द्वितीय अधिकार-क्रम” का लातर्वर्य ऐसे अध्यक्ष के पक्ष में मत से हो, जिसके नाम के सम्बन्ध मतदान में अद्यु ‘२’ लिखा हो; “तृतीय अधिकार-क्रम” का लातर्वर्य ऐसे अध्यक्ष के पक्ष में मत से हो, जिसके नाम के सम्बन्ध मतदान में अद्यु ‘३’ लिखा हो और इसी प्रक्रम में अप्रत्यक्ष भी लिखा हो;

(ख) ‘कोटा’ का लातर्वर्य उस संस्कार से हो, जो किसी अध्यक्ष के लातर्वर्य उसे विश्वविद्यालय के लिए प्रदान हो;

(ग) ‘अधिकारक’ का लातर्वर्य उस संस्कार से हो, जो लिखने से किसी अध्यक्ष के लातर्वर्य उसे विश्वविद्यालय के लिए प्रदान हो;

(ज) किसी अध्यक्ष के सम्बद्ध में, ‘मूल मत’ का लातर्वर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से हो, जिस पर उस अध्यक्ष के लिये प्रदान अधिकार-क्रम हो;

(क) किसी अध्यक्ष के सम्बद्ध में, ‘मूल मत’ का लातर्वर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से हो, जिस पर उस अध्यक्ष के लिए, द्वितीय अध्यक्ष उसके बाद वाला कोई अधिकार-क्रम नहीं होगा;

(ख) ‘अधिकार-क्रम’ का लातर्वर्य ऐसे मत-पत्र से हो, जिस पर किसी अनुवात अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष अधिकृत अभिलिखित हो।

२. कुलसंचित नियन्त्रित अधिकृत होगा, जो सभी नियन्त्रितों के सम्बद्धन के लिये उल्लंघन होगा।

३. कुलसंचित—

(१) प्रत्येक नियन्त्रित के प्रतिक्रिया के उपरोक्तों के अनुकूल दिनांक नियन्त्रित करना तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में संरक्षितन करने की,

सिवाय उस दिनांक के जब ऐसे प्रतिक्रिया के उपरोक्तों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(२) संदेह की दरह में किसी अधिकृतिवाले मत की वंपत्ति अप्रत्यक्ष अधिकृत का विनियोग।

४. सभा के गोपनीयकृत स्वाक्षरों का नियन्त्रितप्रतिवाद करने सदस्यों का नियन्त्रित विषय में कुलसंचित सुविधा तथा नियन्त्रित के कारण नियन्त्रित हो। दाव द्वारा मत-पत्र से दिखा जायगा। अन्य नियन्त्रित सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं अप्रत्यक्ष नियन्त्रितों में दिखा जायगा।

५. नियन्त्रित नियन्त्रितप्रतिवाद में होगा—

विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय-क्रम द्वारा नियन्त्रित—

अध्यक्षों के नाम तथा अधिकार-क्रम १, २, ३ इनपर अद्यु द्वारा (रिक स्वाम में) इनियत किये जायें।

६. नियन्त्रित अपने नाम देने के—

(क) अपने नाम तथा अध्यक्षों के नामने लिखेंगा, जिसकी वह अपना वह दे, और

(ख) इसके प्रतिविवरण अपने अध्यक्षों को वह बढ़ाए, अपनी प्राप्त या अधिकार-क्रमों के नाम के सम्बन्ध क्रमांक: २, ३, ४ तथा इसे प्रदान अधिकृत

अद्यु द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

७. वह नामने अधिकार-क्रम होगा—

(३) विस पर अद्यु १ न लिखा हो, या

- (४) विस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के बारे में अद्यु १ लिखा हो, या
- (५) विस पर एक ही अभ्यर्थी के नाम के बारे में अद्यु १ तथा कोई अद्यु लिखा हो, या
- (६) विस पर अद्यु १ ऐसा लिखा हो जिसमें यह सन्देश हो कि, वह विस अभ्यर्थी के लिये अधिकतम है, या
- (७) मात्रव द्वारा निर्वाचित ही दरवा में, विस पर कोई ऐसा चिह्न बना हो जिसमें हि मात्रावाला बद्र में पहचान जा सके, या
- (८) वो उक्त प्रयोग के लिए अन्वयित प्रयोग में न हो।

भाग- २

डाक बह-पत्र द्वारा संहारित निर्वाचित

८. डाक बह-पत्र द्वारा भी जाने वाली लिहाई होने के काम से कम गीन मास पहले कुलसंचित प्रबंधक अह मात्रावाला के पास, उसके गविहारूत परों पर गविहारूत डाक से नोटिंग बिलकुल नहीं, जिसमें उसमें नोटिंग में जाने के प्रबंध दिन के भीतर नग-निर्देशन-पत्र दर्शन करने को बहा जायगा। नोटिंग के साथ निर्वाचित की एह सूची होती।

९. कुलसंचित वो, मात्रावाले की सूची की प्रबंध ऐसी अरुद्धि जगा तोप की, जो उसकी जानकारी में जाना जाय, टोक करने को राती होती। वह लिखी अधिक का नाम सूची से लिखात दिया जाय तो उसके काम की गणना जीव जायगी, जो ही उसे मात्रव विस गणा हो और उसने अपना मान दे दिया हो और एह प्रबंध-पत्र कि ऐसा लिखा गया है, कुलसंचित तथा निर्वाचित तेजाव बढ़ाव देता, वह कोई हो, अन्वयित विद्युत दिया जायगा।

१०. प्रबंधक निर्वाचित को भी जाने वाले सूची की संख्या से अधिक अभ्यर्थी का नग-निर्देशन करने का विकल्प होगा।

११. प्रबंधक नग-निर्देशन-पत्र पर इतनावक द्वारा जो सबव निर्वाचित होता, हासकाव दिया जायगा, और उसके बाद निर्वाचित के लिए नग-निर्देशन अभ्यर्थी की सहमति होगी, जो यह तो लिखात होती हो या नग-निर्देशन-पत्र पर इतनावक द्वारा जो नहीं होती। उसमें नग-निर्देशन के समर्वकों के रूप में अन्य निर्वाचितों के इतनावक हाँ सहज है। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी लिखी देसे नग-निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के बाद में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुसोदह के बाद में हासकाव नहीं कोरेगा।

१२. नग-निर्देशन-पत्र नोटिंग में दीर्घालित समय के भीतर कुलसंचित तथा निर्वाचित समय के बाद लिखाके में यह तो तथां प्रस्तावक या लिखी देसे निर्वाचित द्वारा दिया जायगा, जो नग-निर्देशन का समर्वक बहत हो या गविहारूत डाक द्वारा भेजा जायगा।

१३. कोई अभ्यर्थी लिखावक से अपना नाम प्राप्त लेने की लिखात सूचना, विस पर उसके हासकाव होने और जो लिखी वेलिनिक मिस्ट्रेट, राजवालित अधिकारी या विकासिताव से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रभारी द्वारा अनुमतिगत होगा, कुलसंचित को इस प्रकार भेजकर यह वह नग-निर्देशन को जानि के लिए अनिवार्य दिन के साथ में लिखाव किया जायगा, और उसके बाद कोई अभ्यर्थी जो नग-नि�र्देशन-पत्र के लिखावों को जानावे का स्थान, लिनानु और समय अधिकारित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचित, जो उचित होना चाहे, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

१४. कुलसंचित विभिन्न नग-निर्देशनों की एह सूची तेजाव करेगा। वह कोई नग-निर्देशन-पत्र कुलसंचित द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो यह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देना। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि यह ऐसे संसूचन की जानि के तीन दिन के भीतर आवेदनकर सेवे कि गामता कुलसंचित को लिखाव किया जायगा, तिसका लिखाव अनिवार्य करेगा।

१५. एह सम्बद्ध सप्त से नग-निर्देशन अभ्यर्थी की संख्या भी जाने वाले संख्यों की संख्या से अधिक हो म हो तो यह कुलसंचित उन्हें लिखाव किया जायगा। एह कोई स्थान भरने से हो जाय तो उसे भरने के लिये एकोक रैति से नया लिखाव किया जायगा और ऐसा लिखाव समान्य निर्वाचित का भाग तज़ागा जायगा।

१६. एह सम्बद्ध सप्त से नग-निर्देशन अभ्यर्थी की संख्या भी जाने वाले संख्यों की संख्या से अधिक हो तो यह कुलसंचित उन्हें लिखाव किया जायगा। एह कोई स्थान भरने से हो जाय तो उसे भरने के लिये एकोक रैति से नया लिखाव किया जायगा और ऐसा लिखाव समान्य निर्वाचित का भाग तज़ागा जायगा।

१७. () मिर्वाचित अधिकार के इसान-पत्र पर हासकाव करेगा और उसे लिखाव किया जायगा—

(क) हासकाव बाटन में लिखी द्वारा संहारित लिखाविद्यालय का कुलसंचित,

(ख) लिखी देसे विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का जानावे अपका उस विश्वविद्यालय के अध्यापक विवाह का अध्यक्ष;

(ग) सरकार का कोई राजवालित अधिकारी।

(.) अनुप्राणानु अपने पूरी हासकाव और अपनी मुहर से अनुमतिगत करेगा।

(.) मिर्वाचित मात्राव यों जिसे अपने नाम अपका हासकाव के सम्बद्ध हैप से भरकर उंटे लिखाके में बन्द करेगा और तब उसे सम्बद्ध हैप से हासकावरित और अनुप्राणालित अधिकार के प्रमाण-पत्र के खाल उपर वहुत लिखाके में बन्द कर देगा और उसे सम्बद्ध हैप से मुहरबन्द करेगा यहीं यहीं गविहारूत हासकाव कुलसंचित के देना या उन्हें स्वयं देना।

२०. मात्राव कुलसंचित के चाल लिखाव समय और दिनानु तक अपर्य पूर्वज जाना शक्तिहै। एह मात्र-पत्र विवाह समय और दिनानु के परवात प्राप्त हो तो यह उसके हारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

२१. एह दो यह उसके अधिक मात्राव एह ही लिखाके में भेजे जाव, तो उसकी गणना नहीं की जायगी।

२२. कोई मात्राव, जिसे अपना मात्र-पत्र तथा अपने सम्बद्ध विविद्यालय का जानावे अपका उस विश्वविद्यालय के अध्यापक विवाह का अध्यक्ष, जो पूरी अन्वयनावर्ग के लिये विकृत हो गये हों, इस अपका का स्वाहावालित विवाह-पत्र कुलसंचित यों लिखाके लिये विविद्यालय के समय पर भाग देना और उसे सम्बद्ध हैप से मुहरबन्द करेगा यहीं यहीं गविहारूत हासकाव कुलसंचित का गवाह हो जायगा।

२३. कुलसंचित मात्र-पत्र को उनकी संघीया के लिये लिखाव दिनानु और समय तक मुहरबन्द तथा विना खोले सुरक्षित अधिकारा में रखेगा।

२४. मंजूक कंसीका की लिखी मात्र-पत्र का लिखाहा करने की मौज जाने का हाफ न होगा। जिन्हे मंजूक कंसीका के समय उपरिक्त होने के लिये नियुक्त करें।

२५. कुलसंचित को एह अध्यक्ष विविद्यालय ही जावी गविहारूत संस्कृत के लिये लिखाहा देने के लिये नियुक्त करें।

२६. मिर्वाचित मात्राव का स्वयं या सम्बद्ध कुलसंचित यों लिखाहा देने के लिये लिखाहा देने का अध्यक्ष करें।

२७. लिखाव कुलसंचित के लिये लिखाहा देने के लिये लिखाव अधिकार के लिए अपर्य अपने अभ्यर्थी के लिये लिखाव अधिकार अन्वयित हो।

२८. एह परिविवाह द्वारा लिखित लिखाव को सुखव बनाने के प्रयोगकर मात्राव का मूल्यानु एह ही समझा जायगा।

२९. परिविवाह के उपलब्धों को जापावन करने के लिये कुलसंचित—

(.) मानी भिजो की उद्देश करेगा;

(.) निर्वाचित ही चुके अपका नामदान से अधिकारित अभ्यर्थी के लिये अधिकारित अधिकारों पर ध्यान न देगा।

३०. कुलसंचित तब मात्राव की नामदानों के मूल्यानु का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देना, तो कि भी जाने वाली भिजों की संख्या से एक अधिक हो तब भागावत में रखेगा। इस प्रबंधर मात्र-पत्र को जोड़ेगा।

३१. एह लिखी देसे समय उनकी संख्या में अभ्यर्थी कोटा कोटा करने के लिये लिखाव किया जावा और अपका लिखाव अधिकारी की संख्या से एक अधिक हो तब भागावत करनी चाहिये।

३२. (.) प्रबंधक ऐसा अभ्यर्थी लिखाके पार्श्व कोटा कोटा के बाटव अपका उपलब्धर मात्र-पत्र के लिये लिखाव भेजेगा, लिखाव अधिकारी और उसके खोले गये के लिये लिखाव भेजेगा।

(.) एह लिखी देसे पार्श्व में मात्रावों का मूल्यानु कोटा कोटा से अधिक हो तब अपका उपलब्धर मात्र-पत्र देखेगा और उसके लिये लिखाव भेजेगा।

३३. (.) एह उपर्युक्त अधिकार द्वारा लिखित लिखाव को प्रयोग के प्रबंधर मात्राव का मूल्यानु एह ही समझा जायगा।

(ग) यदि एह से अधिक अभ्यर्थी हों तो अधिकारी उपर्युक्त अधिकारी पहले बताया जायगा तब परिणाम के न्यूनता-क्रम के अनुसार दूसरों से बताया जायगा; परन्तु मर्ही की प्रथम शरण में उद्भूत प्रवेषक अधिकारी दूसरी शरण में उद्भूत अधिकारी से पहले बताया जायगा और वही क्रम आगे भी चलेगा।

(ज) यदि दो अवधि उपर्युक्त अधिकारी बताया हों तो कुलसंचयिक उपर्युक्त उपचारण (ग) से विभिन्न शर्तों के अनुसार यह विविधात्मक बोरेगा यह विविधात्मक बोरेगा यह विविधात्मक बोरेगा।

(क) (क) यदि हिस्ती अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला अधिकारी को बताया भूल भड़ा से उद्भूत हो, तो कुलसंचयिक उपर्युक्त अभ्यर्थी के, त्रिपुरा के अधिकारी संक्रमित किया जाने वाला हो, पार्सेत के सब भविष्यतों को जीव करेगा और अनिःशेष-राजों को उनमें अधिकारीविधि निश्चय अनुसार अधिकारी के अनुसार उप-पार्सेतों में विचारित करेगा। यह विविधात्मक बोरेगा।

(ख) यह प्रत्येक उप-पार्सेत के भूल-भड़ा का तथा अनिःशेष-राजों का मूल्याङ्क अधिकारीविधि बोरेगा।

(ग) यदि अनिःशेष भूल-भड़ा का मूल्याङ्क अधिकारी के बगवर अवधि उपर्युक्त बदल हो तो वे सब अनिःशेष भविष्यतों को उपर्युक्त भूल-भड़ा पर, जिस पर कि वे उपर्युक्त अभ्यर्थी के बाजे हुए हैं, विस्तार अधिकारी संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनिःशेष-राजों का मूल्याङ्क अधिकारी से अधिक हो तो वह अनिःशेष-राजों के उप-पार्सेतों का संक्रमण करेगा और वह मूल्याङ्क, जिस पर प्रत्येक भविष्यत संक्रमित किया जायगा, अधिकारी को अनिःशेष-राजों की कुलसंचयिक अभ्यर्थी को सबसे अन्त में संक्रमित उप-पार्सेत के सभवन मध्यपर्याप्त हो जाएगा और वही कुलसंचयिक अभ्यर्थी के अनुसार उप-पार्सेतों में विचारित करेगा। तदुपरान्त वह उप-पार्सेतों से डासी रीति से बदलेगा जैसा कि पूर्वाग्रही अनिमान उपचारण में विविध उप-पार्सेतों के सभवन में व्यवस्थित है।

(ज) प्रत्येक अभ्यर्थी के संक्रमित भविष्यत ऐसे अभ्यर्थी के बहारे के हाँ भविष्यतों में उप-पार्सेत के रूप में गिरा दिये जायेंगे।

(झ) यदि विविध अभ्यर्थी के वार्तात अवधि उप-पार्सेतों के बैं सब भविष्यत, जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अनिमान हृषि से बदले गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

२४. (क) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तब अधिकारी के संक्रमित कर दिये जाने के परावान अपेक्षित संक्षेप से वह अभ्यर्थी निर्वाचित हो तो कुलसंचयिक भविष्यत के विविध अभ्यर्थी के वार्तात अवधि उप-पार्सेतों के बाजे हुए हो जाएगा और उन पर अधिकारीविधि अनुगामी अधिकारी के अनुसार उप-पार्सेतों में विचारित करेगा। तदुपरान्त वह उप-पार्सेतों से डासी रीति से बदलेगा जैसा कि पूर्वाग्रही अनिमान उपचारण में विविध उप-पार्सेतों के सभवन में व्यवस्थित है।

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(क) उन वर्षों को, जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूल भविष्यत अवृद्धि हो, सर्वसम भविष्यत किया जायगा, इन्वेक्ट भविष्यत का संक्रमण मूल्याङ्क एक मी होगा।

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

(कोई विवेष-पद अनिमान रूप में अलग रख दिया जायगा।)

आगा- २

अधिकारीविधि के विविधात्मकों का किया जाना

४२. विविधात्मक प्रथिकारी वा निकाय के विविधात्मक किये विविधात्मक की स्थिति में दाव तथा अपरिवर्त्य अनावृति करने के प्रयोजन से पहले से विविधात्मक भविष्यतों को प्रवर्त्तित करना अवधि नाम-विवेशन अपवर्जित भविष्यत का अपवर्जक नहीं होता। मध्यहृषि रूप में दूसरों गये अधिकारीविधि में मध्याङ्क अधिकारी वा निकाय के उपर्युक्त सदृश्यवाचन विविधात्मक में भाग लेते हैं। विविधात्मक के लिये नाम अनिमान रूप में प्रस्तावित करने वाला वापस किये जा सकते हैं। मलदाताओं को दिये गये भविष्यतों में वे नाम होते हैं, जिनकी सूचना द्वारा किये गए दूसरों गये अधिकारीविधि में प्रस्तावित वाले वापस हो जाते हैं। मलदाताओं को अनावृति अधिकारीविधि में प्रस्तावित नाम भी है, वहाँ के लिये नाम होता है। कुलसंचयिक प्रत्येक सदृश्य का प्रयोग वाले वापस हो जाते हैं। तथा उनमें अन्य नाम विवेष के अनावृति अधिकारीविधि में प्रस्तावित नाम भी है, वहाँ के लिये नाम होता है। कुलसंचयिक प्रत्येक सदृश्य की अधिकारीविधि की जावीनीवारीशह- घ'

(विविधात्मक १६.०१ देखिये)

विविधात्मक के अध्यापक-बर्ग के लदाताओं के साथ करार का प्रयोग

वह करार आद दिनांक..... २००..... वो श्री/श्रीमती/कुमारी..... प्रवय वह तथा..... विविधात्मक (जिसे आगे 'विविधात्मक' बहु नह है)

दूसरे घर के नाम किया जाता :

एतद्वाहा निम्नलिखित करार किया जाता है—

१. विविधात्मक, दावदाता, इन पहल के भविष्यत श्री/श्रीमती/कुमारी..... वो दिनांक..... से जब प्रवय वह वह फ़ाइल, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, अपने दूसरे घर के कर्तव्यों का कार्यालय करता है, विविधात्मक का अपवर्जक नियुक्त करता है, और अध्यापक एवं दाता भविष्यत का दूसरे अधेसी वाले जीव की जीवकारी का विविधात्मक के द्वारा किया जाना जाएगा, तथा उनमें अन्य वापस हो जाते हैं। विविधात्मक के द्वारा उपर्युक्त करार की सभवन में दाव-वालाओं की प्रेक्षणीय विविधात्मक के द्वारा किया जाएगा, और विविधात्मक के द्वारा उपर्युक्त करार की सभवन में दाव-वालाओं की प्रेक्षणीय विविधात्मक के द्वारा किया जाएगा। विविधात्मक के द्वारा उपर्युक्त करार की सभवन में दाव-वालाओं की प्रेक्षणीय विविधात्मक के द्वारा किया जाएगा। विविधात्मक के द्वारा उपर्युक्त करार की सभवन में दाव-वालाओं की प्रेक्षणीय विविधात्मक के द्वारा किया जाएगा। विविधात्मक के द्वारा उपर्युक्त करार की सभवन में दाव-वालाओं की प्रेक्षणीय विविधात्मक के द्वारा किया जाएगा।

परन्तु अध्यापक प्रवचन, एक वर्ष को अधिक के लिये परिवेश पर रहेगा और कार्य-परिषद्, खासियतानुग्रह परिषेश्वर-अधिक एक वर्ष के लिये बड़ा रहता है।

२. अध्यापक विश्वविद्यालय के परिवेशों के उपचारों के अनुसार सेवा-निवृत्त होता।

३. अध्यापक के वर्द्ध का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, योग्यता..... होता। अध्यापक को उत्तम लिङ्ग से जब से वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार प्राप्त करता है, उपर्युक्त योग्यता में..... कृपया प्रतिवासी को दूर से बेतन दिया जायगा और वह, जब तक कि परिवेशों के उपचारों के अनुसार वार्षिक बेतन-पूर्दि रोको नहीं जाते हैं, अनुचरों पर बेतन बहात करते।

परन्तु वही सम्बन्ध में कोई दूरता-दौर किया गया है, यदों दूरता-दौर के कारण अगली बेतन-पूर्दि अध्यापक की बेतन-पूर्दि सेवन के लिये तराह प्रधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती।

४. अध्यापक विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राचीनियों का निशाचर के, जिसकी प्राचीनिकाता के अधीन यह, जब वह कारण रखता है, उक्त अधिकारी का उसके अ-धीन कानून द्वारा देखी जानी जाएगी और वही सबोन्हम योग्यता से उन्हें कार्यान्वयन करता।

५. अध्यापक एवंद्रामा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आवश्यक सहिता का, जैसा कि सभव-समय पर उन्हें संजोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुकूल बदलने का वापस देता है।

६. किसी भी कारण से कारण की सम्भवता पर अध्यापक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, संस्कृत, अधिकारी और अन्य बल्लंग, उसके कानूनों में हो, विश्वविद्यालय की दे देगा।

७. समस्त समाजों में, इन प्रकारों के अपनी अधिकार और दक्षिण तासवय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिवेशों और अधिकारी द्वारा, जिन्हें इसमें समाचारित और उसी प्रवाह से इस कारण का धारण समझ जायगा, इसमें अनुचरों द्वारा किये गये हों, और उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपचारों द्वारा निर्धारित होंगे।

संखी— १ २ ३

अध्यापक की हस्ताक्षर

परिशिष्ठ-'ग'

(वर्षानियम १९.०२, १९.०३, १९.२० और १९.१४ देखिए)

अध्यापकों के लिये आवश्यक सहिता

यह जो अध्यापक अपने उत्तराधिनियम के भूति तथा सुवर्णों के निर्दि-निर्माण एवं जान, चार्डिक स्वतन्त्रता और सम्बद्धता गणनी को अपगर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय नियुक्त किया गया है, उसके लिये जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव प्राप्त करने की जाती है कि वह नीतिकान्त सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका

अतः उसको सूची की गणना के अनुरूप यह आवश्यक सहिता बनाई जाती है कि इसका उत्तम बल्लंग निरापूर्वक किया जाय :

१. प्रत्येक अध्यापक अपने रेफिल कर्तव्यों का पालन पूर्ण किया एवं कार्यव्य- प्राप्तवाहन से बोगा।

२. कोई भी अध्यापक जो हो की अधिकार और दक्षिण तासवय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिवेशों और अधिकारी द्वारा, जिन्हें इसमें समाचारित और उसी प्रवाह से इस कारण का धारण करने का धारण समझा जायगा, इन प्रकारों से प्रबन्ध उपरिविलक्षित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुद्रा लगाय।

३. कोई भी अध्यापक जो हो की अधिकार और दक्षिण तासवय का सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका विश्वविद्यालय के परिवेशों के लिये उपर्युक्त किया हो। अतः उब वह कारण इस बात का संक्षी प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त विश्वविद्यालय के परिवेशों का प्रयोग करने की वेष्टा नहीं करेगा।

४. कोई भी अध्यापक, यांत्रिकी, विश्वविद्यालय का सम्बन्धित निष्काशी तथा काल्पनिकरीयों के विनियोगों को कार्यान्वयन करने से इनकार नहीं करेगा।

५. कोई भी अध्यापक, सहायता, विश्वविद्यालय का सम्बन्धित निष्काशी तथा काल्पनिकरीयों के विनियोगों को कार्यान्वयन करने से इनकार नहीं करेगा।

६. कोई भी अध्यापक, सहायता, विश्वविद्यालय का सम्बन्धित निष्काशी तथा काल्पनिकरीयों के विनियोगों को कार्यान्वयन करने से इनकार नहीं करेगा।

परिशिष्ठ-'घ'

(वर्षानियम १९.०२ और १९.१४ देखिए)

(१) सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से बिप्र) अध्यापक के साथ कारार का प्रवाह

यह कारार आज दिनांक २०० त्रै..... राघव पाल, जिसे अपने अध्यापक बता रखा है, तथा जायार्द्दन-संस्कृत के माध्यम महाविद्यालय के विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे अपने महाविद्यालय का सम्बन्धी नेतृत्व के अधिकारी और सम्बन्धित निष्काशी तथा काल्पनिकरीयों के विनियोगों को कार्यान्वयन करने के लिये उपर्युक्त विश्वविद्यालय के परिवेशों के लिये उपर्युक्त किया जाय :—

१. नियुक्त दिनांक २०० से प्रारम्भ होगी और एवंद्रामा व्यवसित रीति से अवधार्य होगी।

२. अध्यापक प्रवचन: एक वर्ष की परिवेश क्षमता पर वियोजित है और उसे राघवे का मालिक बेतन दिया जायगा। परिवेश क्षमता उत्तम और अधिक के लिये उपर्युक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्धी नेतृत्व की अपेक्षा होगी।

३. परिवेश क्षमता के विश्वविद्यालय द्वारा जिसे अपने महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिये राघव (केवल राघव) प्रति मास की दूर से देगा, जिसे राघव की परिवेश के प्रतिवास बता दिया जायगा। प्रति-मास ऐसे पुनर्नेतृत्व के अधीन होगा, जो समय-समय पर राघव स-स्कार के अनुसेन्देश से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

४. उक्त मालिक बेतन, जिस मास में वह अधिकत किया जाय, उसके अधीने मास के प्रवचन दिनांक को देव हो जायगा और महाविद्यालय राघव के मालिक से अधिक उपर्युक्त दिनांक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

५. अध्यापक विश्वविद्यालय का प्रवचनवान के लिये उपर्युक्त विश्वविद्यालय के अधीन अधिकारी की कार्यव्य-प्राप्तवाहन नहीं होगा, जिसे अपने प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उपर्युक्त प्रधिकारियों के पास भेज देगा।

६. अध्यापक सम्बन्ध कर्तव्यों के अधिकारी, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के अन्वरिक प्रशासन का कार्य-कालांकों के सम्बन्ध में सीधे जा

७. अप्रत्येक सम्बन्ध कर्तव्यों में इन प्रकारों के आवासी अधिकार और दायित्व समय-समय पर विवासी-विवरण विश्वविद्यालय के परिवेशों द्वारा अधिकत होने। अतः उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपचारों के टपकनों द्वारा वियोजित होने।

अतः दिनांक २०० त्रै..... द्वारा व्रवचनवान की ओर से हस्ताक्षर,

नियमितिकृत वी उपर्युक्त में अध्यापक द्वारा :

संखी— १ २

(२) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ कारार का प्रवाह

यह कारार आज दिनांक २०० त्रै..... (जिसे अपने प्राचार्य कहा रखा है) प्राचम पाल, जिस परिवेश के माध्यम महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे अपने महाविद्यालय के माध्यम से, जो उसे उपर्युक्त विश्वविद्यालय के परिवेशों के लिये उपर्युक्त किया जाय :

१. (जिसे अपने महाविद्यालय कहा रखा है) दिवाली वर्ष के नवाय किया जाय।

२. अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा जिसे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है। अब यह कारार इस बात का संक्षी है कि प्राचार्य और प्रधिकारी द्वारा नियमितिकृत विश्वविद्यालय के परिवेशों के लिये उपर्युक्त किया जाय।

३. प्राचार्य क्षमता के विश्वविद्यालय द्वारा जिसे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिये उपर्युक्त किया जाय।

४. प्राचार्य, प्रभावत: एक वर्ष की परिवेश की प्रतिवेशता विश्वविद्यालय के प्राचार्य के स्वयंविवेक से अधिकत होगी।

५. प्राचार्य ऐसे सम्बन्ध कर्तव्यों का पालन करेगा, जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से गम्भीर हैं तक ऐसे कर्तव्यों के सम्पूर्ण हैं तो उपर्युक्त विश्वविद्यालय के लिये उपर्युक्त किया जाय।

६. प्राचार्य ऐसे सम्बन्ध कर्तव्यों का पालन करेगा, जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से उत्तरदादी हैं। प्राचार्य उत्तर-महाविद्यालय के अन्वरिक प्रवचन वर्ष के लिये उपर्युक्त से उत्तरदादी होंगे, जिसके अन्वरिक ऐसे सम्बन्ध भी हैं हैं जो उपर्युक्त किया जाय।

नवेश्चनम् अभ्यासक के सामग्री से पात्र-पुस्तकों का चयन, वहाँविद्यालय की अभ्यासण संस्थानों की व्यवस्था, महाविद्यालय के अभ्यासक-बच्चे के सम्बन्ध सदस्यों को कार्य पित-रण, बाईंन, प्रकटी, खेत-कृषि अधीक्षकों आदि की नियुक्तियां, कर्मचारियों की लुटी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, एवं चपासी, दफतरी, मर्ती, लकड़ी-शिक्षन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर निवन्धन संघ उड्डें हाटाना, इवन्धनतन्त्र द्वारा स्वीकृत संस्कृत करना और अद्वैत-गुरुद्वारा स्वीकृत करना, यार्डों के सामग्री से महाविद्यालय के छात्राकालीन का निवन्धन करना, छात्रों का प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उड्डें दफद देना तथा खेत-कृषि और अन्य कार्यक्रमों को संरचित करना। वह छात्रों की समस्त नियिकाएँ, एवं खेत-कृषि नियिका, पश्चिम-नियिका, संघ (दृष्टियोग) नियिका, कार्यकालय-नियिका, परीक्षा-नियिका आदि का प्रबन्ध आगे द्वारा नियुक्त समिति को सम्बन्धित करना तथा सबस्थ-सम्बन्ध पर विश्वविद्यालय से बाजान निवेदणों के अनुसार तक्षण वक्तव्यतन्त्र द्वारा किसी अंत लेखाकार द्वारा, जो वक्तव्यतन्त्र के सदस्यों ने मेरे होंगा, उक्त लेखों की सम्पर्कों तथा संलेखों के अधीन रहते हुए, करेगा। लेखाकार को प्लॉन महाविद्यालय की छात्र-नियिकों पर वकार देना होगा। उसको इस प्रत्येक के लिये, सभी आश्रयक शिक्षकों होंगी, जिससे आपकीश्वाल में अभ्यासणों या कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के सदस्यों को, प्रबन्धाकाल की मुख्यता द्विये जाने और उसके द्वारा नियिकाएँ करने लक्ष नियिकालय की शक्ति की सम्मिलित है। वह अपने नियो उपरदायित्व के लिये इस महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विष-विद्यालय अधिकार सरकार से प्राप्त निवेदणों का पालन करेगा। विशेष तथा अन्य बाबतों में, जिसके लिए केवल वही उपरदायियों नहीं हैं, ब्राह्मण, प्रबन्धाकाल के निवेदणों जा, जैसा उसे संवित के सामग्री से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धाकाल या संवित द्वारा कर्मचारियों के सदस्यों को समस्त अनुदेश जारीर के सम्बन्ध में जारी किये जाएंगे और कर्मचारियों का योई भी सदस्य नियिकाएँ साकार के सामग्री से बाल वक्तव्यतन्त्र के लिये सदस्य से सीधे भेट नहीं करेगा।

जारीर की लियिकी तथा प्रबन्धाकाल कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियन्धन तथा अनुरागासन की समस्त शक्तियों होंगी, जिसके अन्तर्गत बैठान-कृदि रोकने की शक्ति भी है।

प्राचार्य के वाकालय में समस्त नियुक्तियों उपरी सहमति से बही जारीरी।

६. प्राचार्य, प्रबन्धाकाल तथा प्रबन्धाकाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का फेदे सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु वह उस समिति का गदाय न होगा, जो उसके आधारण को जीव करने के लिये नियुक्त हो जाय।

७. प्राचार्य के बजाए द्वितीय तथा अन्य समिति में, जिसके लिए केवल वही उपरदायियों नहीं है, ब्राह्मण, प्रबन्धाकाल के निवेदणों जा, जैसा उसे संवित के सामग्री से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धाकाल या संवित द्वारा कर्मचारियों के सदस्यों को समस्त अनुदेश जारीर के सम्बन्ध में जारी किये जाएंगे और कर्मचारियों का योई भी सदस्य नियिकाएँ साकार के सामग्री से बाल वक्तव्यतन्त्र के लिये सदस्य से सीधे भेट नहीं करेगा।

प्रबन्धाकाल की ओर से..... द्वारा आश दिनांक..... २००..... को हस्ताक्षरित। नियमितियां की उपरिक्षण में प्राचार्य द्वारा—
संकी (१)
पर—
संकी (२)
पर—

(३) संकी सर..... की वार्षिक संकी सराति रिपोर्ट का प्रवार (परिविवरण १६, २१ और १३, १६ देखिय)

१. अभ्यासक का नाम

२. विभाग, विभासे वह सम्बद्ध है

३. क्या प्रामाण्य, उपचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि है?

४. यह मेरे ग्रन्थालय अहंतावाद या विश्वविद्यालय, यदि योई हो

५. अभ्यासक की शक्तिगत रक्षणाये या उसके द्वारा किये गये अनुसासन-कार्य और/या गृहीय या अन्यार्थीय सम्मोहन में पड़े गये प्रादि का विवरण,

६. यह के द्वारा उसके सम्बद्धत्व में कार्य करने वाले अनुसासन छात्रों को संक्षेप और कहा उनमें से किसी को अनुसासन-कार्य के लिए उपाधि प्रदान की गयी?

७. यह के द्वारा विश्वविद्यालय का संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठ्यन कक्षा को छोड़कर) की संख्या.....

८. अभ्युक्ति

मैं इन्हाँ प्राप्तवाद करता हूँ कि इस संकी सराति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयों में संक्षिप्त जानकारी में सत्य है।

दिनांक..... अभ्यासक का हस्ताक्षर

प्राति-हस्ताक्षरितपद-नाम

परिशिष्ठ-‘क’

(परिविवरण ११, १२-ख देखिय)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

स्व-मूल्याङ्कन विवरण का विवरण

खण्ड-एक

१. नाम दिनांक

२. पर-नाम

३. जन्म-दिनांक

४. संकीक अहंतावाद

५. विश्वविद्यालय में कार्यपाल बहन करने का दिनांक

६. स्पादीकरण का दिनांक

७. अभ्यासन-कार्य का अनुभव

संख्या का नाम पृष्ठ परिविवरण दिनांक संकी दिनांक तक कुल अवधि

८. विभिन्न नाम पर अध्यार्थित पाठ्यक्रम/पाठ्यांकों का नाम—

(विस्तृत व्योग देखिय)

(क) अधिकालक—

(ख) स्थानकोत्तर—

९. यह लौन वर्षों में अध्यार्थित पाठ्यक्रम (ठोक-ठोक व्योग देखिय)

(क) अधिकालक—

(ख) स्थानकोत्तर—

१०. प्राप्त जाने वाले पाठ्यक्रम के लिये सामग्री के स्रोत का व्योग, जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकों, जर्नल आदि)

११. आपके द्वारा प्रयोग की गयी अभ्यासन की रिपोर्ट का व्योग (अभ्यासन, लूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)

१२. पिछले शिक्षा-साल में आप अध्यार्थित कर्त्तव्यों में गयी नियमितता के किस स्तर में थे—

(जो प्रयोग हो उस पर चेता बना देखिय)

(क) १० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक

(ख) ८० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक

(ग) ७० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक

(घ) ७० प्रतिशत से नीचे

खण्ड-दो

१. नियमितियां उचितियों का व्योग देखिये—

१. नियमितियांत्र उपायों का व्योग दर्शिये—

उपर्युक्त विवरणात्मक उपाय दिये जाने का शोध-प्रबन्ध का वर्णन दिया
एवं, फिल, पौ-एच, ही, ही-फिल, ही-एच-सी,

२. शोधप्रबन्ध (योजित), यदि प्रकाशित हुआ हो, का व्योग (इसकी एक प्रति संलग्न को जाओ)।

३. प्रकाशित शोध-प्रक, पुस्तक, विशेष निबन्ध (योजोशाह), सर्वेक्ष (रिप्पूड), पुस्तक के प्रधारण, अनुवाद और मुख्यालयक रचना आदि, यदि कोई हो, का व्योग।

४. सम्बोधन, संगोष्ठी, कर्मसूत्रात् (कर्मसूत्र) विनाम जाग विकास भवनुत लिये नाम निबन्ध और वा वृत्त पाठों विवित का व्योग दर्शिये।

५. वीरवाचालीन संस्कार, अभियान (रिक्षार) वा अभियान चालकात्म (आरियन्देशन कोर्स) विनाम पाठ विकास (व्योग दर्शिये)।

६. शोध वार्गिकर्त्त्व (रितर्थ गाइडेन्स), पुस्तिक प्रसारी (प्रोफेशनल कार्यकर्त्त्व), यदि कोई हो, का व्योग।

७. पुस्तिक/संक्षिक विकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता वा फेसोफिप (व्योग दर्शिये)।

८. ऐसे वैज्ञानिक कार्यकालानों के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड-तीन

अन्य संस्कार के सन्दर्भात् जीवन (कार्यपाद साक्ष) में अंतर्दान का व्योग।

१. (क) प्रत्यक्षर्थी विकास (ख) संस्कृतिक/पाठ्योत्तर कार्य-कालात् (ग) सेलकूट/सानुदायिक और प्रसार सेवाये (घ) प्रशासनिक कार्य (ङ) कोई अन्य

२. कोई अन्य सूचना, जो उपर्युक्त प्रश्नावालों के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रश्नित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सहायता जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हास्यात्मक विभाग

परिशिष्ट-‘ए’

(परिविषय ११.१२ (ग) देखिय)

भाग- १

शैक्षणिक सत्र.....हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिष्टाचारों का वैज्ञानिक शैक्षणिक प्रयत्न प्रतिवेदन।

१. शिक्षक का नाम..... २. विभाग

३. पट-नाम

४. सत्र के दौरान जाता ही गई शैक्षणिक व्योगका वा विशिष्ट उपलब्धियों।

५. सत्र के दौरान प्रकाशनों वा विद्या गत शोध का विवरण (सोध उपर्युक्त परिक्षा का नाम लिखें)।

(१) प्रकाशित पुस्तकों—(२) पाठ्य-पुस्तक (३) सन्दर्भ-पुस्तक

(४) गार्हिय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध-प्रक्रियाओं में प्रकाशित पत्र—(५) स्वतंत्र (Independent authorship) () मह-संयुक्त (Co-authorship)

(६) स्वरामालार्व सर्वकृत शोध-प्रक..... (७) परीक्षाकार/सम्मेलनों में भास्तुत शोध-प्रक

(८) गार्हिय वा गार्हिय आयोग/समितियों/ग्राह विकायों के सम्बन्ध प्रस्तुत भेजे गये ज्ञान।

६. विशिष्ट के पार्श्वान्तर में शोध-दाताओं का विवरण :—

(१) प्रज्ञातुक शोध-दाताओं की कुल संख्या (२) शोध उपायि प्राप्त दाताओं की संख्या

७. दिन एवं विशेष व्याख्यानों का विवरण :—

(१) विश्वविद्यालय सत्रांया

(२) अन्य संस्कार/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सत्रांया

८. शैक्षणिक उपलब्धियों के सन्दर्भ में अन्य कोई सूचना।

मैं यह व्योग जारी/करता/करती हूँ कि शैक्षणिक प्रयत्न प्रतिवेदन में दो गई सूचनाएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार महो हैं।

दिनांक..... विशिष्ट का हस्ताक्षर (विभागाध्यक्ष/प्रधानाधार्व)

भाग- २

१. शैक्षणिक व्योगकालों का विस्तृत विवरण :—

परिणाम विवरण वाली लेखी

हास्यानुसृत इक्टर सनातन स्वामीनाथ शोध उपायि दिप्सोना का प्रकाश-प्रक

२. प्रकाशित शोध-प्रक, पुस्तक, एकल विवरण पर संख्या (योजोशाह), पुस्तक संख्या, पुस्तकों के अध्याय, अनुदान तथा रचनात्मक सेवान आदि, का विस्तृत विवरण।

३. पूर्ण की गई/वाल यह शोध-प्रक्रियाओं का विवरण :—

परियोजना का नियम प्रदान करने वाले अधिकारी शैक्षणिक प्रयत्न का नाम

४. शैक्षणिक सम्मेलनों/परीक्षाकार तथा कार्यशालाओं में भागीदारी का विवरण (प्रस्तुत लिये गये शोध-प्रक्ष तथा तथा भारित पत्रों का पूरा विवरण)।

५. शैक्षणिक सम्मेलन प्राठ्योक्त्र, नुरायरी वा अधिकारिय साहित्यकाल में भागीदारी (पूरा विवरण दें)।

६. विभिन्न शोध-प्रक्रिया के सम्बन्धीय नगदान/शैक्षणिक विकायों की सदस्यता का विवरण।

भाग- ३

अन्य संस्कार के विवरण जीवन में आप द्वारा दिये गए योगदान का विवरण :—

१. (क) पाठ्यप्रक्रम-विकास (ख) संस्कृतिक/पाठ्योत्तर गतिविधिय

(ग) सेलकूट/सानुदायिक एवं प्रशासन सम्बन्धित

(घ) प्रवेश परीक्षाकारों में भागीदारी (घ) अन्य कोई।

२. जो उपर्युक्त प्रयत्न (प्रोफार्स) में आवश्यक न हुई हो (कोई अन्य सूचना)वै सत्यागत करता हूँ कि उपर्युक्त दो गई सूचनाएं सही एवं तथ्यात्मक हैं।

दिनांक हस्ताक्षर

पट-नाम

परिशिष्ट-‘बी’

(परिविषय ११.१२ (ग) देखिय)

स्वभूत्याकृत हेतु प्रयत्न

मूल्यानुसृत-पर्व

१. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम

२. प्राध्यारक का नाम

३. पट-नाम

४. जन्म-विधि

५. वर्तमान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में

कार्यालय पट पर नियुक्त अदेश संख्या निहित

६. कार्यालय प्रहण करने वाली विधि

७. स्थायोकारण की विधि

८. विशिष्ट अनुभव—

मेरों का भारित नियुक्ती की प्रहण तथा मेरी नाम पद तथा अवृत्ति

अंतर्वात्मक/अवकाश प्रवास/ तदर्व/अस्थायी/स्थायी (स्पष्ट उल्लेख किया जाव)

१. लिंगित स्वरों पर प्राप्त गये विषय एवं प्रतिक्रिया का विवरण :—

(क) स्मृति

१०. प्राप्त गये चारों अनुभव में आप हाथ पर्युक्त गतिशील का स्रोत (पुस्तकें, सोफ-प्रिकार्ड, अदि) का विवरण दें।

११. आप हाथ अपनाएं गयी लिखान-क्रियाएं का विवरण (ब्लॉक्स, उप-शीर्षकिल बजाएं, ट्रॉटरिल फर्सेंटार, ग्राहोग्राफ, पटना, बैम स्टडी, समूह-चर्चा आदि)

१२. ग्राहोग्राफ व्याख्यानों का विवरण—

उपर कक्षा विषय/प्रतिक्रिया—स्वरों पर स्वरों पर भवितव्य

उपर कक्षा विषय/प्रतिक्रिया—स्वरों पर स्वरों पर भवितव्य

१३. सह में अस्पष्टता अवधारणा का विवरण (वर्दि रस में कोई रिक्त हो)

परिणाम-‘ब’

(परिवर्तन २१.०६ देखिए)

सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के अधिकों की भर्ती विवरणहरी

१. नवीन नाम तथा जन्म—

(क) यह नियमावधी, समूहानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के अधिकों की भर्ती विवरणहरी कहाजायेगी।

(क) यह जारी होने की लिपि से प्रकृत होगी।

२. वर्तमान—उब तक कि नन्दर्भ से अन्यथा अवैधित न हो, इस विवरणहरी में—

(क) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का तात्पर्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से गत्वा गत्वा गत्वा विश्वविद्यालय/विद्यालय में सेवायेवित ऐसे शिक्षक/कर्मचारी से जो,

(१) ऐसे सेवायेवित से स्वार्थी वा, या

(२) यद्यपि अस्वार्थी है, तथापि ऐसे सेवायेवितों में विवरणहरी से गत्वा गत्वा गत्वा विवरणहरी से जो,

(३) यद्यपि विवरणहरी रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायेवितों में विवरणहरी रूप से गत्वा गत्वा गत्वा विवरणहरी से जो,

३. ग्राहोग्राफ—(क) विवरणहरी रूप से नियुक्त का तात्पर्य यात्राविधिवालय, एट या सेवा में भर्ती के लिए अवैधित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) मृत्यु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक का तात्पर्य ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक से है, जिसकी मृत्यु सेवा में घटने हुए हो जाय।

(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत्यु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के विम-लिंगिन नम्बरही होगे—

(१) पर्याप्त या नहीं, (२) नहीं, (३) अवैधित पुरियों अनुसार विषय पुरियों।

(४) विश्वविद्यालय या तात्पर्य समूहानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय/विद्यालय के वर्तमान से है।

४. यह नियमहरी उन सेवाओं और भर्ती की ओरिंटेशन, विश्वविद्यालय/विद्यालय सेवक, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के वर्तमान से है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सेवाओं और भर्ती पर समूहानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय/विद्यालय से है,

५. यह नियमहरी उन सेवाओं और भर्ती की ओरिंटेशन, विश्वविद्यालय/विद्यालय के वर्तमान से है।

६. यह नियमहरी उन सेवाओं और भर्ती की ओरिंटेशन, विश्वविद्यालय/विद्यालय के वर्तमान से है।

७. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

८. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

९. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१०. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

११. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१२. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१३. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१४. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१५. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१६. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१७. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१८. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

१९. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२०. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२१. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२२. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२३. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२४. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२५. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२६. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२७. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२८. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

२९. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३०. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३१. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३२. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३३. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३४. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३५. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३६. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३७. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३८. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

३९. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४०. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४१. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४२. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४३. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४४. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४५. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४६. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४७. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४८. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

४९. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

५०. यह नियमहरी उन सेवाओं के वर्तमान से है।

आनुतोषिक आवेदन-पत्र

सहायताकान संस्कृत विद्यालय/सहायताकान के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को इतना ही द्वारा आनुतोषिक नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक हेतु आवेदन-पत्र (नियमावली के) नियम-२५ के अनुसार :

भाग-अ

(प्राची, प्रधानाधार्य तथा प्रबन्धक के प्रयोग हेतु)

१. विद्यालय का नाम.....
 २. शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी का नाम तथा स्थायी पता.....
 ३. पिता/पति का नाम.....
 ४. पट-नाम.....
 ५. बैतनक्रम.....
 ६. विद्यालय में अधिकारी नियुक्ति की लिपि.....
 ७. स्थायीकरण की लिपि.....
 ८. जन्मतिथि.....
 ९. ५८ वर्ष के अधिकारी पर सेवनियुक्ति होने का विराजमान देने की लिपि.....
 १०. ५८ वर्ष की आयु पूरी करके सेवनियुक्ति की लिपि तक पैरान अवगत हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
 ११. ४५ वर्ष की आयु पूरी करके सेवनियुक्ति की लिपि तक पैरान अवगत हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
 १२. ३० वर्ष की सेवा पूरी करके सेवनियुक्ति की लिपि तक पैरान अवगत हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
 १३. अपने सेवा के लिये स्थायी रूप से असर्वाद होने का प्रधान-पत्र देवर ५८ वर्ष की आयु में सेवनियुक्ति के इच्छुक शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी की सेवनियुक्ति की लिपि तक पैरान अवगत हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—
- नोट—१०, ११, १२ अपवा १३ जो लाभ न हो, उसके सम्में (x) का चिह्न बनाए।
१४. सम्बन्ध १०, ११, १२, १३ के सम्बन्ध अद्वितीय सेवा अवधि का विवरण सेवा-प्रक्रिया के अनुसार—
विद्यालय का नाम से तक वर्ष महीना
 १५. आनुतोषिक हेतु मान्य हमारी अधिकारी की सेवा, सम्बन्ध-१४ के सम्बन्ध अद्वितीय मान्य सेवा अवधि के अधार पर—
 १६. सेवाकाल में मृत्यु की दशा में शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी की मृत्यु की लिपि—
 १७. सेवनियुक्ति/मृत्यु की लिपि के ठीक पूर्ण शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी की परिस्थितियों का विवरण—
(१) मृत बैतन—
(२) मर्हेंगाई व अतिरिक्त मर्हेंगाई भावों का यह अंत
जो पैरान आवगत हेतु जासन द्वारा बैतन का
अंत माना जाया है—
(३) विरोध बैतन अवधा अवकाश बैतन—
योग
- नोट—परिस्थितियों के विवरण हेतु नियमावली के नियम-१३ के नीचे अद्वितीय विधियों को दृष्टिकोण सख्त जाया।
१८. अनुतोषिक नियमावली के नियम-१३ के अन्तर्गत सेवनियुक्ति की लिपि को देव आनुतोषिक घनराशि अवधि सम्बन्ध-७ के सम्बन्ध अद्वितीय विवरण के अनुसार पूर्ण हमारी सेवा अवधि का अपवा का १,००,००० इनमें जो भी कम हो—
 १९. मृत्यु हो जाने की दशा में विद्यालय के नियम-१७ के अन्तर्गत देव मृत्यु अनुतोषिक की घनराशि अर्हत् सम्बन्ध-१० में परिस्थिति अनितम उपराखियों की घनराशि अपवा का १,००,००० इनमें जो भी कम हो—
 २०. शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी द्वारा नियमावली के नियम-२१ के अन्तर्गत नियमाद्वितीय विधियों तथा दस्तों प्रयोग को देव आनुतोषिक का विवरण—
 २१. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारी के प्रवृत्ति ग्राहकीय/प्रबन्धक के बहुतों का विवरण यहाँ कोई हो—
- दिनांक यार्थ का हस्ताक्षर
- प्रमाणित किया जाता है कि शारीर द्वारा उत्पन्न तत्त्वों का उत्पन्न सम्बन्धित अविलेयों से कठ दिया जाया है और ये साध्य है। यह यो इमानित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध विवरणियों में स्थैतिक अधिकारी के अतिरिक्त अपवा किसी प्रकार की कोई वसूली रोप नहीं है। नियमाद्वितीय मर्हों के अन्तर्गत वसूली रोप है तथा यार्थी ने न तो विद्यालय से लापता दिया है और न ही उसे कोई फ़दायरण, दिवालियापन का कार्य अवहमता के कारण पर्याप्त किया जाया है पा हटाया गया है।
- वसूली का विवरण (कठि कोई हो) घनराशि।
- हस्ताक्षर प्रधानाधार्य
(विद्यालय की मुद्रा)
- मैं यो प्रधानाधार्य/प्रधानाधार्यों के उपरोक्त कठन का समर्वन करते हुए श्री/श्रीमती/कु..... के अनुतोषिक की पूरी राशि का(रुपयों में)..... के
भुगतान की संतुष्टि करता हूँ; क्योंकि इनके विवद दिसी प्रकार की वसूली रोप नहीं है, का की वसूली रोप है, जिसे भुगतान की देव राशि में से कठ लिया जाया।
- हस्ताक्षर प्रधान
- मुद्रा

भाग-ब

(विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के प्रयोग हेतु)

प्रबन्धक/प्रधानाधार्य/प्रधानाधार्यों के उपरोक्त कठनों की पूर्ण कठन हुए प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्ध-१६ अपवा १९ के अपार्टमेंट सेवनियुक्ति/मृत्युहन्द आनुतोषिक की घनराशि की अपवा इनके अधिकारी को का की सेवनियुक्ति/मृत्युहन्द आनुतोषिक की सेवनियुक्ति की जाती है।

हस्ताक्षर सेवनियुक्तों द्वारा विद्यालय निरीक्षक

दिनांक दिनांक दिनांक

मुद्रा मुद्रा

भाग-म

(प्रधानाधार्य उप-विकाश-निदेशक के कार्यालय के लिये)

श्री/श्रीमती/कु..... का के सेवनियुक्ति/मृत्युहन्द आनुतोषिक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह यो प्रमाणित किया जाता है कि उसके बति एवं कठीय प्रबन्धक का कोई वकाल रोप नहीं है, का का वकाल रोप है, जिसका प्रधानाधार्य
आनुतोषिक की कुल देव राशि अद्वितीय में कठाकर कर लिया जाया है।

दिनांक अनुतोषिक स्वीकृति प्रदाने काले

अधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

गोवाड़ा-संख्या—५१३/१५-१७-१०-५६ (२८)/८७, दिनांक २२/२३ मार्च, १९९० में

निहित प्रश्नावली के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनना है तब गोवाड़ा-संख्या—इयं स्थान की एवं 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताकाल संस्कृत विद्यालय/विद्यालयों/विद्यालयों की मृत्यु तथा सेवानिवृति आनुसंधिक नियमावली' का वरण करने का भी विकल्प देता है।

अभ्यास

२. मैं

गोवाड़ा-संख्या—५१३/१५-१७-१०-५६ (२८)/८७, दिनांक २२/२३ मार्च, १९९०,

१९९० के निहित प्रश्नावली के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति न होने का विकल्प चुनना है तब गोवाड़ा-संख्या—इयं स्थान की एवं 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताकाल संस्कृत विद्यालय/विद्यालयों/विद्यालयों की मृत्यु तथा सेवानिवृति आनुसंधिक नियमावली' का वरण भी नहीं करता है। अतिथि मैं वर्तमान तापमात्रा बोड्डना से ही पूर्वान्तर विकल्प है।

सर्वोहमस्तुत्यम्

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

नाम

पट-नाम

पट-नाम

संस्कृत नाम

संस्कृत नाम

जननद

जननद

टिप्पणी—(१) जो विकल्प त्वारु न हो, उसको काट दिया जाय।

१. उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताकाल संस्कृत विद्यालयों/विद्यालयों/विद्यालयों में लिखको/रिक्षगोदार कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृति आनुसंधिक नियमावली' का वरण भी नहीं करता है। अतिथि मैं वर्तमान तापमात्रा बोड्डना से ही पूर्वान्तर विकल्प है।

दिनांक

श्री

पट-नाम

विद्यालय का नाम

जननद

से ५८ वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने, अतएव मृत्यु तथा सेवानिवृति विद्यालयों/विद्यालयों/विद्यालयों में लिखको/रिक्षगोदार कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृति आनुसंधिक नियमावली' का वरण भी नहीं करता है। अतिथि मैं वर्तमान तापमात्रा बोड्डना से ही पूर्वान्तर विकल्प है।

आवश्यक दिनांक

को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर

विलिहस्ताक्षराति

पट-नाम

हस्ताक्षर

संस्कृत चूहा

(वि.वि.नि./न.उ.लि.नि.) मुहर

परिशिष्ठ-'ज'

(परिनियम २१.०८ देखिये)

गैर अशालकीय सहायताकाल संस्कृत पाठ्यालालों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षगोदार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य विवरण विधि के कार्यकारी सिद्धान्त

१. यह कार्यकारी सिद्धान्त 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों के शिक्षक/शिक्षगोदार कर्मचारियों की सामान्य भविष्य विधि कार्यकारी सिद्धान्त' कहलायेंगे।

भाग-क

परिचार्य

२. यह कार्यकारी सिद्धान्त ३० जून, १९८९ से प्रकृत समझे जायेंगे।

३. परिचार्य से तात्पर्य है—

१. (क) मृत्यु अधिदाता की दरमा में अधिदाता की परिणयों और अधिदाता के बच्चे तथा अधिदाता के शृणुक पुरुष की विधवा या विधवायें तथा बच्चों प्रतिक्रिय यह है कि यदि अधिदाता सिद्ध बताता है कि उसकी पर्ती न्यायिक रूप से उपर्योग हो गई है, अबका जीतीव बस्तमी कामन, जो उस रूप पर त्वारु हो, के अन्तर्गत अनुदान देने की अधिकारियों नहीं रह गयी है, तो वह इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए अधिदाता के कार्यकारी जीतीव तथा तक नहीं रहेंगी, जब तक अधिदाता विवाह विद्यालय विविष्णु को लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि उसकी पर्ती उसके परिचार को गहराया है।

२. (क) महिला अधिदाता के सम्बन्ध में उपर्योग पर्ती, अधिदाता के बच्चे तथा शृणुक पुरुष की विधवा या विधवायें तथा बच्चों प्रतिक्रिय यह है कि यदि अधिदाता विवाह विद्यालय विविष्णु से इच्छा प्रकट करती है कि उसके पर्ती की परिचार से निकाल दिया जाय तो अधिदाता का पर्ती परिचार का सदस्य इन कार्यकारी सिद्धान्त के टोटरक के लिए तत्काल नहीं रहेंगा, जब तक अधिदाता इसे विविष्णु रूप से रद्द करने के लिए बूकना न दे दे।

टिप्पणी—(१) बच्चे का तात्पर्य क्षेत्र बच्चे से है।

(२) दसवां वर्ष की बच्चा समझा जायगा, यदि वह विविष्णु रूप से मान होगा।

२. 'स्वामीय निकाय' का तात्पर्य व्यापक गैरित तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा नाम्य निकाय की विविष्णु स्वामीय संस्कृत विधाय, जिसी ऐसे अन्य निकाय से है, विसमें किसी तो साधा का प्रबन्ध करने के अधिकार विद्यित हो और इस रूप में शासन द्वारा नाम्य हो अबका उस अधिक से है, विसमें तत्सम्बन्ध व्यापकान्वयन संस्कृत प्रबन्धन के अधिकार विद्यित हो।

३. 'स्वामीय' का तात्पर्य ऐसी व्यापक व्यक्ति से है, जो किसी द्वारा सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों का शिक्षक/शिक्षगोदार कर्मचारी हो तथा राज्य सहायताकाल संस्कृत पाठ्यालालों से है, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विविष्णुविद्यालय, कराची की व्यापक विविष्णुविद्यालय १९८८ के अन्तर्गत नाम्यता-नाम्य हो तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित हो। सब ही जो विविष्णु व्यापक व्यक्ति से है, जो किसी द्वारा सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों का शिक्षक/शिक्षगोदार कर्मचारी हो तथा राज्य सहायताकाल अनुदान से बेनाम एवं भर्ते रहता हो।

४. 'विधि' का तात्पर्य एलटर्नेट स्वामीय व्यापक विविष्णु विधि से है।

५. 'संस्कृत' का तात्पर्य एलटर्नेट निकायों अवश्य ऐसे संस्कृतों प्रबन्धकों द्वारा बताये जाने वाली राज्य सहायताकाल संस्कृत पाठ्यालालों से है, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विविष्णुविद्यालय, कराची की व्यापक विविष्णुविद्यालय १९८८ के अन्तर्गत नाम्यता-नाम्य हो तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित हो। सब ही जो विविष्णु व्यापक व्यक्ति से है, जो किसी द्वारा सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों का शिक्षक/शिक्षगोदार कर्मचारी हो तथा राज्य सहायताकाल अनुदान से बेनाम एवं भर्ते रहता हो।

६. 'वेत्तम' का तात्पर्य विविष्णु विवाह, उत्तर-प्रदेश से है।

७. 'वेत्तम' का तात्पर्य व्यापक विविष्णु विवाह के अंतर्गत व्यापक व्यक्ति से है, जो उसके पास हो अवश्य व्यापक विविष्णु विवाह की विधि हो।

८. इस विविष्णु विवाह विविष्णु विवाह के अंतर्गत व्यक्ति से है, जो उसके पास हो अवश्य व्यापक विविष्णु विवाह की विधि हो।

९. 'वेत्तम' का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जिसके लिए भविष्णु विवाह विविष्णु विवाह के अंतर्गत व्यक्ति से हो व्यवस्था करने की अनुमति दी गयी हो और जो इस विवाह उत्तर-प्रदेश विवाह से हो।

१०. 'वेत्तम' का तात्पर्य कर्मचारी के मालिक भूत वेत्तम से है।

भाग-ख सामान्य उपक्रम

११. ये कार्यकारी सिद्धान्त विविष्णु विवाह के अंतर्गत विवाह १९८८ की परिधि में कार्यरत केवल उत्तर-प्रदेश सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों के लिखको/रिक्षगोदार कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुसंधिक नियमावली' का वरण करने का भी विकल्प देता है।

१२. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से अद्वान लिखको/रिक्षगोदार कर्मचारियों विधि ज्ञातो (यदि कोई हो) में यह सब परामर्श, जो प्रबन्धकों व्यापक व्यापक विविष्णु विवाह के प्रबन्धकों द्वारा दी गयी राज्य सहायताकाल अशालकीय संस्कृत पाठ्यालालों के लिए उपलब्ध हो।

२५. एज रो अंडिया अखण्ड खोयून उत्ते प्रगति विजेते अंडिया की बहुती गो अर्द्धारु घनतीको अनुपतो अंडिया के गवर्नर लोमेहित (ब्रन्सोटेंड) उत्ते वसुली की लिखते निश्चित की जाएगी।

२६. अंडिया-निषिध नियमों के अनुचित अंडियों पर कोई साम्राज्य अधिकार से नहीं हिला जाएगा।
२७. अंडिया-निषिध से अंडिया स्थेट्स करने के सम्बन्ध में जिसी कम्पनी के विषय में इस तथा विवरण किसी भी स्तर पर उत्तरदाता होने वाला ऐ विषिध आवश्यकों के बाहों होगा।

२८. स्थेट्स को अंडिया को पूर्ण वसुली निषिधित सम्बन्ध तथा को अधानाचार्य/अधान्यक तथा जिस विषय निषेष्ठ उपर्युक्त उत्तरदाता होगे। स्थेट्स की लिहा पी किरत का स्थान अंडिया की निलम्बन अधिकारी, उत्तरदाता अवकाश आंधी वा अधिवेतन अवकाश अधिकारी को उत्तरदाता लिहो दरा हो जाती हिला आया।

२९. स्थेट्स-उत्तरदाता के अधानाचार्य/अधान्यक द्वारा खोलन विल पर इस आवश्य का प्रवाह-पर उत्तरदाता किया जाएगा विं प्राप्तन्य अधिकारी निषिध से अंडिया लिहो द्वारा प्राप्त अधिकारी को उत्तरदाता के बोलन से भर ली जाये हो।

३०. अंडिया-निषेष्ठ (अधान्यकतों अंडिया) स्थेट्स करने के पूर्व स्थेट्स अधिकारी को अपने विकासमुख्य अधिकारी के हस्त चाल का पूर्ण स्थान-पर प्राप्त कर ननुए हो संना अंडेजिल हो विस उद्देश्य के लिए निषिध से अंडिया की यांग दो गये हो, वह अंडियेष्ट्युन हो।

३१. अंडिया के अंडिया निषेज निषिध लेहो की तथा-तथा स्थेट्स विषयात्मक के अधानाचार्य एवं जिसका विषय विषेष्ठ, अधान शिक्षा-निदेशक द्वारा सम्बन्ध-सम्बन्ध पर नियंत्रण नियंत्रणों के अंडिया विषेष जापान तथा विनियोग जर्वे सम्बन्ध छोड़ने पर अंडिया को उत्तरदाता की उत्तरदाता में विषय अंडिया की अंडिया को उत्तरदाता की उत्तरदाता में विषय विषेष जर्वे करें। सेवानिषिधिकारी/सेवानिषिधिकारी/सेवानिषिधिकारी/सेवानिषिधिकारी को अंडिया अंडिया को उत्तरदाता की विषय विषेष जर्वे करें।

३२. जग्म प्रवाहित पर अधान की अंडिया की यांग प्रवाहित अधान अधानाचार्य/अधान्यक द्वारा प्रवाहित उप-शिक्षा-निदेशक के प्राप्तन से गालन की प्रत्युत्तर की जाएगी।

३३. इन व्यवस्थाएँ नियन्त्रणों में दो अंडु परिषिद्धि नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य कम्पनी द्वारा लागू जी.पी.एफ. द्वारा लागू के नियम लागू होंगे।